खण्ड-251, अंक-1
सोमवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1886
(10 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 251 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–३२
वित्त मंत्री के स्थान की पूर्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३२
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी ..	३३
कानपुर में गैस सिलेन्डर फटने से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	३३
नियम ५२ के अन्तर्गत भुखमरी विषयक सूचना ..	३३–३४
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में वक्तव्य	३५–४६
नारायणी नदी के कटाव से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	४६
विधान सभा तथा उच्च न्यायालय के बीच विवाद के संबंध में जानकारी ..	४६–४७
जिला जालौन के कालपी कस्बे में आटे के वितरण में अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य	४८–४९
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के संबंध में वक्तव्य ..	४९–५२
व्यवस्था का प्रश्न	५२–५३
विधान-सभा का साप्ताहिक कार्य-क्रम	५३
उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३पर चर्चा ..	५४–७३
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९–६० के प्रतिवेदन पर चर्चा ..	७३–९०
नत्थियां	९१–१०१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १० अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नगुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
ज० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलगिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहिरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह, प्रधान श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलसिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मड़ीलाल, श्री
मनजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवन्द्रदत्त, श्री
यादवन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुबीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्यम शर्मा, श्री
राम आधार कनौजिया
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
राम आसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामसनेही, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरजप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामाधारराय, श्री

रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तलानायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदा भक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हुमोद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री

श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उप-मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १० अगस्त, १९६४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों की गिरफ्तारी

**१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति की गलत कार्यवाहियों के विरुद्ध छात्र नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा निराकरण के लिये कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

इस समय कोई छात्र भूख हड़ताल नहीं कर रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि जब उनके पास यह प्रश्न गया था उस वक्त कोई छात्र वहां अनशन कर रहा था? यदि हां, तो वह किन मांगों को लेकर अनशन कर रहा था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कोई छात्र भूख हड़ताल नहीं कर रहा है और जब प्रश्न गया था तब भी नहीं कर रहा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जब सरकार के पास ५-८-६४ को सवाल गया उस वक्त मैंने पूछा था कि क्या कोई उस वक्त अनशन कर रहा था या नहीं और अगर कर रहा था तो किन मांगों को लेकर कर रहा था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

५-८-६४ को कोई भी छात्र अनशन नहीं कर रहा था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, कल्पनाथराय और दिनेश चन्द्रसिंह तीन छात्र गिरफ्तार किये गये और उनको जेल में क्यों और किस अभियोग में बन्द किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह कल्पनाथराय और दिनेशचन्द्र सिंह गिरफ्तार किये गये हैं १०७/११७ में और दुर्गा-प्रसाद श्रीवास्तव ३०९ में गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

यह लोग किस अभियोग में गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्री दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव यूनिवर्सिटी में बैठे हुये शांति भंग का प्रयत्न कर रहे थे और भूख हड़ताल कर रहे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

इस तरह से पहले कुछ जवाब और अब कुछ। यह समय का अपव्यय क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष---

वह कह रहे हैं कि ५ अगस्त को भूख हड़ताल नहीं कर रहे थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

गलत कह रहे हैं।

बी० डी० ओज की सेवा मुक्ति

**२---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत ४ मास में १०० बी० डी० ओज० को उनकी नौकरी से सेवा मुक्ति का नोटिस देकर नौकरी से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नोटिफिकेशन नं० ७७८ (१), दिनांक २४-६-६२, बीस बी० डी० ग्रोज० को निकालने के लिये निकाला गया है उस नोटिफिकेशन का क्या आधार है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

आपको याद होगा कि जब यहां बजट पास किया गया था और उसके संबंध में जो यहां वादविवाद हुआ था उस वक्त मैंने यहां यह निवेदन किया था कि उपयुक्त विकास का काम और उसकी प्रगति जैसी होनी चाहिये वैसी नहीं हो रही है और हमारे ए० डी० ग्रोज० व बी० डी० ग्रोज० की बहुत-सी शिकायतें थीं और केन्द्रीय सरकार भी ऐसे एतराज बारबार करती थी कि जो काम हम करना चाहते है और जिस स्प्रिट व स्पीड से काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इस पर हमने सोचा और मैंने कहा भी था कि अच्छा हो कि इसको जांच कर ली जाय और जिनका काम अच्छा नहीं है उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाय और करीब १०० ऐसे आदमियों को वीड-आउट किया जाय। उसके अनुसार हमने कुछ अफसरों की एक कमेटी बिठाई और वह ए० डी० ग्रोज० और बी० डी० ग्रोज० के करेक्टर रोल्स देख रही है और जिनका काम संतोषजनक नहीं है उनमें से पहली किस्त में करीब २०, २२ आदमियों को नोटिस दिया गया क्योंकि उनकी सर्विसेज टेम्पोरेरी थीं इसलिये १ महीने का नोटिस दिया गया कि उसकी सर्विसेज खत्म की जा रही हैं। वह काम अभी जारी है और आगे भी, जो भी नम्बर हो, जिनका असंतोषजनक काम पाया जायगा उन्हें आगे भी नोटिस दिया जायगा और उनकी सेवायें समाप्त करने का विचार है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो २० बी० डी० ग्रोज० निकाले गये हैं उनमें १२ हरिजन हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से आये है तथा ५ से ७ साल तक सफलतापूर्वक काम कर चुके हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह सब पब्लिक सर्विस कमीशन से आये थे। लिस्ट मेरे पास है मैंने देखा नहीं कि कितने हरिजन हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन बी० डी० ग्रोज० की सर्विसेज १०, १५ साल की हो गयी है और जिनके करैक्टर रोल में भी किसी को कोई एतराज नहीं है, जैसा मंत्री जी ने कहा है, एक आध बी० डी० ग्रो० को मैं जानता हूं जिनका अच्छा काम है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो आधार उन्होंने बताया है उसको न मान करके उनके अधिकारी उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं ? और जो १०, १५ साल से सर्विस में हैं उनको दूसरे एम्प्लायमेंट में लेने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

१५, २० साल का सवाल तो इसलिये नहीं पैदा होता कि क्योंकि इतने दिनों का विभाग ही नहीं है। लेकिन बहुत से ए० डी० ग्रोज० है जिनको १५, २० साल हो चुके हैं और उनको जो प्रोमोशन दिया गया वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश हुए थे। मुझसे इस सम्बन्ध में कुछ बी० डी० ग्रोज० मिले थे तो मैंने कहा कि अगर किसी बी० डी० ग्रो० को एतराज हो कि उनके कैरेक्टर रोल में कोई खराबी नहीं है, या कोई गलत लांछन लगाया गया या न्याय नहीं किया गया तो वह अपना रिप्रेजेन्टेशन दे दें और जिन लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन दिये वह मैंने कमेटी के पास भेज दिये कि उनकी जांच कर ली जाय और तब आगे कार्यवाही की जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने पूछा था कि अनएम्प्लायड आदमियों के एम्प्लायमेंट की सरकार के पास क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष--

अब जो निकाले जायेंगे उनकी क्या व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती बेनीबाई (जिला झांसी)--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि निकाले गये बी० डी० ओज० ओवरएज हो चुके हैं, कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिल सकती है, सरकार अपनी पालिसी विदड्रा करेगी ?

श्री राममूर्ति--

जितने बी० डी० ओज० अपने विभाग से प्रोमोट हो कर आये हैं उनके बारे में खयाल किया जा रहा है, हो सकता है कि ऐज बी० डी० ओ० वह काम के लिये मुनासिब न रहे हों, लेकिन कोशिश की जा रही है कि उनके पेरेन्ट विभाग उनको वापस ले लें अपने काम पर। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मंत्री जी बतायेंगे कि जो बी० डी० ओज० निकाले गये हैं इनमें १४, १५ लोक सेवा आयोग से आये हैं, सरकार १ महीने का नोटिस दे कर उनको नहीं निकाल सकती। फिर सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही क्यों की और इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट भी दाखिल हुई है तथा सरकार से जवाब तलब किया गया है। इसकी जानकारी क्या मंत्री जी को है ?

श्री राममूर्ति--

जहां तक रिट का ताल्लुक है हर एक को अधिकार है। लेकिन जहां तक कानून का सवाल है वह यह है कि लोक सेवा आयोग के सामने से भी ऐप्रूव्ड होकर कोई आदमी आता है तो जब तक उसकी नौकरी टेम्पोरेरी रहती है उस वक्त तक सरकार को अख्तियार है कि एक महीने की नोटिस देकर उसकी सेवा को समाप्त कर दे। जब सर्विसेज परमानेन्ट हो जाती हैं या हमारे यहां कनफर्म हो जाता है तो फिर जब तक सरकार चार्जशीट न लगाये, नहीं निकाल सकती है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जबकि उन्होंने बी० डी० ओ० को काम करने में नाकाबिल पाया और जबकि सारे प्रान्त में ये अफवाहें हैं कि इन लोगों ने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनवायी हैं और बहुत रुपया कमाया है जैसे कि १० परसेंट पी० डब्लू० डी० में लिया जाता है तो फिर ऐसे आदमियों को दूसरी जगह भेजने का सरकार क्यों कष्ट कर रही है ? मैं समझता हूं कि इस सरकार की राय में जो नाकाबिल है वे दूसरे विभागों में जाकर और नाकाबिलियत फैलायेंगे तो क्या यह उचित है ?

श्री राममूर्ति--

ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को समझ नहीं पाये हैं। मैंने अर्ज किया था कि जो बी० डी० ओ० इस विभाग में काम करने में नाकाबिल साबित हुये हैं वे मुमकिन है कि एग्रीकल्चर या कोआपरेटिव विभाग में ए० डी० ओ० की हैसियत से काम कर सकें, उस जगह पर काम कर सकने में मेरी समझ में कोई दिक्कत न हो। जहां तक बी० डी० ओ० का ताल्लुक है उसके बारे में मैं कह चुका हूं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

सरकार के १८ फांसदी रिजर्वेशन के आदेश हैं और सरकार हर विभाग में अछूतों के लिए १८ प्रतिशत सीट रिजर्व कराती है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में १२-१३ अछूत बी० डी० ओज० को इसलिए निकाला जा रहा है कि उनका और अधिकारियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है यद्यपि उनके काम में कोई कमी नहीं है ? और एक भी अछूत अब उनमें नहीं हैं ?

श्री राममूर्ति--

जब दोबारा भर्ती होगी तो जो परसेंटेज हरिजनों की निकाली गयी है वही परसेंटेज भर्ती में रखी जायगी। इसलिये यह सवाल बेकार है। अगर नाकाबिल निकाले जायेंगे तो उनकी जगह पर काबिल हरिजन ही रखे जायेंगे।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन बी० डी० ओज० के खिलाफ जांच हो रही है उनमें क्या कोई बी० डी० ओज० ऐसे हैं जो फर्रुखाबाद जिले में काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

मैं माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहता हूं कि इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है। सारा काम एक अफसरों की कमेटी देख रही है। मैं यह भी नहीं जानता कि कौन बी० डी० ओ० कहां है। कौन कहां हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को एतराज हो तो वह रिप्रेजेन्टेशन करवा सकते हैं उसको मैं देख लूंगा।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने जो १८ परसेंट का रिजर्वेशन कराया था उनमें से जिन हरिजनों को निकाला गया तो आपके कहने के मुताबिक उनकी पूर्ति कर दी गयी। अगर नहीं कर दी गयी तो आपको इस बात का क्या यकीन हो सकता है कि हरिजन की जगह पर हरिजन ही रखे जायेंगे ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

१०० बी० डी० ओज० को नोटिस दिये गये और उसमें २० पर सर्व हो गया और वे निकाल दिये गये। बाकी ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और स्टे आर्डर करा लिया। सरकार बतायेगी क्या उसके पास १५० की लिस्ट और है जिनको वह नोटिस देना चाहती है ?

श्री राममूर्ति--

यह गलत बात है कि १०० बी० डी० ओज० को नोटिस दे दिया गया है। नोटिस २० अथवा २२ आदमियों को दिया गया है। स्क्रुटनी का काम जारी है। जहां तक मुझे मालूम हुआ हाई कोर्ट को कोई रुकावट हम पर नहीं है। स्क्रुटनी पूरी हो जायगी तो और नोटिस दे दिये जायेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

केन्द्रीय सरकार ने कोई आदेश निकाला है जिसके मुताबिक इन बी० डी० ओज० को निकालने का काम हो रहा है। तो सरकार बतलायेगी कि वे कौन से आदेश हैं जिनके अन्तर्गत वह इस तरह का कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

मैंने यह नहीं कहा कि केन्द्रीय सरकार का आदेश है। केन्द्रीय सरकार के जो अफसरान तथा मिनिस्टर्स वक्तन फवक्तन आते हैं उनका यह आब्जर्वेशन था कि काम की प्रगति को देखते हुए ऐसा मालूम होता है कि हमारे अफसरान कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

जो कमेटी बी० डी० ओज० के कामों की देख-रेख करती है उसमें कितने हरिजन रखे गये हैं?

श्री बंशोधर पांडेय--

उसमें ३ ए० डी० सीज० हैं। उसमें कोई प्राविधान नहीं है हरिजन या गैर हरिजन का।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

क्या इस बात की जानकारी माननीय मंत्री को है कि कुछ अछूत बी० डी० ओज० की प्रमुखों ने उनके करेक्टर के बारे में शिकायत की है, इसी आधार पर अछूतों को निकाल दिया गया है ?

श्री राममूर्ति--

इसकी इत्तिला मुझे बिलकुल नहीं है।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)--

जिन बी० डी० ओज० को आफिसर्स के रिमार्क्स पर निकाल दिया गया है उनको जिला परिषद् के अध्यक्ष तथा सम्बन्धित प्रमुखों ने अच्छे रिमार्क्स दिये हैं तो क्या निकालते वक्त उनके रिमार्क्स पर भी खयाल किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी कह रहे हैं कि उनको खास आदमियों के बारे में सूचना नहीं है। आप पूछना चाहते हैं तो अलग से पूछ सकते हैं।

श्रीमती बेनीबाई--

क्या सरकार को जानकारी है कि नोटिस दिये हुए बी० डी० ओज० में से कितने के रिट आये हैं और उनमें कितने के एडमिट हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बजट के मौके पर जब मैंने ऐलान किया था कि १०० बी० डी० ओज० को वीड आउट करेंगे तो उस समय बड़ी तालियां पीटी गईं। लेकिन जब थोड़ों को निकाल रहे हैं तो पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी हो रही है ?

तारांकित प्रश्न

जल सुविधा के लिये झांसी बबीना योजना

*१--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि झांसी व उसके आस-पास के क्षेत्रों को झांसी-बबीना योजना द्वारा कब तक जल की सुविधा प्राप्त हो जायेगी व उक्त योजना का कार्य कितना बाकी है, क्या सरकार झांसी व उसके क्षेत्रों की जनता के पानी के महान कष्टों को देखते हुये उक्त योजना को पूरा कराने में कोई शीघ्रता करायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

झांसी व उसके आस-पास के क्षेत्रों को झांसी व बबीना योजना द्वारा जल की सुविधा योजना कार्यान्वित होने के पश्चात् ही प्राप्त हो सकेगी। उक्त योजना का लगभग आधा काय बाकी है, जो सन् १९६६ तक सम्पूर्ण होना है। इस योजना को यथासम्भव शीघ्रता से कार्यान्वित कराया जा रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झांसी-बबीना योजना जिस पर कार्य हो रहा है उस पर कितना-कितना रुपया प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार व्यय कर रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इस योजना पर सुरक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ११३.९४ लाख और प्रदेशीय सरकार द्वारा ८८.४२ लाख रुपया व्यय किया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें कितनी लम्बी लाइन डाली जा रही है और किन-किन स्थानों को पानी की सुविधा प्राप्त होगी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

यह माताटीला से लेकर झांसी शहर तक लाइन पड़ेगी, लम्बाई में नहीं बता सकता। लेकिन अभी तक बबीना तक लाइन आ गयी है और ८ लाख गलन प्रति दिन पानी जो वहां फौज के लोग रहते हैं उनको दिया जा रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा--

यह काम कब से शुरू हुआ है और इसको पूरा करने के लिये कितना समय निर्धारित है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

१९६२ से काम शुरू हुआ और १९६६ तक कार्य पूरा हो जायगा। इस योजना पर बहुत जल्दी कार्य हुआ है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल से लिखे गये पत्रों का संकलन

*२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना है कि नेहरू जी ने जिन जेलों में देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में जेल यातनाओं को भोगा था उनमें स्मारक स्वरूप उनके संगमरमर के चित्र लगाये जायं? यदि हां, तो एसे प्रदेश क किन-किन जलों में बनाने की योजना है?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि विभिन्न जेलों में जहां पंडित जवाहर लाल जी ने जेल यातनायें भोगी हैं यदि वहां संगमरमर की मूर्तियां लगाने की योजना नहीं है तो जेलों में उनके रहने के समय जो उनकी खतोकिताबत हुई है उनके संकलन करने की कोई योजना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

हमने आदेश दे दिये हैं कि जो जवाहर लाल जी ने खत लिखे थे अधिकारियों को और जो महत्वपूर्ण हैं उनका संकलन किया जाय और एक पुस्तिका के रूप में वे निकाल दिये जायं। यह कार्य शुरू हो गया है।

*३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

हाउसिंग ऐण्ड डेवलपमेंट बोर्ड

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाउसिंग ऐन्ड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से है और कब तक इसका निर्णय ले लिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

एक हाउसिंग ऐण्ड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना का प्रश्न पिछले डेढ़ वर्ष से शासन के विचाराधीन है। अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त बोर्ड को कब तक स्थापित किया जा सकेगा।

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बोर्ड के कौन-कौन और किन-किन योग्यताओं के सदस्य होंगे तथा बोर्ड को किन-किन प्रकार के भवनों के निर्माण करने में ऋण एवं सहायता देने का कितना-कितना अधिकार होगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

अभी यह बताना सम्भव नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

विलम्ब का कारण यह है कि विकास के कारण जो महापालिकाओं के सुपुर्द किये गये हैं उनमें से कौन से लिये जायं और कौन से न लिये जायं और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये हैं वे भी, सबके सब अभी तक मंत्रि-परिषद् के विचाराधीन हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यह प्रश्न मंत्रि-परिषद् की किसी उपसमिति के अधीन है या पूरी मंत्रि-परिषद् के और अगर पूरी मंत्रि परिषद् के हैं तो कब तक इसका निर्णय हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मंत्रि परिषद् में विचार हो रहा है। हम इस बात की भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कि और प्रदेशों में किस तरह के विधेयक और अधिनियम बने हैं।

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७--श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*८--९-श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)--

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ४०-४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

खाण्डसारी भण्डारों का निश्चलीकरण

*१०--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने खांडसारी के बारे में कोई नयी नीति अपनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है और इस नीति के परिणाम स्वरूप कुल कितनी खाण्डसारी विभिन्न जिलों से जखीरेबाजों के गोदामों से मिली है ?

रसद मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

जी हां । राज्य सरकार ने ९ जून, १९६४ को एक विज्ञप्ति जारी की जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसके पास खांडसारी के भंडार हों अपने भंडार को केवल उसी व्यक्ति अथवा उन्हीं व्यक्तियों तथा उसी ढंग से जिसको सम्बद्ध जिलाधीश निश्चित करे, बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खांडसारी की विभिन्न श्रेणियों के अधिकतम मूल्य भी निर्धारित कर दिये गये । तत्पश्चात् सरकार ने ९ जुलाई, १९६४ को एक दूसरी विज्ञप्ति द्वारा अधिकतम मूल्यों को पुनः निर्धारित किया । खांडसारी के जिन भंडारों का निश्चलीकरण फ्रीज किया गया उसका जिलेवार ब्योरा संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९१ पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

सूची में यह कि है ७३,३३८.७० मीट्रिक टन खांडसारी सरकार के पास है विभिन्न जिलों में तो क्या सरकार उसके वितरण के लिये कोई ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे गल्ले की दूकानों द्वारा जहां चीनी नहीं मिल पा रही है वहां उनको खांडसारी ही मिल जाय ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

उसका भाव निश्चित कर दिया गया है और जिलाधीशों को यह भी आदेश दे दिया गया है कि बल्क कंज्यूमर्स जैसे हलवाई वगैरह हैं उनको मिल की चीनी २५ प्रतिशत और ७५ प्रतिशत खांडसारी दी जाय। देहातों में भी अगर आवश्यकता किसी को हो तो उनको भी दी जाय। स्पेशल परमिट्स पर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स दे सकते हैं। इस प्रकार खांडसारी के वितरण की व्यवस्था की गयी है और खांडसारी दी जा रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जिस वक्त सरकार ने खांडसारी का वितरण अपने हाथ में लिया था उस वक्त उसकी कीमत १०६ से ११८ रुपये थी और क्या यह सही है कि डेपुटेशन के मिलन के बाद आपने उसकी कीमत १३०-१३८ रुपय मुकर्रर की और इसमें यहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त ने दखलन्दाजी की थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां, रिप्रिजेन्टेशंस आये थे कि कीमत कम है और लोगों को घाटा हो रहा है। तो उसमें कमियां बताने के लिये एक्सपर्ट कमेटी बिठायी क्योंकि बीच में रिट भी हो गयी थी। फिर बाद में बढ़ा कर १२७ दानेदार का कर दिया गया, सफेद क्रीमिश ह्वाइट का १२४ कर दिया गया और पीली वाली का ११७ तथा भूरी वाली का १०६ किया गया और बूरे के केस में १० रुपया और बढ़ाया गया ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, जो खांड़सारी की बोरियां सीज की गयी हैं, उसमें इटावे के सम्बन्ध में मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मानकर कि वहां खांडसारी बोरी बजाय १२० के १६० में बिकी है और इन बोरियों को रिहा करने में सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर ने १० रुपया बोरी रिश्वत ली है, इसकी जांच करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कहीं पर भी कोई भी शिकायत मेरे पास लिख कर भेजें तो इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जो सेकेंड और थर्ड ग्रेड की खांडसारी सीज की गयी और बरसात होने के कारण वह शीरे के रूप में बहना शुरू हो गई है, उसके बारे में मंत्री जी क्या सोच रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसमें पीले और भूरे रंग की खांडसारी रिलीज कर दी गयी है और सफेद वाली में १० पर्सेन्ट रिलीज कर दी गयी है।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खांडसारी सीज करने के आदेश अखबारों में पहले निकल गये और जिलाधीशों को बाद में गये, जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी खांडसारी चोरबाजारी में चली गयी और सीज नहीं की जा सकी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह इत्तला बिलकुल गलत है। आदेश बिलकुल ठीक टाइम पर चले गये थे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी पहली विज्ञप्ति ९ जून सन् ६४ को निकली और दूसरी ९ जुलाई सन् ६४ को निकली, इन दोनों विज्ञप्तियों में भाव तय किये गये वह किस टैक्निकल कमेटी के मूल्यांकन के आधार पर तय किये गये, और क्या मूल्यांकन उन्होंने किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

पहले तो यह कि किसी कमेटी ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्सपर्ट की राय पर किया गया। बाद को इसमें ऐग्रीकल्चर के डाइरेक्टर, केन कमिश्नर, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी फूड ऐंड सिविल सप्लाइज, और प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेन्टेटिव की कमेटी बनाकर ताकि उनको रूरल इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा-पूरा ज्ञान हो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रायों को लेकर तब इसको दोबारा किया गया।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को खांड के परमिट दिये जायेंगे उनको क्या सरकारी दूकानों पर जाना होगा या सीधे खांडसारी वालों से मिल जायगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

परमिट तो जिनको मिलेंगे वह ले लेंगे, जैसे हलवाई हैं वह ले लेंगे और बाकी जो रिलीज्ड हैं उसमें तो वह निर्धारित कीमत पर किसी को भी बेच सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

जैसा कि मंत्री जी ने बताया ७५ परसेंट खांडसारी रिलीज कर दी गई है और वह बाजार में पहुंच गयी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें खोल रखी हैं, उन पर कितनी खांडसारी पहुंची है, इसकी जांच वह करायेंगे ? एक छटांक भी खांडसारी सस्ते गल्ले की दूकानों पर नहीं पहुंची है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से बांटने का इसको कोई आयोजन नहीं है क्योंकि यह सीधे खांडसारी वालों से बल्कि कन्ज्यूमर्स ले लेते हैं और जिनको परमिट मिलता है वह ले लेते हैं ।

*११-१३--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

खाद्य तथा पूर्ति विभाग में निगरानी समिति

*१४--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में खाद्य एवं पूर्ति विभाग में किसी निगरानी समिति (विजिलेन्स कमेटी) की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी के निर्माण का क्या उद्देश्य था और क्या उक्त कमेटी अब भी कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

खाद्य तथा पूर्ति विभाग में निगरानी समिति की स्थापना, विभागीय कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के उद्देश्य से की गयी है । यह समिति अब भी कार्य कर रही है ।

*१५--श्री नाथूराम शिक्षक--

उक्त कमेटी ने कब तक क्या कार्य किया और (घ) उक्त कमेटी के सामने कौन-कौन मामले विचाराधीन रहे और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

उक्त समिति ने अब तक निम्नलिखित मामलों पर विचार किया और जहां आवश्यक समझा गया समिति के सुझावों के अनुसार कार्यवाही की गयी या आदेश जारी किये गये--

(१) दफ्तरों के लिये किराये पर लिये हुये मकानों के किराये की स्वीकृति देने में विलम्ब को दूर करना ।

(२) खाद्यान्नों को संग्रह करने तथा लाने ले जाने में होने वाली क्षतियों को कम करना ।

(३) रेलवे पर दावों के निपटारे के लिये शीघ्रता करना ।

(४) सचिवालय के रेन्ट कंट्रोल विभाग का निरीक्षण ।

(५) समपरीक्षा तथा निरीक्षण रिपोर्टों पर अविलम्ब कार्यवाही ।

(६) एक ही मकान में कार्यालय तथा निवास की व्यवस्था को समाप्त करना।

*१ --श्री नाथूराम शिक्षक---

जो मामले विचाराधीन रहे उनकी जांच कमेटी ने किस प्रकार की और क्या तथ्य सामने आये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

समिति के सामने कोई मामला ऐसा नहीं आया जिसमें किसी जांच करने की आवश्यकता पड़ी हो।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह समिति इसलिये बनायी गयी थी कि भ्रष्टाचार करने पर निगरानी रखे तो क्या कारण है कि जिला पूर्ति विभाग का एक भी भ्रष्टाचार का मामला इसके सामने नहीं आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह समिति गवर्नमेंट की नहीं थी बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने प्रशासन करने के तौर पर बनायी थी। हमसे इसका मतलब नहीं था। हमको इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स भी मालूम नहीं हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का ध्यान रखते हुये कि प्रदेश में खाद्य पूर्ति विभाग में बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो यह कमेटी बनाई गयी चीफ सेक्रेटरी की ओर से यह असमर्थ रही उस काम को पूरा करने में तो इस बात को समझते हुये कि यह भ्रष्टाचार की स्थिति समाप्त हो, अपने विभाग की स्वयं ही एक अपनी विजिलेन्स कमेटी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

अब तो सारे सूबे में एक विजिलेन्स बोर्ड बन रहा है उसके लिये अलग-अलग विभाग की कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी इस कमेटी में, जैसा कि वे अभी कार्य कर रही हैं, कुछ सार्वजनिक जीवन के कार्य करने वाले राजनैतिक स्तर के ऐसे लोगों को रखने की कोशिश करेंगे जिनका सरकार से कोई सम्बन्ध न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मुझे इस कमेटी की बाबत मालूम नहीं है। ऊपर से यह नहीं बनी है। यह नीचे से बनी है।

श्री टम्मनेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चीफ सेक्रेटरी यहां से बिना मंत्री जी की स्वीकृति के उनके विभाग की नीति सम्बन्धी आदेश दे दिया करते हैं और उन पर कार्यवाही करते हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह नीति के लिये नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों के लिये थी।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*१७--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने अत्यन्त बढ़ती हुयी महंगाई को देखते हुये उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों को इस प्रकार की हिदायत भेजी है कि वह अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करें जिस प्रकार कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

प्रथम भाग--जी नहीं। केवल कानपुर नगर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये नगरमहापालिका, कानपुर के प्रस्ताव पर दिनांक २८ जुलाई, १९६४ के शासनादेश द्वारा १५० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की भांति १ अप्रैल, १९६४ से ४५ रु० प्रतिमास की दर से महापालिका के कोष से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता। शहरी क्षेत्र को स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों पर विचार करने के लिये द्वितीय वेतन समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। उक्त समिति महंगाई भत्ते तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं पर भी विचार करेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दूसरी पे कमेटी कब तक स्थापित कर दी जायगी और उसका काम कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह विशेष समिति को फाइनेंस में भेजा गया है। जैसे ही उसकी स्वीकृति आ जायगी, इसे जल्दी से जल्दी नियुक्त कर दिया जायगा।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि आगरा नगरमहापालिका ने अपनी २६ जुलाई, १९६४ की बैठक में अपने कर्मचारियों को ५ रुपया महंगाई बढ़ाने का जो प्रस्ताव पारित करके सरकार को स्वीकृति के लिये भेजा है, उस पर क्या सरकार अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अभी तक यह हमारे पास नहीं आया, लेकिन अगर महापालिका समर्थ होगी और उसकी आर्थिक अवस्था ठीक होगी तो सरकार की तरफ से रुकावट डालने की कोई बात न होगी।

श्री चन्द्रजीत यादव--

आपने कहा कि कानपुर नगर महापालिका की स्थिति को देखते हुये स्वीकृति दे दी गयी है तो जब पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ५ रुपया बढ़ाया गया था और वह अस्थायी कर्मचारियों को भी दिया जा रहा है तो नगर महापालिकाओं को महंगाई भत्ता सरकार अपनी तरफ से क्यों नहीं दे रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

असल में महंगाई भत्ते का कुछ अंश सरकार को देना पड़ता है। अभी जो अंश हमें देना पड़ता है उसमें २ करोड़ रुपया प्रति वर्ष होता है। अगर इस ५ रुपये का भार हम अपने ऊपर ले लें तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि उसे दे सकें। इसलिये यह आदेश दे दि गये हैं कि जो नगर-

पालिकायें अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुये दे सकती हैं वे दें और नगरमहापालिका, कानपुर जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है उसनें मंजूर किया कि वह यह भत्ता देना चाहते हैं, इसलिये उनको विशेष परिस्थितियों के अनुसार स्वीकृति दे दी गयी है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जबतक यह दूसरी वेतन समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे उस वक्त तक क्या सरकार इन कर्मचारियों को कोई इंटेरिम रिलीफ देने की बात पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैंने अभी अर्ज किया कि यह म्युनिसिपल बोर्ड्स का मामला है । जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है यदि वह चाहें तो दे सकती हैं ।

*१८-१९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[४थे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी की रिपोर्ट

*२०—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल और जेल नियमों में सुधार के सम्बन्ध में गठित कमेटी ने ४०० पन्नों की एक रिपोर्ट १९६० में सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और उसके साथ एक ड्राफ्ट जेल मैनुअल भारत सरकार को सन् १९६० में प्रेषित किया है जिस पर विचार करके भारत सरकार ने अपने सुझाव समस्त राज्य सरकारों को हाल ही में भेजे हैं ।

*२१—श्री ऊदल—

क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वराष्ट्र मंत्रालय ने राज्य सरकार से जून, १९६४ में कहा है कि जेल मैनुअल में क्रांतिकारी सुधार करें या आवश्यकता होने पर माडल जेल मैनुअल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर बिलकुल नये सिरे से जेल मैनुअल का निर्माण करें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

भारत सरकार ने आल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी की सिफारिशों को यथासंभव कार्यान्वित करके जेल मैनुअल में आवश्यक संशोधन करने के लिये सुझाव दिया है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को सिफारिशों के साथ सरकार के पास कब भेजा और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१८ मई, १९६४ को भारत सरकार ने माडल प्रिजन मैनुअल की सिफारिशें अपनी टिप्पणी के साथ हमारे पास भेजी थीं जो हमारे यहां विचाराधीन हैं ।

श्री ऊदल—

इस पर कब तक अन्तिम फैसला हो जायगा और वह कब तक लागू होंगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

हम प्रयत्न करेंगे कि जल्दी ही निर्णय हो जाय।

*२२—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

इस्टेटिस्टीशियन और इस्टेटिस्टिकल आफिसर्स की ड्यूटीज तथा प्रोमोशन

*२४—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यकी) यू० पी० के कार्यालय में Crop Estimation Survey of Food Crop तथा अन्य Schemes में anctioned Statisticians के पदों तथा Land use Planning cell, Block Level SSurvey, I. A. D. P. Survey, में Sanctioned Statistical Officers के पदों की न्यूनतम योग्यताओं, duties एवं वेतन-क्रमों में क्या अन्तर है?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

उत्तर प्रदेशीय कृषि सेवा की द्वितीय श्रेणी की नियमावली में दी गयी न्यूनतम अनिवार्य योग्यताओं के अनुसार इन सभी पदों की न्यूनतम योग्यताओं तथा वेतन-क्रमों में कोई अन्तर नहीं है। इनकी duties संलग्न तालिका में दी गयी है जिनसे अन्तर स्पष्ट हो जायगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२ पर)

*२५—श्री रणबहादुरसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त दोनों पदों Statistical Officer and Statistician पर विभागीय promotion किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति का आधार क्या है और कुल पदों का कितने प्रतिशत विभागीय प्रमोशन द्वारा नियुक्त होगा?

श्री चरणसिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेशीय कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी की नियमावली के नियम ६ (३) के अनुसार अधीनस्थ कृषि सेवा से पदोन्नति द्वारा ये पद भरे जा रहे हैं।

उक्त नियमों में पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने के लिये कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं है।

*२६—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या यह सच है कि संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यकी) यू० पी० के कार्यालय में एक Statistician व चार Statistical Officers की जो जगह लोक-सेवा-आयोग यू० पी० द्वारा नहीं भरी गयी हैं उनमें से ३ पद विभागीय प्रोमोशन द्वारा भरे जायेंगे और दो लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायेंगे? यदि हां, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

यह सच है कि पांच अस्थायी पदों पर चुनाव होना है परन्तु यह सब पद संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यकी) उत्तर प्रदेश के कार्यालय में नहीं है। इनका विवरण निम्नप्रकार है :

(१) सघन कृषि जिला योजना, अलीगढ़ में स्टेटिस्टीकल आफिसर का एक पद।

(२) फील्ड आफिसर, नैनीताल का एक पद।

(३) भूमि संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, रहमानखेड़ा, में स्टेटिस्टीशियन का एक पद।

(४) लैन्ड यूज प्लानिंग सेल योजना में स्टेटिस्टीकल आफिसर का एक पद।

(५) ब्लाक लेबल एस्टिमेट्स की योजना में स्टेटिस्टीकल आफिसर का एक पद।

यह निश्चय हुआ है कि प्रथम तीन पद पदोन्नति द्वारा तथा शेष दो पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायं। परन्तु दोनों दशाओं में चुनाव लोक-सेवा-आयोग द्वारा ही होगा।

विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा के स्थायी सदस्यों को, जो कई वर्षों से उक्त सेवा में कार्य कर रहे हैं, प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीन अस्थायी पदों को पदोन्नति द्वारा भरने का निश्चय हुआ है।

भूमि संरक्षण विभाग में ओवरसियर

*२७—श्री विजयसिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण विभाग में कितने ओवरसियर इस समय कार्य कर रहे हैं और १ जनवरी, १९६२ के बाद कितने ओवरसियर ऐसे हैं जिन्होंने इस विभाग को छोड़ दिया है ?

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

इस समय २९ ओवरसियर कार्य कर रहे हैं। १ जनवरी, १९६२ के बाद ३४ ओवरसियर इस विभाग को छोड़ चुके हैं।

*२८—श्री विजयसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जो ओवरसियर्स इस विभाग को छोड़ चुके हैं, उनकी सिक्योरिटी अभी तक वापस नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी सिक्योरिटी एकत्रित की जा रहीहै, उनकी सिक्योरिटी शीघ्र दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जैसे ही सूचना प्राप्त हो जावेगी वैसे ही आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार जो ओवरसियर छोड़ चुके हैं, उनकी जिलेवार सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*२९–३०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

[३रे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ३८–३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३१–३२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जेल के सिपाहियों का वेतन तथा बन्दियों की खूराक

*३३—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन १९४७ से पुलिस सिपाहियों, हेड सिपाहियों और जेल वार्डरों, हेडवार्डरों की तनख्वाह क्रम से क्या है ? क्या जेल विभाग के उक्त कर्मचारियों का वेतन क्रम पुलिस विभाग के उक्त कर्मचारियों के वेतन क्रम के बराबर करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

वेतन क्रम निम्नलिखित है :—

	१९४७ से	१ जनवरी १९६२ से
	रु०	रु०
पुलिस कानिस्टेबिल ..	..	३०–१–४५ ४५–७०
हेड कानिस्टेबिल ..	..	५०–१–६५ ६५–९०
जेल वार्डर ..	..	३०–१–४५ ..
जेल हेड वार्डर ..	..	३०–१–४५ ..

तथा १० रु० का विशेष वेतन ।

जी हां । सितम्बर, १९६२ से सरकार विचार कर रही है ।

*३४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जेल के आम कैदियों के लिये जो दाल और कोयले का प्रति दिन का राशन मन्जूर है उसे बढ़ाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि ३ छटांक कोयला और आधी छटांक दाल पूरी नहीं पड़ती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, बंदियों की खूराक की मदों पर निरन्तर विचार होता रहता है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब सन् १९४७ में पुलिस हेड कान्सेटेबिल और कान्सेटेबिल की तनख्वाह और जेल के बड़े सिपाही और साधारण सिपाही की तनख्वाह में करीब करीब समानता थी तो इधर उस समानता के आधार पर उनके वेतन-क्रम को न ले जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

सरकार ने १३ जुलाई, १९६४ को एक वेतन समिति की स्थापना कर दी है और वह कार्यवाही कर रही है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

अभी माननीय मंत्री जी से, जैसा कि मैंने पूछा कि जबकि पुलिस के सिपाही और जेल के सिपाही का वेतन शुरू से समान चलता रहा है और इधर असमान हो गया है और साथ ही यह मालूम है कि जेल का सिपाही तो करीब-करीब २४ घंटे मेहनत करता है--दिन की ड्यूटी वाला तो ४/५ घंटे ही रहती किन्तु रात की ड्यूटी वाला तो सोलह-सोलह घंटे काम करता है--तो इनको शुरू में समान वेतन रख कर बाद में असमान रखने का क्या मतलब है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह असमानता दूर करने हेतु ही इस समिति का निर्माण किया गया है। मुझे आशा है कि यह असमानता दूर हो जायेगी।

श्री माताप्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे सिपाही जो जेल के हैं, क्या सरकार उन्हें पदोन्नति का अवसर भी प्रदान करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् १९४७ में जब उनका वेतन करीब-करीब समान था तो फिर इसे क्यों सरकार ने असमानता में परिणत कर दिया ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रही हैं कि उसी को दूर करने के लिये समिति का निर्माण किया है।

श्री मैनेजरसिंह--

क्या पुलिस की आमदनी बाहर से भी है बनिस्बत जेल के सिपाहियों के, इसलिये ऐसा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह असमानता जो जेल और पुलिस के कान्सेटेबिलों के बीच में ही नहीं है, राज्य के अन्य कर्मचारियों में भी है।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी प्रश्न ३४ के सिलसिले में बतायेंगी कि कैदियों को राशन की, खास तरीके से दाल और कोयले में, जहां पर संख्या १०० से कम है या २०० से कम है, कमी पड़ती है जिसके कारण कैदियों का पेट कटता है, तो क्या उनके राशन की बढ़ोत्तरी के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

राशन की कमी कतई नहीं है, केवल दाल और कोयले के लिये कहा गया है। इस पर विचार हो रहा है कि यदि वह कैदी अपने राशन के आटे का कुछ हिस्सा कम लें तो उनको दाल दी जा सके, ऐसी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

अगर कोयला बढ़वाने के लिये आटा कटवा दें तो कोयला तो पेट में नहीं जायगा, कोयला तो आटे को सेकने के लिये है, तो आटा आप न काटिये । क्या बिना आटा काटे कोयला और दाल बढ़ाने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैंने दाल के विषय में आटा काटने को कहा है, कोयले के विषय में नहीं । कोयले के लिये प्रश्न यह है कि तमाम कैदियों का एक जगह भोजन बनता है, इसलिये कोयला कम लगता है, अब ऐसा विचार किया जा रहा है कि थोड़े-थोड़े कैदियों के लिये अलग-अलग मेस बना दिये जांय, उसमें ज्यादा मिकदार हो जायगी कोयले की, इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---

सन् ४७ में जेल के वार्डर्स और पुलिस कान्सेटेबिल्स का एक वेतन क्रम था । पुलिस कमीशन बनने के बाद कान्सेटेबिल्स का काफी बढ़ गया है जो कि डेढ़ साल से उनको मिल रहा है । अब जेल कमीशन बना है जिसमें वार्डर के वेतन-क्रम की जांच होगी । तो जबकि दोनों के नेचर आफ वर्क एक हैं, वर्किंग आवर्स एक हैं, तो वार्डर्स को मंत्री जी कोई इंटेरिम रिलीफ देने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

क्योंकि समिति का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसलिये समिति की रिपोर्ट के पूर्व इस किस्म की कार्यवाही करना उचित नहीं होगा ।

देवरिया जिले से कैदी भागना

*३५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला से कोई कैदी जून, १९६४ में भाग गया है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण देते हुये बताया जायगा कि उक्त कांड पर क्या कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां । भागने वाले कैदी का विवरण संलग्न है ।

इस काण्ड के संबंध में आवश्यक जांच जिलाधीश देवरिया व अधीक्षक जिला जेल, देवरिया द्वारा की जा चुकी है । दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३ पर ।)

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कैदी भागा है और उसके जिम्मेदार जो लोग हैं उनके नाम बतायेंगे और साथ ही उनके खिलाफ कौन-सी कार्यवाही हो रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिस समय कैदी के भागने की इत्तला जेल अधिकारियों के द्वारा मिली उसी वक्त जिलाधीश ने जांच प्रारम्भ की और कुछ रिपोर्ट भेजी है जिस पर कार्य किया जा रहा है । उसमें कुछ लापरवाही वार्डर की भी कही जा सकती है या जेलर की भी कही जा सकती है । जो बाहर काम करने के लिये पौहार नाम का कैदी भेजा गया था उसकी निगरानी करने में वह असमर्थ रहे और वह भाग गया ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगी कि यह निश्चित नहीं हो सका कि जेलर दोषी है या वार्डर ?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि निश्चय नहीं है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

जेल के कानून के मुताबिक जिस कैदी को बाहर कार्य करने के लिये भेजा जाता है वह कम से कम सजा वाले को भेजा जाता है, जैसे किसी की तीन महीने की बाकी है तो भेजा जाता है, तो पुलिस या गुप्तचर विभाग ने क्या कार्यवाही की और उसकी सजा कितने दिन की बाकी है जो कैदी भागा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जेल मैनुअल के पैराग्राफ ९०१ के अनुसार उस कैदी को बाहर भेजा जा सकता था । इस कैदी को हल चलाने का बहुत अच्छा अनुभव था और उस कार्य के लिये उसकी आवश्यकता थी । अतः इसको भेजने में कोई अनुचित बात नहीं हुई है ।

श्री लखपतराम शर्मा--

यह भी बताने की कृपा करें कि क्या इस कैदी की खोज हुई ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह कैदी बिहार का निवासी है । इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है । अगर पकड़ा जा सका तो उत्तर प्रदेश की ही जेल में रखा जायेगा, और वहां पकड़ा गया तो बिहार की जेल में रखा जायेगा ।

खाण्डसारी का मूल्य

*३६--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ५ व ६ जून, १९६४ को सरकार ने प्रदेश में काफी खांडसारी को जब्त कर लिया और कहा कि १०४ रु० से ११२ रुपये के बीच पर क्वींटल भाव पर परमिट वालों को मिलेगा और फिर १७ जून, १९६४ को आदेश दिया कि ११८ रुपये २५ नये पैसा पर क्वींटल पर दिया जायगा और १९ जून, १९६४ को कहा कि कैबिनेट के फैसले तक उपरोक्त दाम पर बेचा जायगा और २५ फीसदी दाम से ज्यादा होलसेलर के यहां परमिट वाले देंगे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या सरकार को पता है कि अब तक न तो माल बट रहा है और न तो भाव ही तय हुआ ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी नहीं । ५ व ६ जून, १९६४ को सरकार ने प्रदेश में न तो खांडसारी जब्त की और नहीं यह कहा कि १०४ रु० से ११२ रु० के बीच प्रति क्वींटल भाव पर परमिट वालों को खांडसारी मिलेगी । खांडसारी के निश्चलीकरण (Freezing) के आदेश ता० ९-६-६४ को जारी किये गये थे ।

सरकार ने १७ जून, १९६४ को भी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया कि खांडसारी ११८ रु० २५ पैसे प्रति क्वींटल पर दी जायगी ।

उपभोक्ताओं से खांडसारी के नियंत्रित मूल्यों का २५ प्रतिशत अधिक इस कारण जमा कराया गया ताकि निकट भविष्य में यदि यह आवश्यक पाया गया कि दिनांक ९ जून, १९६४

को जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत खांडसारी के जो उच्चतम मूल्य निर्धारित किये गये थे उनमें कोई परिवर्तन किया जाये तो उचित समायोजन हो सके ।

सरकार को अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में खांडसारी के मूल्य निर्धारित किये जा चुके हैं और वितरण हो रहा है ।

श्री ऊदल--

९ जून, १९६४ को जो चारों किस्म को खांडसारी के रेट सरकार ने निर्धारित किये थे वे क्या थे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जो दानेदार खांडसारी थी उसका भाव ११९ रुपये प्रति क्वीन्टल, सफेद वाली के ११४.५० रुपये प्रति क्वीन्टल, पीली वाली के ११० रुपये प्रति क्वीन्टल और भूरी वाली के १०६ रुपये प्रति क्वीन्टल ।

श्री ऊदल--

जब ९ जून को मूल्य निर्धारित कर दिये थे तो लाइसेन्स वालों से २५ प्रतिशत अतिरिक्त रुपया क्यों जमा कराया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है, उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन दिया था कि उसका भाव और बढ़ाया जाय। तो यह सोचकर कि सम्भव है यह बढ़ जाय, उनसे २५ परसेंट जमा कराया गया था, वह बाद को एडजस्ट हो जाता है ।

संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यकी) कार्यालय में वेतन-क्रम

*३७--श्री जमीलुर्रहमान किदवई (जिला बाराबंकी) तथा श्री विष्णुप्रतापसिंह (जिला गोंडा)--

क्या सरकार संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यकी) यू० पी० के कार्यालय में १६-५-६४ को २००-३५० तथा इससे उच्चतर वेतन-क्रम में काम करने वाले कर्मचारियों की एक ऐसी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जिसमें कर्मचारी का नाम, पद का वेतन-क्रम, पद पर नियुक्त होने की तिथि, पद पर नियुक्ति का आधार, पद की निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यता तथा नियुक्त कर्मचारी की योग्यता का स्पष्ट उल्लेख रहे ?

*३८--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कर्मचारियों में से कौन-कौन किस-किस पद पर कब-कब लोक सेवा आयोग यू० पी० द्वारा अनुमोदित किये गये हैं और कौन-कौन अनुमोदित नहीं किये गये, कौन-कौन कर्मचारी लोक सेवा-आयोग के समक्ष भेजे ही नहीं गये और क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

वांछित †सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

*३९--श्री सुखदेवप्रसाद--

[४ बजे सोमवार के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†छापी नहीं गई ।

सहारनपुर में गेहूं का भाव तथा चीनी व सीमेन्ट की चोर बाजारी

*४०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर तथा प्रान्त के दूसरे जिलों में गेहूं तथा चना के थोक और खुदरा क्या-क्या भाव जिला अधिकारियों ने निश्चित किये हैं ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जिला अधिकारियों ने गल्ले के कोई भाव निश्चित नहीं किये हैं।

*४१--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या खाद्य मंत्री को जून, १९६४ के अन्त में प्रश्नकर्ता का एक तार इस विषय का मिला कि सहारनपुर जिला अधिकारी ने ७० पैसे किलो के हिसाब के खुदरा भाव बढ़िया गेहूं का निश्चित किया है और लोगों को उससे भारी असन्तोष है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी हां। प्रश्नकर्ता का इस आशय का तार मिला था, पर चूंकि जिला अधिकारियों ने कोई भाव निश्चित नहीं किये थे, अतः उस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

*४२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार जानती है कि सहारनपुर नगर में चीनी तथा सीमेंट के भारी अभाव के कारण ब्लैक में इनकी बिक्री होती है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करेगी तथा जांच करायेगी कि वह सामान कहां से आता है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

सहारनपुर में तीन हलवाई तथा दो पंसारी, चीनी की ब्लैक करते हुये पकड़े गये हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। हलवाइयों को अब खांडसारी दी जाती है। सीमेंट की चोर बाजारी का कोई मामला नहीं पकड़ा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहारनपुर में २८ रुपये मन, मुजफ्फरनगर में २४ रुपये मन, बुलन्दशहर में २४ रुपये मन और इसी तरह और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में २३ से साढ़े २४ रुपये का भाव जिलाधीशों ने निर्धारित किया था। क्या सरकार इसकी दुबारा जांच करायेगी कि डी० एस० ओ० ने क्या आर्डर किये और यहां गलत सूचना क्यों दी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जिलाधीश ने जो जवाब भेजा है वह हमने बताया। जिलाधीश ने लिखा है कि ब्रह्मदत्त मायर जी को कुछ भ्रम हो गया है और वे ७० पैसे प्रति किलो को ७० रुपये प्रति क्वीन्टल समझ बैठे हैं और २४.५० रुपये का भाव तो उन्होंने खुद किया था और २६ रुपये का बढ़िया किस्म का भाव था।

*४३-४५--श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--

[४थे सोमवार के किये स्थगित किये गये।]

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक द्वारा औषधि क्रय

*४६--श्री कन्धईलाल (जिला शाहजहांपुर)--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यू० पी० ने अपने स्टाफ के कैम्प के लिये १ जनवरी, १९६२ से लेकर ३० जून, १९६४ तक कितनी दवायें सरकारी खर्च पर खरीदीं ?

श्री चरणसिंह--

१ जनवरी, १९६२ से ३० जून, १९६४ तक मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक द्वारा सरकारी खर्च पर खरीदी गई दवाओं की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९४-९५ पर)

*४७-श्री कन्धईलाल--

क्या यह दवायें (Prescribed list) के अनुसार खरीदी गयीं ? अगर हां, तो उनको कहां इस्तेमाल किया गया और अगर (Prescribed list) के मुताबिक नहीं खरीदी गयीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--

संलग्न सूची में दी गई दवाओं में से कुछ (Prescribed list) के अनुसार हैं। और जो दवायें (Prescribed list) से भिन्न हैं उनके लिये निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की स्वीकृति उपलब्ध है। इन दवाओं का प्रयोग मुख्य वन्य जन्तु प्रतिपालक, वन्य जन्तु प्रतिपालक तथा जंगल के अन्य कर्मचारियों के लिये किया गया ।

*४८-५०--श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टरों का चुनाव

*५१--श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक ११-१२ मई, सन् १९६४ को सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के चुनाव के लिये खाद्य विभाग से बाहर के उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जी हां ।

*५२--श्री रामलखन शुक्ल--

क्या यह सच है कि दिनांक ७ दिसम्बर, १९४४ के जी० ओ० के अनुसार सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टरों का चुनाव मार्केटिंग इंस्पेक्टरों में से ही पदोन्नति के द्वारा होना चाहिये ? यदि हां, तो इस जी० ओ० के रहते उक्त चुनाव के किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त जी० ओ० को पुनः लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

७ दिसम्बर, सन् १९४४ के जी० ओ० के अनुसार सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टरों का चुनाव मार्केटिंग इंस्पेक्टरों में से ही केवल उस समय तक होता था जब तक सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर थे। सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद अब लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आ गये हैं अतः यह आवश्यक है कि ५० प्रतिशत पद बाहर के उम्मीदवारों द्वारा भरे और शेष ५० प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जायें ।

उपर्युक्त कारणवश ७ दिसम्बर, सन् १९४४ के जी० ओ० को पुनः लागू करने का प्रथम प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि विभाग कर्मचारी, श्री अब्दुल सत्तार खां संबंधित मकान व राशन कार्ड

*५३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सचिवालय के कृषि विभाग के सहायक श्री अब्दुल-सत्तार खां ने सचिवालय के एक कर्मचारी के मकान नं० ३६ (पुराना) जगत नारायण रोड, लखनऊ, और सरकारी कर्ज से खरीदे गये अपनी निजी मकान नं० १० मामा भांजे की कबर वजीरगंज, लखनऊ, को अपने नाम एलाट करा रखा है? यदि हां, तो दो मकान एक ही आदमी के नाम एलाट करने का नियमित आधार क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री अब्दुल सत्तार खां ने मकान नं० ३६ (पुराना) जगत नारायन रोड, जो उनके नाम एलाट था अब खाली कर दिया है और उसे मकान मालिक के हक में रिलीज कर दिया गया है। मकान न० १०, मामा-भांजे की कबर, वजीरगंज, लखनऊ, श्री अब्दुल सत्तार खां का निजी मकान है। अतः उसका उनके नाम एलाट होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*५४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब्दुल सत्तार खां अपने मकान नं०१० के चार कमरे १२० रुपये मासिक किराये पर चार आदमियों को उठाये हुये हैं और उसके २०० रुपये किराये वाले भाग पर स्वयं सपरिवार रहते हैं तथा अपने व अपने अविवाहित लड़के श्री जे० ए० खां के नाम उसी मकान के गलत यूनिटों के दो राशन कार्ड नं० जी–८६६/१६५२४ व जी ८७५/२२९७५ बनवाये हुये हैं? यदि हां, तो ऐसी जालसाजी के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्री अब्दुल सत्तार खां अपने मकान नं० १० के कुछ हिस्से में स्वयं रहते हैं और बाकी हिस्से को जिनमें मोटर गैरेज व आउट हाउस आते हैं चार आदमियों को किराये पर उठाये हैं जिनसे उन्हें ६७ रुपये किराया मिलता है ।

जहां तक राशन कार्ड का सम्बन्ध है, यह सही है कि उक्त मकान से दो राशन कार्ड बने हैं जिनमें एक श्री अब्दुल सत्तार खां और दूसरा उनके पुत्र श्री जमील अहमद खां के नाम से है। यह कार्ड गलत यूनिटों के बने हैं अथवा नहीं, इस प्रश्न पर जिलाधीश ने जांच के आदेश दे दिये हैं।

*५५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या यह सही है कि उक्त श्री अब्दुल सत्तार खां द्वारा उक्त मकान नं० ३६ (पुराना) जगत नारायण रोड, लखनऊ, का ७५० रुपये किराया न देने और उक्त मकान नं० १० में रहने के बावजूद उक्त मकान नं० ३६ को भी उनके नाम अलाट रखने के कारण उन्होंने उसे भी किराये पर उठाकर बहुत सा सामान गायब कराया जिसकी दिनांक २२ दिसम्बर, १९६३ को थाने में हुयी रिपोर्ट की नकल प्रश्नकर्ता के दिनांक २६ दिसम्बर, १९६३ के पत्र के साथ मुख्य मंत्री की सेवा में भेजी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इस आशय का माननीय सदस्य का एक पत्र थाने में हुयी रिपोर्ट की नकल के सहित प्राप्त हुआ है। मकान मालिक यदि चाहें तो बकाया किराये की वसूली के लिये और कथित सामान गायब कराये जाने के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। श्री अब्दुल सत्तार खां ने प्रश्नगत मकान खाली कर दिया है जिसे श्री तारा चंद्र के हक में रेन्ट कन्ट्रोल एन्ड इविक्शन आफिसर, लखनऊ, ने रिलीज कर दिया है।

*५६—श्री लखपतराम शर्मा—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५७—श्री लखपतराम शर्मा—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

खाण्डसारी भण्डारों का निश्चलीकरण तथा चीनी उपभोक्ता संघ, इलाहाबाद की मांगें

*५८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में खांड़सारी चीनी बचन पर प्रतिबन्ध लगा कर सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसका क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

प्रदेश के सभी जिलों में खांडसारी चीनी को बेचने पर प्रतिबन्ध लगा कर खांडसारी चीनी के उपलब्ध भंडारों का निश्चलीकरण (Freeze) कर दिया गया। ऐसा इसलिये किया गया ताकि चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी की कमी को पूरा किया जा सके और समुचित वितरण और यथोचित मूल्यों पर खांडसारी की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा इष्टकर था।

*५९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में जो चीनी का कोटा हलवाइयों तथा अन्य चीनी से सम्बन्धित सामान बनाने वालों को मिलता था उसमें कमी कर दी गयी है? यदि हां, तो किन-किन जिलों में और कमी करने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हलवाइयों आदि सभी बड़े उपभोक्ताओं का मासिक मिल चीनी का कोटा लगभग प्रदेश के सभी जिलों में कम कर दिया गया है। कारण यह है कि मार्च, १९६४ में भारत सरकार ने प्रदेश का मासिक कोटा २०,००० मी० टन से घटा कर १९,००० मी० टन कर दिया। परिणाम-स्वरूप प्रदेश के लगभग सभी जिलों का मासिक कोटा ५ प्रतिशत कम करना पड़ा। इस कमी की पूर्ति चीनी के बड़े उपभोक्ताओं के कोटे में कमी करके की गयी।

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के चीनी उपभोक्ता संघ की ओर से दिनांक ६ जुलाई, १९६४ का कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मांग लिखी है? यदि हां, तो मांगे क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

जी हां । मांगें इस प्रकार हैं ।

(१) मई सन् १९६४ के कोटे के अनुसार जून सन् १९६४ का शेष बल्क कन्ज्यूमर्स को पूरा कोटा दाना चीनी में दिया जावे क्यों कि काफी मात्रा में इस मास का कोटा वितरण बल्क कन्ज्यूमर्स को हो चुका है ।

(२) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त मासिक कोटे में से हम लोगों को कोटे का वितरण चीनी उपभोक्ता संघर्ष समिति की देखरेख में हो ए ' उन्हीं लोगों के मासिक कोटा का वितरण पश्चात् शेष कोटे का भी वितरण भी उन्हीं लोगों के ही देख रेख में हो ।

*६१-६३-कुमारी श्रद्धादेवी (जिला मेरठ)---

[३ रे सोमवार के लिये प्रश्न ४१-४३ के अन्तर्गत निर्धारित किये गये ।]

बुगरासी व सयाना टाउन एरियाओं में कृषि सुविधायें

*६४-श्री मुमताज मुहम्मद खां, श्री प्रेमसिंह तथा श्री मैनेजरसिंह---

क्या सरकार बतायेगी कि विकास खंड सयाना के टाउन एरिया बुगरासी व टाउन एरिया सयाना, जिला बुलन्दशहर, के उन कृषकों को जो कि उक्त टाउन एरियाज के कृषि क्षेत्रफल में काश्त करते हैं वही कृषि सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं, जो विकास खंड सयाना की ओर से उसकी ग्राम सभाओं के कृषकों को उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---

जी हां ।

अतारांकित प्रश्न

अल्प-आय-वर्ग-गृह-निर्माण योजना

१-श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्प-आय-वर्ग-गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत सन् १९५५-५६ से सन १९६३-६४ तक प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन शिक्षा संस्थाओं को कितना-कितना रुपया ऋण दिया गया है तथा यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

अल्प-आय-वर्ग-गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ से १९६३-६४ तक प्रदेश के जिलों की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं को दिये गये ऋण का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में लागू है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९६ पर)

पेय जल व्यवस्था

२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास प्रदेश के ऐसे गांवों की तालिका मौजूद है जहां पर पेय जल आसानी से नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था कब तक पूर्ण कर लेंगे तथा कितना रुपया व्यय करने की कुल योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। ऐसी सूची बनाने के निमित्त सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[हटा दिया गया।]

४-५—श्री बालोजी अग्रवाल—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

६—श्री बालोजी अग्रवाल—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

७-८—श्री बालोजी अग्रवाल—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

९-१०—श्री ऊदल—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।]

११-१२—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किये गये।

१३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[४थे सोमवार के लिये स्थगित किया गया।]

१४—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बस्ती जिले में सीमेण्ट वितरण

१५—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में माह मई, जून तथा जुलाई, सन् १९६४, में कितनी सीमेंट और जी० सी० शीट का कोटा एलाट हुआ है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मई, जून तथा जुलाई, सन् १९६४ में २,२९६ मेट्रिक टन सीमेंट का कोटा जिला बस्ती को एलाट हुआ। जी० सी० शीट का एलाटमेंट उपर्युक्त समय में कुछ नहीं हुआ।

१६—श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सीमेंट का वितरण कितना विकास खण्डों के द्वारा तथा कितना जिला अधिकारियों के द्वारा हुआ है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

९०५.७० मेट्रिक टन सीमेंट विकास खंडों के द्वारा और ५० मेट्रिक टन सीमेंट जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा वितरित हुआ है।

१७—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सीमेंट में से कितना मकानों के मरम्मत के लिये दिया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त जिले में मकान मरम्मत के लिये कोई कोटा निश्चित करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

५० मेट्रिक टन सीमेंट मकानों की मरम्मत के लिये दिया गया है। मकानों की मरम्मत के लिये कोई कोटा निश्चित करना संभव नहीं है। अपितु इस कार्य के लिये सीमेंट दिये जाने में प्राथमिकता दिये जाने के सरकारी आदेश हैं।

खाद्यान्न विषयक मुख्य मंत्री सम्मेलन

१८—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, सन् १९६४ के अन्तिम सप्ताह में अनाजों के बढ़ते हुये भावों को रोकने के हेतु भारत सरकार के सम्बन्धित मन्त्री के सभापतित्व में सारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री सम्मेलन में हुये निर्णयों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सम्मेलन में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेश की खाद्य स्थिति बतायी और खाद्य समस्या को हल करने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ। भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्री ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये। ऐसे कोई विशेष निर्णय नहीं हुये जिनकी सूची सदन में रखी जा सके।

वित्त मंत्री के स्थान की पूर्ति के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस आफ़ कामन्स में जब कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस्तीफा देता है तो कैबिनेट पूरी नहीं समझी जाती है और न इम्पैक्ट मानी जाती है। बहुत दिनों से माननीय कमलापति जी का फाइनेंस मिनिस्टर से इस्तीफा रहा और अब वह मंजूर भी कर लिया गया है। आज माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन को इत्तिला नहीं की और न जनता को ऐलान किया कि कौन इस पद पर काम कर रहा है और कौन मंत्री है। इसलिये सरकार सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं है। विधान सभा के लोगों में यह है कि कांग्रेस का चीफ तो बने हैं और इसलिये अब वह जगह कैसे भरी जायगी। बहुत से लोग तो हम मंत्री होंगे, हम मंत्री होंगे, इस प्रकार कह कर राजनैतिक संहिता के खिलाफ काम कर रहे हैं। जैसे गंदासिंह जी हैं, इधर के लोगों को उधर भड़काना चाहते हैं। उचित रूप से घोषणा होनी चाहिये कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न जो उठाया गया है कि कांग्रेस में लोग इस फिक्र में हैं कि हम मंत्री हों, ऐसे तो विरोध पक्ष में भी होता है और वे आपस में तय किया करते हैं कि कौन क्या होगा। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

रहा यह कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, तो मुख्य मंत्राणी सभी विभागों की अधिकारिणी हैं और इंग्लैंड में भी प्रोइम मिनिस्टर ओवर-आल कंट्रोल रखता है। जगह रिक्त होने का सवाल नहीं है। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसे जो सरकार बनाता है वह हीं देखता है, हमसे और आपसे कोई मतलब नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वरप्रसाद ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखा है कि यहां एक सम्प्रदाय का एक सम्मेलन हो रहा है। उसमें राष्ट्र-विरोधी वक्तव्य दिये जा रहे हैं। और साम्प्रदायिक उत्तेजना और तनाव उत्पन्न हो रहा है। यह भी उन्होंने लिखा है कि . . .

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

उस सम्मेलन में प्रेस को भी एलाउ नहीं किया गया है। उससे एक कांग्रेसी विधायक को वाक-आउट करना पड़ा। पूरे सम्मेलन में अध्यक्ष के भाषण में कोई भी जिक्र काश्मीर का या वह नहीं है। लखनऊ में आये दिन पाकिस्तानी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। सरकार का इससे निश्चित सम्बन्ध है। कम से कम मंत्री जी से एक वक्तव्य ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझे कहने नहीं दे रहे हैं। न सरकार का इससे कोई सम्बन्ध है और न यह निश्चित विषय है। अतः यह अस्वीकार किया जाता है।

कानपुर में गैस सिलिण्डर फटने से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में श्री रामसुन्दर पांडेय और श्री रामकिशोर जी की २ सूचनाएं आयी हैं, जिन्हें मैं पढ़े देता हूं।

न्यू काश्मीर ऐण्ड ओरियन्टल ट्रांस्पोर्ट कम्पनी, कानपुर के कार्यालय में रखा हुआ एक गैस सिलिन्डर दि० ९-८-६४ को ७। बजे शाम को फट गया, जिसके कारण कानपुर नगर में बात की बात में गैस फैल गयी और गैस के विष ने नयागंज से फूलबाग तक के मुहल्लों को आक्रान्त कर दिया और लोग घरबार, दूकान आदि को छोड़कर भागने लगे। लगभग ५०,००० व्यक्ति इससे प्रभावित हुए और बीसियों स्त्री बच्चे बेहोश हो गये। २ वर्ष पहले इस प्रकार की घटना घटी थी, जिस पर भारत सरकार के विस्फोटक विभाग के अधिकारी जांच करने के बाद सलाह दिये थे कि घनी आबादी में सिलिन्डर न रखे जावें, किन्तु उक्त सलाह को उक्त कम्पनी के अधिकारियों ने अनसुनी कर दी। फलस्वरूप ऐसी घटना घटी, जिसके कारण लोगों में असंतोष एवं क्रोध व्याप्त है।

माननीय रामकिशोर जी त्रिपाठी का भी इसी विषय में है।

माननीय मुख्य मंत्री जी, इसमें कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कल दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

कल इसके ऊपर वक्तव्य दिया जायगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत भुखमरी विषयक सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय काशीनाथ मिश्र और माननीय शिकायतें भेजी हैं कि रेवती ब्लाक, बलिया जिला, में रेवती दीआरा क्षेत्र में भुखमरी फैल

[श्री अध्यक्ष]

रही है। रेवती ग्राम के चौरिया मौजे में रामानन्द राय नामक व्यक्ति भूख से मर गया है। चन्द्रजीत जी ने कहा है कि पूर्वी जिलों की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है। देहाती क्षेत्रों में सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनाज जन साधारण को नहीं मिल रहा है। भूख से मरने की घटनायें भी आरम्भ हो चुकी हैं। ७५ प्रतिशत घरों में आधा पेट खाना खा रहे हैं। आजमगढ़ जिले में मुहम्मदाबाद मोहना क्षेत्र में एक हरिजन की लड़की भूख से मर गयी है..

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं पिछले ५ दिनों में आजमगढ़, बलिया और जौनपुर का दौरा करके आया हूं। ७५ फी सदी घरों में फाकाकशी हो रही है। कुछ इमली और कचवड़ के पत्ते नमक मिला कर इस्तेमल कर रहे हैं। पहले इन जिलों में बाढ़ से धान को हानि पहुंची और अब सूखा से परेशान हैं। मकई बरबाद हो गई है। मेरे क्षेत्र में हरिजन की एक लड़की भूख से मरी, जब पानी बरस रहा था तो उसके मां-बाप को मजदूरी नहीं मिली। हरिजन लड़की मुहम्मदाबाद गौना क्षेत्र में मरी। इस प्रकार की घटनायें पूर्वी जिलों में हो रही हैं। चूंकि परिवार को खाना नहीं मिल रहा है तो एक बुनकर ने परिवार की हत्या करने की कोशिश की। स्थिति बिगड़ रही है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी और खाद्य मंत्री मौजूद हैं। वे रोज सदन को सूचना दें कि कितना गल्ला कहां वे दे रहे हैं और क्या-क्या काम कर रहे हैं, अन्यथा बड़ी विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

अब इन सूचनाओं को माननीय खाद्य मंत्री के पास भेजता हूं। अब जो बात माननीय चन्द्रजीत जी ने कही है, वह विचारणीय है। इन सूचनाओं पर, किसी समय रोज या दूसरे दिन माननीय खाद्य मंत्री जी या माननीय मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य हो जाया करे तो माननीय सदन के सदस्यों को सूचना मिल जाया करेगी कि सरकार इस विषय में क्या कर रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

यादव जी ने जो प्रश्न उठाया है कि उनके क्षेत्र में एक लड़की भूख से मर गयी तो जानकारी इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्री जी या खाद्यमंत्री जी दें कि भूख से कितने मरे और कहां मरे, इसके बारे में भी सदन को जानकारी देने के आदेश आप दें।

श्री अध्यक्ष—

इसको वे देख लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैंने निश्चित रूप से लिखा है कि रामानन्दराय नामक व्यक्ति भूख से मर गया। इसके बाद भी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके बारे में सूचनायें हमारे पास आया करती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ४–४, ५–५ दिन से उपवास कर रहे हैं। मंत्री जी इस बात की भी जानकारी करायें कि जिन लोगों ने ४–४, ५–५ दिन तक उपवास करने के बाद चोटा, इमली के पत्ते या शकरकंदी आदि खा लीं और वे मर गये। लेकिन सरकार के डाक्टर ने यह रिपोर्ट दी कि वह भूख से नहीं मरे लेकिन उनको डिसेंट्री हो गयी थी तो सरकार इन लोगों के बारे में भी बतायें।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ से क्षति के संबंध में वक्तव्य

माल मंत्री के सभासचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

श्रीमन्, मैं क्रमसंख्या ६ और ९ दोनों के बारे में अपना वक्तव्य एक साथ ही दे देना चाहता हूं।

कतिपय माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, मथुरा और पर्वतीय जिलों में अत्यधिक वर्षा व बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट किया है। जिलाधीशों से जो रिपोर्ट प्राप्त हुयी है, उनसे यह प्रकट होता है कि परिस्थिति न तो भयावह है और न गम्भीर ही है।

२--यह स्मरणीय है कि नदियों की बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रति वर्ष घटित होती है। अतः बाढ़ से उत्पन्न स्थिति अंशतः सामान्य ही होती है। रिपोर्टों से यह प्रकट होता है कि घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक या यमुना में कहीं भी जल स्तर अधिकतम जल विन्दु तक नहीं पहुंचा। वे सामान्य जल विन्दु से ऊपर अवश्य पहुंच गयीं।

३--माननीय सदस्यों की सूचना के लिये वर्षा के आंकड़ों का संकलन संलग्न, विवरण पत्र नं० १* पर कर दिया गया है। इसके देखने से यह मालूम होगा कि बाराबंकी व बहराइच जिलों में वर्षा सामान्य से कुछ कम हुई। अल्मोड़ा में सामान्य से ३.६४" जल कम गिरा माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेख किये गये अन्य मैदानी जिलों में वर्षा सामान्य से अधिक हुयी। यह अधिकता ०.४० इंच (जौनपुर) से लगा कर ११.४३ इंच (गोरखपुर) तक है। इस वर्षा से जो जुलाई के महीने में निरंतर लगभग एक पखवारे तक चलती रही, कृषकों को बुवाई के कार्य में अवश्य कठिनाई हुई। कुछ स्थानों पर दुबारा बुआई करनी पड़ी। मक्का, सांवां और कोदों की फसलों की उगाने पर भी कुछ हानिकर प्रभाव पड़ा। मौसम साफ हो गया है और अब खरीफ की उपज पर कोई गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं प्रतीत होती।

यह अवश्य विचारणीय है कि रबी की फसल कमजोर होने के कारण कृषक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सामान्य बाढ़ का उस साहस से सामना करने के लिये तत्पर नहीं हैं, जैसे वे विगत वर्षों में करते थे। यह बात राज्य सरकार के ध्यान में है और बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जो भी सहायता उपलब्ध साधनों के भीतर की जा सकती है उसे करने को वह पूर्ण रूप से तत्पर हैं।

मकान गिरने व नाव डूबने की भी कुछ दुर्घटनायें हुयी हैं जिनसे ७ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी। १७ पशुओं की भी हानि हुयी। २,९१९ मकान या तो गिर गये या क्षति-ग्रस्त हुए।

प्रत्येक जिले की परिस्थिति का संक्षिप्त परिचय विवरण पत्र २** पर दे दिया गया है।

बाढ़ और वर्षा से उत्पन्न परिस्थिति के प्रति सरकार जागरूक है। लोगों को सहायता पहुंचाने की समुचित कार्यवाही की जा चुकी है। जुलाई के अन्त तक १९,८७,७५० रुपया की अहेतुक सहायता के लिये तथा ६,५७,८०० रु० अन्य कार्यों के लिये कमिश्नरों व जिलाधीशों को दिये जा चुके हैं जिनसे सहायता कार्य तुरन्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त ८४,२४० रु० जिलाधीशों को गांव सभाओं को नावें खरीदने या बनवाने के लिये सहायतार्थ देने के लिये दिया जा चुका है। १०.३१ पैसे प्रति क्वींटल एफ० ओ० आर० की रियायती दर से भूसा सप्लाई करने के लिये एक ठेकेदार की नियुक्ति की जा चुकी है। मकान बनाने के लिये आवश्यक सामग्री का वन भंडार रखने के लिये सम्बन्धित जिलाधीशों को समुचित धनराशि दी जा चुकी है। आपद्कालीन तकावी बांटने के लिये राजस्व परिषद् कमिश्नरों व जिलाधीशों को समुचित धनराशि दी जा चुकी है।

---

*देखिये नत्थी "च' आगे पृष्ठ ९७--९८ पर।

**देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९--१०१ पर।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

जैसा मैंने अपने नियम ५२ के प्रस्ताव में कहा था कि फ्लड सेन्टर्स पर गल्ले की दूकान नहीं खोली गयी है, जिससे भुखमरी की हालत बाढ़ क्षेत्र के रहने वालों की हो रही है, तो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उस तरफ कोई इशारा नहीं किया, इसलिये मंत्री जी बतायेंगे कि उसके बारे में उन्होंने क्या किया ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

बात यह है कि वह मुझसे सम्बन्ध नहीं रखता था और मुझे पूरी जानकारी नहीं थी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि गाजीपुर में सांवां और खरीफ की फसल नष्ट हो गयी है और यह भी कह चुके हैं कि रबी की फ़सल पाले से नष्ट हो चुकी है, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए कृषकों पर जो ५ प्रकार की वसूली चल रही है, कोआपरेटिव फ़र-टीलाइजर आदि की, उस को रोक देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

बाढ़ तो वहां है नहीं। यह तो माननीय सदस्य मानेंगे। लेकिन हमने ऐसे डायरेक्शन्स दे दिये हैं कि जहां रबी और खरीफ दोनों में ५० फ़ीसदी से ज्यादा नुक्सान हुआ है उन केसेज को देख कर कलेक्टर सस्पेंशन या रेमीशन के लिये रिपोर्ट दें।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी को ज्ञात है कि इस समय बलिया, बस्ती में गांव बाढ़ के कारण टापू बन गये हैं, लोग भूख की हालत में हैं और सस्ते गल्ले की दूकानें कम कर दी हैं, यानी १ ब्लाक में ३, ४ दूकानें खोली गयी हैं और प्रत्येक पर १,००० लोगों के कार्ड बनवाने की व्यवस्था की गयी है, यह कितना अनुचित है अतः इस बारे में राजस्व मंत्री व्यवस्था करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

इसकी सूचना नहीं है। यह दिक्कत है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, मंत्री जी ने वक्तव्य पढ़ा। मैं कल ही देख कर आया हूं इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बिलारी नदी, आमी नदी और बूढ़ी राप्ती में बाढ़ है कि नहीं ? अगर है, तो नावों की व्यवस्था क्या की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कलेक्टर से कह दिया कि इकट्ठा करें। लेकिन जो कुछ हो सकता है वह करते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि पूर्वी जिलों में रबी भी कमजोर हुयी है और खरीफ भी नष्ट प्रायः हो गयी है और कहा कि ५० फ़ीसदी से अधिक जहां खराब हुई हो वहां कलेक्टर को कहा है कि सरकारी लगान वसूल न किया जाय। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इस प्रकार करने के बजाय क्या सरकार ब्लैंक आर्डर इश्यू कर दे कि इस समय पूर्वी जिलों की जो स्थिति है व जहां फसल खराब हुयी है वहां पर सरकारी देय की जो वसूली होती है वह रोक दी जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं समझता हूं कि जो आर्डर हमने किया है वह काफी है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी की जानकारी में है कि सूखे से मकई की फसल और दूसरी फसलें खराब हो गयी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन्तजार कीजिए। बरसायेंगे पानी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, देवरिया जिले में भी परिस्थिति खराब है। और वहां भी फसलें खराब हुई हैं। क्या वहां का लगान भी मुल्तवी किया जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमने जरूरी अहकामात जारी किए हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है और उन्होंने दौरा भी किया था, कि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें खरीफ की पहली फसल खराब हुयी, रबी की हुयी और उनसे चकबन्दी टैक्स और लगान वसूल किया जा रहा है? तो क्या माननीय मन्त्री जी आदेश भेजने की कृपा करेंगे कि वहां पर वसूली स्थगित की जाय जब तक कि दूसरी फसल न आ जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने जो कहा कि हमने डायरेक्शन इश्यू कर दिए हैं कि हार्ड केसेज में देख लें और उनमें रैमिशन और सस्पैन्शन की रिपोर्ट दें। जहां तक चकबन्दी की वसूलयाबी का सवाल है, उसकी वसूलयाबी को हमने रोक दिया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है और वह यह कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आयी है उस क्षेत्र के लोगों को सवाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात जो है वह यह है कि बाढ़ के बीच में सूखे का प्रश्न ढकेलना गलत बात है।

श्री अध्यक्ष—

यह गलत है जिन्होंने सूखे के बारे में प्रश्न उठाया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आजमगढ़ के सम्बन्ध में रिपोर्ट में कहा है कि फसलों पर कुछ बुरा प्रभाव हुआ है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। कुछ प्रभाव ही नहीं हुआ बल्कि उस जिले की १६ आने फसल खराब हो गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी फिर से जांच करवायेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारे पास जो तहसीलदार वगैरह की रिपोर्ट आयी है उसी के आधार पर बयान दिया जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि गलत है तो फिर पूछ लेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आपने कहा कि सारे प्रदेश में जहां-जहां पर ५० प्रतिशत फसल खराब हो जायगी तो आप छूट देते हैं मगर मथुरा जिले में तो सारे ही जिले में ७० फीसदी फसल खराब हुयी है। आपके पटवारी रिपोर्ट देते हैं कि वहां पर २३-४० प्रतिशत ही खराब हुआ है इसलिये कि उसमें ५०

[श्री राधेश्याम शर्मा]

परसेन्ट से कम ही दिखाया जाय तो। क्या आप पटवारियों की रिपोर्ट को न मानकर तहसीलदार या और अधिकारियों से इसकी जांच करवायेंगे ताकि सही रिपोर्ट मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मथुरा नगरी सब जगत से न्यारी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आपने ५४ जिलों में सिर्फ १७ जिलों की रिपोर्ट पढ़ी तो क्या केवल १७ ही जिलों में नुकसान हुआ है ? बाकी जिलों के बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, क्या सवाल का यही जवाब है कि मथुरा नगरी तो तीन लोक से न्यारी है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने एक सूचना दी और वह सूचना यह है कि आपकी रिपोर्ट पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर आधारित है। इसके उत्तर में वे कहते है कि आप जो कहते हैं उसे लिख दें तो वे दिखलावेंगे कि वहां पर ५० प्रतिशत से या उस से ज्यादा हानि हुई है। यह उन्होंने कहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

यह जो आर्डर सरकार ने ५० प्रतिशत अथवा उस से ज्यादा नुकसान होने पर छूट देने के लिये दिये हैं तो इस आर्डर के मुताबिक कितने जिलों को छूट देने की रिपोर्ट उनके पास आई है ?

श्री हुकमसिंह विसेन--

इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

पूर्वी जिलों में खासतौर से बलिया में जहां बाढ़ और वर्षा से हजारों घर गिर पड़े हैं वहां गरीब लोगों को करकट और सीमेंट की पूर्ण रूपेण व्यवस्था कराने की कृपा की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

गरीब बेचारे सीमेंट कहां खरीद पायेंगे ? हम उनके लिये व्यवस्था करेंगे।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

हर साल बाढ़ और सूखे की जो समस्या प्रदेश के सामने पैदा हो जाती है उसको ध्यान में रखते हुये इस बात के लिये सर्वे कराया जायगा ताकि सूखे और बाढ़ से हानि न हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

फ्लड डिवीजन कायम है। जहां वाटर लागिंग होता है ड्रेनेज का इन्तजाम किया जाता है और रिसोर्सेज के अन्दर दरियाओं को भी रोकथाम की जाती है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

आजमगढ़ जिले में अरहर, चना और मटर रुपये में दो आने ही बचो और घोर वर्षा से बिलकुल ये फसलें नहीं जमीं और जो रिपोर्ट आई है वह सत्य से परे है। तो क्या माननीय मंत्री इसकी पुनः जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने पहले ही कह दिया अगर गलत होगी तो फिर जांच हो जायगी ।

श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)---

टेहरी गढ़वाल में जो वर्षा से क्षति हुई है, उसके एवज में लोगों को वहां क्या-क्या सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह तो बयान में पढ़ दिया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माल मंत्री ने बतलाया कि जहां ५० प्रतिशत फसल नष्ट हुई है वहां छूट देने के इंस्ट्रक्शन दिये गये हैं तो क्या उनको इत्तिला है कि किसानों के सारे ऐकरेज में छूट देने के इंस्ट्रक्शन हैं? और इस कारण यह संभव नहीं है कि किसी को एक पैसा भी छूट मिल सके ? एक किसान के पास यदि सारी एकरेज १० एकड़ है और ३ एकड़ में नुकशान हो गया तो यह कहना कि ५० प्रतिशत से कम नुकसान है और कोई छूट न दी जाय तो क्या माननीय मंत्री जी ३ एकड़ में ही सीमित रख कर अगर ५० प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकमसिंह विसेन---

जो नियम है उसके मुताबिक करेंगे ।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

मंत्री जी ने इस में इलाहाबाद का जिक्र नहीं किया है । हंडिया तहसील में पाले से बहुत ज्यादा क्षति हुई है । इसके दो हिस्से हैं एक गंगा का किनारा और दूसरा उत्तरी हिस्सा जहां नुकसान कम हुआ है लेकिन गंगा के किनारे वाले हिस्से में ज्यादा नुकसान हुआ है ।

श्री अध्यक्ष---

जिन-जिन जिलों के लोगों ने सूचनायें दी थीं उनके सम्बन्ध में ही यह स्टेटमेंट है । इलाहाबाद का प्रश्न नहीं किया गया था इसलिये उसका उल्लेख नहीं हो सकता ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

हमें ऐसा लगता है कि चश्मा लगाने के बाद आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है और ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं जिनके यहां बाढ़ भी नहीं आई और गांव भी नहीं डूबे हैं । हमारे यहां २०० गांव डूबे हैं । नियम ५२ का प्रश्न भी दिया लेकिन आप हमको मौका भी नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, वह बातचीत करने का तरीका नहीं है । यह बिलकुल गलत बात है । आप अपने शब्दों को वापस लीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

दुखिया कभी वापस नहीं लेता है ।

श्री अध्यक्ष---

आप वापस लीजिये ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

हम वापस नहीं लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन का ध्यान आपके व्यवहार की ओर आकर्षित करता हूं और आदेश देता हूं कि वे सदन छोड़ें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मैं नहीं छोड़ता ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उनको इंगित करता हूं ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि चन्द्रबली सिंह जी को एक दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित कर दिया जाय । चद्रबली सिंह जी ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह शोभनीय नहीं है । (व्यवधान) ।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

मैंने एक बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । मेरा सवाल यह है कि २०० गांव डूबे हुये हैं और १५ दिन से खाना नहीं पहुंचाया गया । नावें चल रही थीं । लेकिन एक-एक मल्लाह को हटा दिया गया जिस से २० नावें बन्द हो गई हैं और सारा यातायात ठप्प है । ऐसी सूरत में चश्मा लगाकर, आंखें नहीं हैं या मोतियाबिंद हुआ है, उसको दवा कराइये ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रबली सिंह जी को एक दिन के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य सदन छोड़ें ।

श्री रामसुदर पांडेय---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता था और आपका ध्यान भी दिलाना चाहा लेकिन मुझे दुख है कि आपने ध्यान नहीं दिया । माननीय चन्द्रबली सिंह जी गलत काम करें तो हमारे ऐसा व्यक्ति जो आपकी राय से इत्तफाक करता है और खड़ा होता है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है । आप कहने से नाराज हो जाते हैं । लेकिन आपने रूलिंग दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष---

एक बात सुन लीजिये ।

श्री रामसुदर पांडेय---

श्रीमन्, उनके मन में ऐसी बात क्यों हुई ? उनकी दफा ५२ की सूचना भी थी और उनका नाम भी छपा हुआ है और आपने रूलिंग दे रखी है कि जिनके नाम में सूचना होगी उसको प्रथम स्थान देंगे । जब वे २० बार खड़े हुये और आपका ध्यान उधर नहीं गया तो उहोंने गुस्से में कुछ कहदया । इस तरह से यदि आप काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा । हम आपकी कुर्सी का अप मिान करना नहीं चाहते हैं लेकिन कहना चाहते हैं कि आप इशारा कर चुके हैं कि जिन माननीय सदस्यों का नाम है उनको प्रथम स्थान देंगे । अगर आप उनको बोलने नहीं देते तो अगर गुस्सा हो कर आप से कहते हैं तो आप इतना गुस्सा दिखा दीजिये कि माननीय मुख्य मंत्री चाहती भी नहीं थीं और आपने उनको बराबर इशारा करके इंगित किया है और इस तरह की परिपाटी अगर चलती रहेगी तो ठीक नहीं रहेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय अध्यक्ष, व्यवस्था का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष—

पहले माननीय चन्द्रबलीसिंह सदन छोड़ें इसके पहले कुछ नहीं होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उसके सम्बन्ध में ही व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं । हाउस का जो डिसीजन हो गया है वह पहले चलेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये ।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने ३ बार इंगित किया और उसके बाद तब मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है आपके सचिव भी उनके पास गये । आपके इंगित करते ही मुख्य मंत्री को प्रस्ताव करना चाहिये था । इसके सीधे अर्थ यह हैं कि मुख्य मंत्री जी नहीं चाहती थीं । इसलिये उनका यह प्रस्ताव अमान्य होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री खड़ी हुई, उन्होंने प्रस्ताव रखा, जिसके सम्बंध में यह कहा गया कि हम अभी नहीं समझे और तब उन्होंने खड़े हो कर जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था उसको स्पष्ट किया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आपके सचिव किस लिये गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

पहले माननीय चन्द्रबलीसिंह सदन छोड़ें ।

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, कौंसिल हाउस गार्डस् को लाया जाय और पहले माननीय चन्द्रबली सिंह जी को सदन से हटाया जाय । उनको सदन छोड़ना पड़ेगा ।

(श्री चन्द्रबली सिंह सदन से बाहर नहीं गये । श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल की प्रार्थना पर भी माननीय सदस्य सदन से बाहर नहीं गये ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अध्यक्ष जी, मैंने आप से निवेदन किया था ....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कुछ कहा है उसके लिये मैं बतला दूंगा । पहले चन्द्रबलीसिंह सदन को छोड़ दें । मैंने एक मरतबा नहीं कम से कम ८ मरतबा उधर देखा, लेकिन चन्द्रबली जी नहीं खड़े हो रहे थे । श्री यादवेन्द्रदत्त दूबे जी खड़े हो रहे थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आप तो इस तरह से गुस्सा करते हैं । यह तो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से सिद्ध बात है कि जो आदमी खड़ा होना चाहता है और खड़े हो कर बोलना चाहता है ...

श्री अध्यक्ष---

मैं आप से कहूं कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया वह बिलकुल असंसदीय थे और उनको वापस लेना चाहिये था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अगर यह बात है तो मैं उनकी ओर से वापस लेना चाहता हूं । मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आप से बता दूं । मेरी किसी भी आदरणीय सदस्य से दुश्मनी नहीं है और न मैं द्वेष रखता हूं । अगर वे अपने आप समझते हैं कि गल्ती हुई है तो उनसे मेरा आग्रह है कि वे अपने शब्दों को वापस ले लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

लीडर की हैसियत से पांडेय जी क्षमा मांग रहे हैं, फिर ?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, माननीय सदस्य को कहना पड़ेगा । वह कह दें ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

दल के नेता की बात भी आप नहीं मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैं नहीं समझ पाया कि आप नेता हैं या वे नेता हैं ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप अध्यक्ष हैं या मुख्य मंत्री इस सदन की अध्यक्ष हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आप यह कह कर सदन का सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं आप से फिर निवेदन करना चाहता हूं और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय चन्द्रबली के हटाने के लिये किया गया है उसे वापस ले लें तो अच्छा है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार बोलने वालों के प्रति होना चाहिये वह नहीं हो रहा है और आपने एक नहीं बीसियों बार इस रूलिंग को दुहराया है कि जिस माननीय सदस्य के नाम से प्रस्ताव होगा उसको प्रमुखता दी जायगी । मैं महसूस करता हूं कि बार-बार वे खड़े हुये और आपका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ और इस गुस्से में अगर वे कोई बात कह गये तो मैंने उस बात के लिये क्षमा भी मांग ली उनके दल के नेता के नाते । लेकिन अगर फिर भी इस तरह का प्रस्ताव स्वीकृत आप कराते हैं तो आपके साथ बैठ कर इस सदन में काम करना कठिन है और इसके विरोध में ५ मिनट के लिये अपने दल के साथ वाक आउट करता हूं ।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मुझे भी दो शब्द कहने हैं । मैं, श्रीमन्, यह कहना चाहता था कि

श्री अध्यक्ष---

माननीय चन्द्रबली सिंह जी, मैं फिर आप से कहूंगा कि आप कृपा करके सदन छोड़ें।

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष---

यह जितनी बातें माननीय चन्द्रबली सिंह कह रहे हैं वह आउट आफ आर्डर है। निलम्बित सदस्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप निलम्बित हैं।

(कौंसिल हाउस गार्ड्स के शीघ्र उपलब्ध न होने पर)

पुलिस को बुलाइये और हटाइये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी मार्फत मैं अपील करूं, ...(शोर)..... विशेष कर उस समय जब कि सुप्रीम कोर्ट में लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट का मसला पेश है, कम से कम माननीय सदस्य को अपनी पार्टी के लीडर का अनुशासन मानना चाहिये और मैं यह समझता हूं कि आपकी भी शोभा इसी में है कि .....

श्री अध्यक्ष---

देखिये, इस पर बहस करने से कोई लाभ नहीं है .....

श्री दीपनारायणसिंह---

पुलिस को बुलाना उचित नहीं है। सदन को स्थगित कर दें थोड़ी देर के लिये ....

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सदन स्थगित है या कोई कार्यवाही चल रही है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रस्ताव है कि १५ मिनट के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय, ताकि माननीय चन्द्रबली सिंह के नेता स्वयं उनको समझा दें और शायद वह स्वयं चले जायं।

श्री अध्यक्ष---

देखिये, मैं मजबूर हूं। इस सदन की मर्यादा रखनी पड़ेगी। माननीय सदस्य को सदन छोड़ना पड़ेगा। उसके बगैर मैं सदन उठने नहीं दूंगा।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल पुलिस के सिपाहियों के साथ सदन में आये और माननीय सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयत्न करने लगे।)

एक सदस्य---

श्रीमन्, इस पुलिस को आप रोकें ..... (शोर) ....

श्री अध्यक्ष---

मैं मजबूर हूं। मैं आदेश दे चुका हूं कि पुलिस आये और उनको हटाये।

एक सदस्य---

श्रीमन्, आपने जो पहले व्यवस्था दी है, उस पर विचार करें ...

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था दी है लेकिन इस समय व्यवस्था यही है कि पुलिस माननीय चन्द्रबली सिंह को हटाये यहां से। (शोर)

[× × × ×] अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

एक सदस्य---

इस प्रकार की कार्यवाही करके आप बिगड़ी हुई प्रदेश की स्थिति को और बिगाड़ने में जोर न दें ।

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे ।)

श्री अध्यक्ष---

ज्यादा शोभा तो यह थी कि आप स्वयं ही कोशिश करते कि वह जाएं यहां से ।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार मार्शल पुलिस के सिपाहियों की सहायता से श्री चन्द्रबली सिंह को सदन से बाहर ले गये ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, मैं भी कुछ दिनों से जो यहां पर प्रश्न होते हैं उनके उत्तर बड़े ध्यान से सुनता रहता हूं । मेरा खयाल है कि आज जिस प्रकार की प्रदेश में व्यवस्था है उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि वह उचित उत्तर नहीं देती और आप भी हमारे हितों की रक्षा नहीं करते । इसी कारण यहां पर अव्यवस्था उत्पन्न होती है उसमें हमारे हितों की रक्षा नहीं होती, उनके ही हितों की रक्षा होती है । अभी माननीय मुख्य मंत्री आपके सामने तीन मर्तबा खड़ी हुईं उस सम्बन्ध में हमारी ओर से व्यवस्था मांगी गई लेकिन आपने उस पर भी अपनी कोई व्यवस्था नहीं दी । यह बड़े दुख की बात है और हमारे हृदय में इसका दुख है कि आप से व्यवस्था मांगने पर भी आपने व्यवस्था नहीं दी । इससे हम महसूस करते हैं कि हमारे हितों की रक्षा नहीं होती है उनके हितों की रक्षा होती है । अभी उधर से कह दिया कि मथुरा तो तीन लोक से न्यारी है और बस्ती के बारे में कह दिया कि यह मजिस्ट्रेट ने कहा है, तो इस तरह के उत्तरों से हमारे हितों की रक्षा नहीं होती है । इसलिये हम भी इसके प्रोटेस्ट में ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

मैं एक बात, श्रीमन्, जानना चाहता हूं । ऐसा इस सदन में निश्चित हुआ था कि अगर कोई माननीय सदस्य आपके द्वारा इंगित होता है और सदन वह छोड़ता नहीं है, इंकार करता है और शक्ति के इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो उसको निकालने के लिये सदन के गार्ड आयेंगे न कि पुलिस । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आज आपने पुलिस इस सदन में बुलाई है वह उस निश्चय के अनुरूप नहीं बुलाई और इस परिस्थिति में गार्ड क्यों नहीं बुलाये गये ।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस बात का यत्न कर रहा था कि हमारे सदन के गार्ड हों जो असेम्बली से सम्बन्धित हों । उस सम्बन्ध में कुछ लिखा-पढ़ी हुई और कुछ योजना भी बनी लेकिन अभी तक वह सम्पन्न नहीं हो सकी । मैं इस समय भी नहीं चाहता था कि पुलिस आये लेकिन चूंकि गार्डों का प्रबन्ध इस समय नहीं हो पाया इस वजह से मुझे मजबूर होकर कहना पड़ा कि पुलिस आये । विलम्ब हो रहा था और एक सदस्य ने यह प्रश्न उठा भी दिया था कि क्या सदन निलम्बित है या कार्य हो रहा है । इस कारण से जल्दी के कारण मैंने यह आदेश दिया कि अगर गार्डों की व्यवस्था नहीं हो रही है तो पुलिस को बुलाया जाय लेकिन पुलिस का अन्दर आना मैं स्वयं अच्छा नहीं समझता । हाउस गार्ड्स का प्रबन्ध नहीं हो पाया इस वजह से मजबूर हो कर मुझे पुलिस को बुलाना पड़ा ।

मैं यह सोच रहा था कि मैं यह निवेदन करूं कि सारे जिलों से सूचना यहां आ गई है तो अलग-अलग आप प्रश्न कर ल ।

श्री मुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

मैं पहाड़ी जिलों के बारे में चाहता था ।

श्री अध्यक्ष---

अब सारे जिलों से सूचना आ चुकी है, तो आप अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

मैं चाहता हूं कि इसके लिये समय निश्चित कर लिया जाय । ताकि इसके ऊपर अपने-अपने दृष्टिकोण से अपनी मुकामी सहूलियत के साथ लोग पूछ सकें । मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से दस्तबस्ता दरख्वास्त करूंगा कि माननीय हुकुम सिंह से एसे प्रश्नों के उत्तर न दिलाय। ऐसी स्थिति के अन्दर उनके जवाब मखौल की शक्ल में होते हैं । इस वजह से उनस वह जवाब न दिलवायें।

श्री अध्यक्ष---

मैं कह रहा था कि आप लोग अलग-अलग अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर ल जिनको मैं स्वीकार कर लूंगा और उनका उत्तर आपको समय से मिल जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)----

ऐसा पता चला है कि विधान सभा की कार्यवाही कुछ दिनों के लिये स्थगित होने जा रही है । अगर ऐसा हो तो भविष्य का कार्यक्रम बतला दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसके लिये बयान दिलवा दूंगा । यह समाप्त हो जाय ।

श्री मैनेजरसिंह---

मैं यह जानना चाहता हूं कि आप ऊंचे आसन पर बैठे हैं और ऐसी स्थिति में अगर कोई सदस्य आपका ध्यान आकर्षित न कर सके और उसकी सुनवायी न हो तो वह क्या करे ।

श्री अध्यक्ष---

मैं निवेदन कर दूं कि अगर गलत तरीके से भी ध्यान आकर्षित किया जाय और मेरा हृदय कह दे कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं उनको समय जरूर दूंगा । मैं अपन सामन निशान लगाये बैठा था कि जो माननीय सदस्य सूचना दिये हैं उनको जरूर समय दूंगा । अगर वह खड़े होते तो उनको समय देता अवश्य ।

श्री मैनेजरसिंह---

यह बीच का राड देखने में बाधक होता है ।

श्री अध्यक्ष---

इसको हटा दिया जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा---

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प सूचित तारांकित प्रश्नों के १५-१५ दिन में उत्तर दिये जाते हैं । तो जैसा आपने कहा, उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—

अगर मेरे ध्यान में वह बात लायी जायगी तो मैं नियमों के अन्तर्गत जहां तक सम्भव होगा आपको रिलीफ दिलाऊंगा ।

नारायणी नदी के कटाव से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन्, नैपाल बांध, जो ७ मील लम्बा है, उसके दक्षिणी भाग का लगभग एक मील हिस्सा अभी तक नहीं बन सका है । यह भाग नैपाल सरकार के जंगलात में पड़ता है और इसकी सफाई बरसात के पूव नहीं हो सकी थी । इस अपूण भाग से होकर २०० से ३०० क्यूजेक्स तक पानी ३ दिन तक बहता रहा जब कि नारायणी नदी में ३.५ लाख क्यूजेक्स की बाढ़ आयी थी इस प्रकार बहा हुआ पानी पुनः नारायणी नदी में चला गया और उससे धन और जन की कोई क्षति नहीं हुई और न तो नारायणी नदी में ही किसी प्रकार का कटाव हुआ है । गोरखपुर, महाराजगंज और फरेंदा तहसील में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है ।

वास्तव में गंडक नदी की धारा का मुख्य प्रवाह (बी) प्वाइन्ट नामक स्थान पर बने हुये बांध पर पड़ता है जो नैपाल बांध से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नकर्त्ता महोदय का अभिप्राय उक्त बांध के कुछ भाग के नजदीक हो रहे नदी तट के कटाव से है । ऐसे कटाव की पहले से भी आशंका थी परन्तु इसके कारण मुख्य बांध तथा उससे बचाव के हेतु बने हुए ठोकरों को किसी प्रकार का खतरा नहीं है ।

विभागीय अधिकारी इन स्थानों पर उपस्थित हैं और उनसे मिली हुई सूचना के अनुसार किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

नैपाल बांध बनने के पूर्व ८ मील का जो बांध बनने वाला था उसके प्रति नैपाल सरकार और केन्द्रीय सरकार से समझौता हो चुका था । मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन् स्थिति, यह है कि वहां एक मील के करीब जंगल है । उस जंगल के अन्दर बहुत-सा हिस्सा तो ऊंचा है, थोड़ा-सा नीचा था । उसमें चूंकि पेड़ वगैरह हैं और नैपाल के जंगल विभाग द्वारा उसका कब्जा देना, मुआवजा वगैरह नहीं हो सका, इसलिये वह नहीं दिया जा सका और आज स्थिति यह है कि वहां किसी भी जगह अब पानी नहीं पहुंचेगा । वह नीचा स्थान भी बन्द कर दिया गया है ।

विधान सभा तथा उच्च न्यायालय के बीच विवाद के सम्बन्ध में जानकारी

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मद नं० ८ में दिया है माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा यदि कोई हो । मैं इस पर आपसे घोषणा चाहता हूं कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लेजिस्लेचर और हाई कोर्ट का चल रहा है, उसके सम्बन्ध में लेजिस्लेचर की तरफ से हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया कम्प्रोमाइज के लिये, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस कम्प्रोमाइज का क्या फारमूला है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कोई एप्रोच के लिये आदेश या रजामंदी किसी को नहीं दी ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

जो पैनल आपने बनाया है पैरवी के लिये, उसको आपने क्या यह पावर दिये हैं कि वह लेजिस्लेचर को बिना कन्सल्ट किये हुए फैसला सुप्रोम कोर्ट से कर ले ?

श्री अध्यक्ष--

कम्प्रोमाइज का कोई सवाल नहीं है । हमारा यह दावा है कि इस सदन को अधिकार है कि अवमान के प्रश्नों पर यह सदन अपना निर्णय दे और उन निर्णयों के सम्बन्ध में किसी अदालत को खंडन करने का अधिकार नहीं है । हमने अपने वकील से यह कह रखा है कि अगर इस दावे को विपक्षी स्वीकार कर ले तो फिर आगे क्या करना होगा, इसके ऊपर हम ज्यादा बल नहीं देंगे ।

श्री भगवान सहाय--

हमारा सवाल यह नहीं है । सवाल यह है कि जो पैनल आपने बनाया है, उसको क्या आपने कोई अधिकार दिया है....

श्री अध्यक्ष--

उसको हमने कोई अधिकार नहीं दिया है । जो मैं कहूंगा वही होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

नं० ६ पर क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--

६ और ९ दोनों पर वक्तव्य दे दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

९ मेरा रहा है इसलिये मैंने एक प्रश्न पूछा । तो फिर आपने समय नहीं दिया । अतः एक सुझाव मैं दे दूं और वह यह कि बस्ती के बारे में जो कहा गया है कि सिर्फ २-३ जगहों पर गल्ले की दिक्कत है । सिर्फ कागजी रिपोर्ट हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं स्वयं देख कर आया हूं और अधिकारियों से भी मिला हूं । मैंने स्वयं देखा है कि २५ गांवों में केवल २५ बोरा चना बांटा गया । और ३७ गांवों में, जिसको कि मैंन अपनी आंखों से देखा है, खाने को किसी को नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अभी सूचित किया है कि मद नं० ६ और ९ के सम्बन्ध में जो वक्तव्य हुआ है, उसके संबन्ध में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न आप कर सकते हैं ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

एक जुमला केवल मैं कह दूं....

श्री अध्यक्ष--

मैंने कह दिया कि आप तारांकित प्रश्न कर दें, आपका सवाल आ जायेगा ।

जिला जालौन के कालपी कस्बे में आटे के वितरण में अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य

*रसद मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)---

उत्पादन में कमी तथा खाद्यान्नों के बढ़ते हुए भावों के कारण इस समय जिला जालौन में ही नहीं, प्रदेश के सभी जिलों में खाद्य स्थिति गम्भीर हो गई है। परन्तु यह कहना कि भुखमरी की स्थिति है यह ठीक नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

आपने खाद्य मंत्री को जिस समय पुकारा उस समय सदन में सुचेता जी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी खड़े हुए और खाद्य मंत्री स्वयं बैठे रहे तो इन दोनो में से कौन जिम्मेदार व्यक्ति थे ?

श्री अध्यक्ष---

जो बोल रहे हैं। आप जारी रखें।

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जो आटा सस्ते गल्ले की दूकानों पर वितरण किया जाता है वह प्रदेश की रोलर आटा मिलों द्वारा विदेशी गेहूं से बनाया जाता है। मिलों को विदेशी गेहूं सीधे केन्द्रीय सरकार अलाट करती है। उनके उत्पादन के वितरण पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है। पिछले महीने में बन्दरगाहों से विदेशी गेहूं न आ सकने के कारण मिलों की सप्लाई में कमी हो गयी। अब तक नगरी क्षेत्रों की दुकानों से प्रतिदिन प्रति दूकान १० रु० का आटा बिना कार्ड मिल सकता था। यह सुविधा उन लोगों के लिए दी गई थी जिनके कार्ड न बन पाये हों अथवा वे जो उस क्षेत्र में थोड़े समय के लिए आये हों। खुल बाजारों में गेहूं के भावों में वृद्धि होने के कारण सस्ते गल्ले की दूकानों पर आटे की मांग बहुत बढ़ गयी। यह भी शिकायत सरकार के पास आई कि यह आटा वास्तविक उपभोक्ताओं को न मिल कर चोर बाजार में जाने लगा है। अतः ३० जुलाई, १९६४ से उक्त सुविधा समाप्त कर दी गई है। यह सुविधा केवल जालौन जिले से ही नहीं अपितु सारे जिलों से हटा ली गई है।

बन्दरगाहों से मिलों को गेहूं अब पहुंच रहा है। दूसरे, पंजाब से आटे के निर्यात-आयात पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है। ऐसी आशा है कि अब प्रदेश में आटा बहुतायत से मिलने लगेगा।

(इस समय श्री चन्द्रबली सिंह सदन में पुनः उपस्थित हुए और खड़े होकर भाषण देने लगे, श्री अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर चले जाने की आज्ञा दी किन्तु वे सदन से बाहर नहीं गये और भाषण देते रहे।)

श्री अध्यक्ष---

आप निलंबित हैं, आप कैसे आये हैं, आपको अधिकार नहीं है बोलने का।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

[* * * * *]

श्री अध्यक्ष---

श्री चन्द्रबली सिंह जी ने जो कुछ यहां आकर किया यह सदन का अवमान और सब बातें प्रिविलेज कमेटी के सामने जायंगी उचित कार्यवाही के लिए। मार्शल श्री चन्द्र बली सिंह को काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से बाहर ले जायें।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वक्तव्य

(मार्शल श्री चन्द्रबली सिंह को श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से सदन से बाहर ले गये।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। चन्द्रबली सिंह जी जो सदन में बोल रहे थे उसको आपने सदन का अवमान कहा। वह सदन में नहीं आ सकते थे लेकिन उनको सदन में किसी ने आने दिया। तो अवमान का प्रश्न आप किसके विरुद्ध लायेंगे ? चन्द्रबली सिंह पर लायेंगे या जिन्होंने उनको आने दिया उन पर लायेंगे। श्री चन्द्रबली सिंह दोषी नहीं हैं। जिन्होंने उनको आने दिया वह दोषी हैं। सदन के अवमान का प्रश्न उनके विरुद्ध चल सकता है, चन्द्रबली के विरुद्ध नहीं चल सकता। आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों के संबंध में वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

विधान सभा की बैठक दिनांक ४-८-६४ को सर्व श्री हरीश कुमार गंगवार, बसन्तसिंह तथा जगन्नाथ राव, सदस्य विधान सभा ने माध्यमिक शिक्षक संघ की ९ मांगों पर एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उपस्थित किया है, जिसमें प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का वेतन, महंगाई भत्ता, पेंशन, बीमा, प्राविडेन्ट फंड तथा सेवा सुरक्षा आदि की मांग निहित है।

माननीय सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रश्न में ९ मांगों का उल्लेख है। प्रादेशिक सरकार अध्यापकों की समस्याओं और मांगों के प्रति सदैव सजग रही है और सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करती रही है। समय-समय पर अध्यापकों की मांगों को यथाशक्ति पूरा भी किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के कोई निर्धारित वेतन-क्रम नहीं थे और न तो उनकी सेवा सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नियम ही थे। सन् १९४७ में शासन द्वारा नियुक्त वेतन समिति ने इन अध्यापकों के लिये सर्वप्रथम न्यूनतम वेतन-क्रम निर्धारित किये। वेतनक्रम के साथ-साथ इन अध्यापकों के लिये महंगाई भत्ते की भी व्यवस्था पहले पहल की गयी। अध्यापकों की सेवा सुरक्षा के लिये सरकार ने इंटरमीडियेट एजूकेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९५८ बनाया। इनकी नियुक्ति, पदोन्नति, दंड, अपील आदि से सम्बन्धित नियम बनाये गये, जिनके द्वारा व्यक्तिगत संचालित माध्यमिक संस्थाओं पर भी नियंत्रण हो गया। सन् १९५९ में शासन ने इन अध्यापकों के वेतनक्रम को बढ़ाने पर पुनः विचार किया और जुलाई, १९५९ से इनके वेतनक्रमों को बढ़ाकर राजकीय संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के वेतन क्रमों के अधिकाधिक समीप्य पहुंचाया। जुलाई, १९६२ से ३५० रुपये तक वेतन पाने वाले अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाकर २० रुपये मासिक कर दिया गया। इस प्रकार होने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त व्यय को प्रदेशीय शासन ने स्वयं अपने बजट से वहन किया है। इससे स्पष्ट है कि शासन ने अध्यापकों की मांगों तथा समस्याओं पर बराबर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और समय समय पर यथासम्भव उनका निराकरण भी करता रहा है। परन्तु शासन के समक्ष केवल ग़ैरसरकारी माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की ही समस्या नहीं है वरन् अन्य उसी स्तर के कर्मचारियों की भी उसी प्रकार की समस्यायें हैं। सके साथ उन समस्याओं पर जिनका सम्बन्ध आर्थिक साधनों से हैं शासन को एक सीमित क्षेत्र में विचार करना तथा निर्णय लेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

पड़ता है, क्योंकि प्रदेश की आय की भी एक सीमा है। वह असीम नहीं है। माध्यमिक शिक्षक संघ से प्राप्त मांगों का जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव में किया है, उनकी स्थिति निम्नांकित है ।

(१) लाभत्रयी योजना का लागू किया जाना--माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं में लाभत्रयी योजना लागू किये जाने के प्रश्न पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को प्राविडेंट फंड, पेंशन तथा बीमा की सुविधायें दिये जाने की व्यवस्था है। प्रदेश में वर्तमान समय में अध्यापकों को प्राविडेंट फंड की सुविधा तो प्राप्त है ही इस योजना के अन्तर्गत १ रुपये में ६ पैसे अध्यापक, ३ पैसे प्रबंधक तथा ३ पैसे राज्य सरकार देती है। पेंशन तथा बीमे के लिये सरकार की ओर से कोई विशेष व्यवस्था नहीं है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में उन अध्यापकों के आश्रितों के लिये ६ महीने के वेतन की ग्रेचुएटी की व्यवस्था की गई है, जिनकी मृत्यु असमय उनके सेवा काल में हो जाती है। इसके लिये शिक्षा बजट में २२ लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। लाभत्रयी योजना के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षक संघ के कुछ प्रतिनिधि गत वर्ष शिक्षा मंत्री से मिले थे और उन्होंने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की थी, जिसके लागू करने से उनके अनुसार शासन को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन करना न पड़े। इस योजना पर शिक्षा विभाग ने विचार किया तथा एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश से भी परामर्श किया, लेकिन यह पाया गया कि संघ द्वारा प्रस्तुत योजना में आंकन ठीक नहीं है। प्रादेशिक सरकार ने मद्रास राज्य में प्रचलित योजनाओं की रूप रेखा मगाई है और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की योजना लागू की जाय तो कितना खर्च होगा और वह किस प्रकार सफल रूप से चलाई जा सकेगी ।

(२) वेतनक्रम एवं महंगाई भत्ता सरकारी स्कूलों के समान दिया जाना--गैर--सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिये १९४७ में सर्वप्रथम अनिवार्य वेतनक्रम (मेंडेटरी पे स्केल) लागू किये गये थे । १९५९ में इन वेतनक्रमों को परिवर्धित किया गया और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के समीप्य लाया गया। इनमें जे० टी० सी०, सी० टी० और एल० टी० ग्रेड के अध्यापकों का वेतन सरकारी स्कूलों के उसी श्रेणी के अध्यापकों के बराबर कर दिया गया । केवल वार्षिक वृद्धि में थोड़ा-सा अन्तर है। इंटर कक्षाओं के अध्यापकों तथा हेडमास्टरों और प्रिन्सिपलों का वेतनक्रम उसी स्तर के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम के बहुत करीब पहुंचा दिया गया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हाई स्कूलों में मुख्य अध्यापक को छोड़ कर अन्य अध्यापकों की वेतन सीमायें वही हैं जो राजकीय स्कूलों के अध्यापकों की हैं। इंटर कालेज में केवल सहायक अध्यापक (पोस्ट ग्रेजुएट) और प्रिंसिपल की वेतन सीमा में थोड़ा-सा अन्तर है। लगभग ७५ प्रतिशत अध्यापकों की वेतन सीमायें सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन क्रम के बराबर हो गई। १९६२ में समस्त जे० टी० सी०, सी० टी० तथा इंटर कक्षाओं के अध्यापकों को तथा ३५० रुपये तक वेतन पाने वाले हेडमास्टरों तथा प्रिंसिपलों को २० रुपया मासिक महंगाई भत्ता स्वीकार किया गया ।

इस संदर्भ में यह निवेदन करना भी उचित होगा कि इन दो वर्गों--राजकीय एवं अराजकीय की शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के सेवा नियमों में भी मौलिक अन्तर है। राजकीय शिक्षा संस्थाओं के लिये चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा होता है और उनको प्रदेश भर में कहीं भी स्थानान्तरण किया जा सकता है। राजनीति में भाग लेना उनके लिये वर्जित है। वह किसी चुनाव में, जैसे विधान मंडल इत्यादि में, खड़े नहीं हो सकते हैं जबकि प्राइवेट माध्यमिक शिक्षा संस्था

के अध्यापकों का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। राजनीति में भी भाग लेना प्रायः उनके लिये वर्जित नहीं है। चुनाव में भी वह हिस्सा ले सकते हैं। राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को ५८ वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करना पड़ता है जबकि गैरसरकारी विद्यालयों के अध्यापक ६० वर्ष तक तो कार्य करते ही रहते हैं, उसके उपरान्त भी यदि उनका कार्य और स्वास्थ्य ठीक हो साधारणतया २ या ३ वर्ष का सेवा विस्तरण प्राप्त हो जाता है। इसका यह आशय नहीं है कि उनकी मांग के औचित्य पर विचार न किया जाय किन्तु यह संकेत कर देना भी उचित ही प्रतीत होता है कि दोनों की आर्थिक उपलब्धियों में असमानता के साथ-साथ सेवा नियमों और प्रतिबन्धों में समानता नहीं है।

(३) बोर्ड की परीक्षा के पारिश्रमिक कार्य माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को ही दिये जायं—बोर्ड की परीक्षा का पारिश्रमिक कार्य इस समय भी बहुत हद तक माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को दिया जाता है। केवल थोड़ा-सा कार्य विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज के अध्यापकों को भी दिया जाता है। ९६.८ प्रतिशत सहायक परीक्षक, ९६.५ प्रतिशत सारणीयक, ९१.६ प्रतिशत उप प्रधान परीक्षक तथा ६५.३ प्रतिशत प्रधान परीक्षक माध्यमिक शिक्षकों में से १९६२ की परीक्षा में हुये थे। परीक्षा कार्य को बांटने में मुख्य ध्येय यह है कि परीक्षा का स्तर ऊंचा रहे और सही और सुचारुरूप से संचालित हो।

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, ठीठासीन हुए।)

(४) ग़ैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों के लिये वेतन आयोग नियुक्त किया जाना—जैसे कि स्पष्ट किया जा चुका है, गैरसरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतनक्रम १९४७ में नियुक्त 'पे कमेटी' की सिफारिश पर निर्धारित किया गया था और १९५९ में उन वेतन क्रम को शासन ने पुनः परिवर्धित किया। ऊपर यह भी निवेदन किया जा चुका है कि माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में राजकीय अध्यापकों के वेतन में अन्तर हेड मास्टर को छोड़कर केवल इंटरमीडियट स्तर पर ही है। अतः प्रश्न का विस्तार इतना नहीं है कि किसी आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक हो।

(५) इन्टरमीडियट एजूकेशन ऐक्ट का पालन सख्ती से और तत्परता से किया जाना—शासन तथा शिक्षा विभाग इस सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और इंटरमीडियट ऐक्ट के प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित कार्यवाही बराबर की जा रही है। कुछ प्राविधानों के सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों के अनुभव से यह पाया गया है कि उनके अनुसार कार्यवाही करने में कहीं-कहीं रुकावटें आती हैं। अतएव, शासन इस बात पर विचार कर रहा है कि गत वर्षों के अनुभव के आधार पर वर्तमान ऐक्ट में आवश्यक संशोधन किये जायं। आशा है कि शीघ्र ही विधान मंडल के समक्ष यह संशोधन लाये जा सकेंगे।

(६) किसी भी अध्यापक का वेतन १०० रु० से कम न हो।

साधारणतया इस मांग में औचित्य यदि हो तो भी प्रदेश के वर्तमान आर्थिक साधनों को देखते हुए इस मांग को व्यावहारिक रूप देना संभव नहीं है।

(७) जे० टी० सी० ग्रेड के अध्यापकों को वही सुविधायें दी जायं जो सी० टी० ग्रेड में कार्य करने वाले अध्यापकों को दी जाती हैं।

यद्यपि यह मांग बहुत स्पष्ट नहीं है, यह निवेदन कर देना उचित होगा कि सामान्यतः दोनों वर्गों के अध्यापकों की सुविधायें समान हैं, केवल उनके वेतन क्रम में अन्तर है, क्योंकि जे० टी० सी० की शिक्षा सी० टी० की शिक्षा से भिन्न है। जे० टी० सी० के प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है जबकि सी० टी० के प्रदेश की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडियट है। ट्रेनिंग स्तर में भी अन्तर है। इसलिये वेतन-क्रम में अन्तर है।

(८) म्यूजिक, होम साइंस, स्टेनो आदि विषय वाले अध्यापकों को वही वेतन दिया जाय जो उन कक्षाओं को पढ़ाने वाले अन्य अध्यापकों को दिया जाता है।

[श्री कैलाशप्रकाश]

प्रत्येक कक्षा को म्यूजिक, होम साइंस तथा अन्य विषयों के पढ़ाने की न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित है। निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाला अध्यापक उस कक्षा को पढ़ाने के लिये मान्य है। परन्तु इस आधार पर उसे किसी कक्षा के पढ़ाये जाने का वेतन-क्रम नहीं दिया जाता। प्रत्येक अध्यापक को उसकी योग्यता के आधार पर ही वेतन क्रम दिया जाता है। जैसे यदि कोई अध्यापक एक विषय इंटर कक्षाओं को पढ़ाता है और वह उसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हो तभी उसे लेक्चरर ग्रेड मिलेगा। इस सिद्धांत के अनुसार अभी हाल में शासन ने उन इंटर कक्षा के कला अध्यापकों को लेक्चरर वेतन क्रम देने का आदेश दिया है, जिन्होंने कला में पोस्टग्रेजुएट डिग्री, जो कुछ विश्व विद्यालयों ने अब देना आरम्भ किया है, प्राप्त कर ली है।

(९) माध्यमिक अध्यापकों की अवकाश प्राप्ति की आयु कम से कम ६३ वर्ष हो--

वर्तमान नियमों के अनुसार ग़ैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की अवकाश प्राप्ति की आयु ६० वर्ष है। उसके उपरान्त वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पाये जाते हैं या उनकी योग्यता रखने वाले अध्यापकों की कमी पायी जाती है तो साधारणतया २ या ३ वर्ष तक उनका सेवा काल बढ़ा दिया जाता है। नियमानुसार सभी अध्यापकों की अवकाश प्राप्ति की आयु ६३ वर्ष कर देना हितकर प्रतीत नहीं होता। राज्य सरकार के कर्मचारियों की अवकाश प्राप्ति की आयु साधारण रूप से ५५ वर्ष है, परन्तु वे ५८ वर्ष तक सेवा काल में रखे जा सकते हैं। इसके बाद उनकी सेवा काल में वृद्धि का कोई प्राविधान नहीं है।

इस सन्दर्भ में बहुत नम्रतापूर्वक मैं यह निवेदन करना उचित समझता हूं कि अध्यापकों की ओर से कोई प्रदर्शन संभवतः उनके आदर और सम्मान के अनुकूल नहीं है। जहां तक शासन का संबंध है, उनके समक्ष ऐसे प्रदर्शनों से उनकी मांग के औचित्य पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है। अध्यापकों और विद्यार्थियों के पारस्परिक संबंध को उचित रूप में बनाये रखना शिक्षा की दृष्टि से अति आवश्यक है और ऐसे प्रदर्शनों का सम्भवतः प्रभाव विद्यार्थियों पर अच्छा नहीं पड़ता। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों की जो भी मांग हैं शासन सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करता रहता है और करने को तैयार है। समय-समय पर संघ के प्रतिनिधियों और शासन के बीच विचार-विनिमय होता रहता है। अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि विधान परिषद् में हैं जहां वह समस्याओं को उपस्थित करते रहते हैं। विधायक मंडल की स्थायी समितियों में भी शिक्षक एवं शिक्षकों की समस्याओं से परिचित सदस्य ऐसे प्रश्नों से अवगत कराते रहते हैं। त्रिदलीय बैठक जिसमें "मैनेजर्स एसोसिएशन, शिक्षक मंडल एवं शासन के प्रतिनिधि रहते हैं, में भी अध्यापक संबंधी विषयों पर विचार-विनिमय होता रहता है। ऐसी स्थिति में प्रदर्शन इत्यादि न केवल अनावश्यक हैं, अपितु शिक्षा के लिये वांछनीय वातावरण पैदा करने में कठिनाई पैदा करते हैं।

व्यवस्था का प्रश्न

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बंशीधर पांडेय का नाम पुकारने पर)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आइटम नं० १० पर खाद्य मंत्री वक्तव्य दे रहे थे, उसी बीच में उनका ध्यान दूसरी ओर आकृष्ट हो गया और नं० १० पर वक्तव्य अधूरा ही रह गया और उसके बाद आइटम नं० ११ पर आप बढ़ गये। तो क्या एक आइटम को छोड़ कर दूसरा आइंटम प्रारम्भ किया जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--

उस पर वक्तव्य समाप्त हो गया था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उस पर हमें प्रश्न तो करने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

वह केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में बतलाया कि गैरसरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम और सरकारी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन क्रम में थोड़ा-सा अन्तर है, मैं जानना चाहता हूं कि यह अन्तर क्यों है और यह अन्तर कब तक बना रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप को एक कापी वह दे देंगे और बाकी कुछ नहीं हो सकता। यह तो केवल वक्तव्य के लिये था, मैं अब प्रश्न एलाऊ नहीं करूंगा। आप बाद में यह सब उन से मिलकर पूछ लें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने कह दिया कि यह केवल वक्तव्य के लिये था और इस पर कोई प्रश्न नहीं होंगे।

विधान सभा का साप्ताहिक कार्य-क्रम

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था कि हमें सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में सूचना दिला दी जाय, मालूम हुआ है कि असेम्बली कल से स्थगित हो रही है, उसके बारे में मालूम करा दिया जाय।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सप्ताह का प्रोग्राम इस प्रकार है कि आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ के संशोधित आदेश, दिनांक ३ अगस्त, १९६४ पर चर्चा होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर विचार होगा और ११ तारीख को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पर विचार तथा उसका पारण। इसके उपरान्त सदन १२ से १६ अगस्त तक न बैठकर फिर १७ को बैठेगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या यह कार्यक्रम कार्यमंत्रणा समिति द्वारा स्वीकृत हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सरकार की ओर से बता दिया गया है, बाद में कार्यमंत्रणा समिति में स्वीकार करा लिया जायगा।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ (क्रमागत)†

*राजा अवधेश प्रताप (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो आदेश निकाला गया है इस को थोड़ा व्यापक और होना चाहिये था। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह का कानून न आये लेकिन किसान या व्यापारी के साथ सीमा की बात न की जाय तो वह सोशलिस्ट प्रोग्राम नहीं होगा लेकिन इसको इतनी जल्दी में सरकार ने बिना सोचे समझे ला दिया। मैंने इस संबंध में कुछ कार्यवाही नोट की है वह मैं पढ़ना चाहता हूं कि यहां के सदस्य इस विषय में क्या राय रखते हैं। यह २८ जुलाई की कार्यवाही से मैंने नोट किया है, श्री संतसिंह यूसुफ कहते हैं कि "धमकी न दो और उन्होंने दी धमकी तो नतीजा यह हुआ कि जखीरेबाजो ने सारा गल्ला ले जा कर देहात में रख दिया और यहां जुलूस निकाल रहे है कि फ्री ट्रेड करो। आप धमकी न दे कर चुपके से सी० आई० डी० से मालूम करा के छापा मारें, २, ४ को जेल कीजिये फिर हालत ठीक हो जायगी।"

कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे नेता राय रखते हैं "आखिरी बात कहना चाहता हूं। जखीरेबाजों को आदमखोर समझता हूं, मैन ईटर समझता हूं, सी० आई० डी० स्टाफ उनकी जांच करे और जो गल्ला उनसे प्राप्त हो उससे तथा बाहर से आये हुए गल्ले के बल पर इस संकट का मुकाबला करें।"

इसके बाद रामसुन्दर पांडेय जी, हमारे नेता रह चुके हैं, वह कहते हैं कि कौन ऐसा दल है, कौन लोग ऐसे हैं जो जखीरेबाजों की सहायता करना चाहते हैं फिर कहा २२ जुलाई को एक खाद्य समिति बुलायी, हमने प्रस्ताव रखा कि जखीरेबाजों को समाप्त करने के लिये आर्डिनेंस का प्रयोग कीजिये।"

इस पृष्ठभूमि में यह पता चलता है कि इस आर्डिनेंस के आने से पहले सदस्यों ने किस प्रकार के अपने भाव रखे .....

श्री उपाध्यक्ष—

यह आर्डिनेंस नहीं है, बल्कि आर्डर है।

राजा अवधेशप्रताप—

ठीक है। जो लोग अपने कब्जे में जमीन रखते हैं, उनकी यह जिम्मेदारी होती है मौरल कि वह जो मजदूर मिलों में काम करते हैं, हमारे लिये उत्पादन करते हैं, जो सरहद में हमारी रक्षा के लिये लड़ रहे हैं, शहरों में रह कर जो मिडिल क्लास के शिक्षण तथा दूसरे कामों में लगे हुए हैं, उनको खाना दें या जमीन छोड़ दें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसलिये कानून में अगर यह छूट दी गयी है कि किसान को होर्डिंग करने का पूरा हक दे दें तो उसका दुरुपयोग होगा और देहात के जरिये ब्लैक होगा। इसलिये उसको रोकने के लिये कुछ लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। मेरा सुझाव है कि एक किसान ४० से ४५ क्विंटल बीज के लिये रख सकता है और २५ क्विंटल गल्ला उसको स्टोर करने का हक मिलना चाहिये। इसके अलावा जो किसान मजदूर को मजदूरी की शकल में गल्ला देते हैं उसके लिये जो छूट मांगते हैं उनको भी रिटर्न फाइल करने का हक मिलना चाहिये जिलाधीश के यहां कि वह बतायें उनको कितनी छूट मिलनी चाहिये तथा सरकार को उस पर ध्यान से सोचना चाहिये। बाहर से गल्ला मंगाकर खिलाना न सरकार के लिये सम्भव है और न

---

†७ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिक दिनों तक कायम रह सकता है। उत्पादन आपको बढ़ाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे मौके पर जबकि बाहर के देशों पर कोई संकट आ जायगा हमारे यहां लोग भूखों मरने लगेंगे। अतः उत्पादन बढ़ाने के लिये किसान को हर प्रकार की सहूलियत देने के लिये किसानों के सही प्रतिनिधि जो अपनी राय आपके सामने रखें उसको आप सुनें, उस पर गौर करें और उसको हर प्रोत्साहन दें। इसके बाद यह भी एक बात सोचनी पड़ेगी कि इस विधेयक के द्वारा जो गल्ला किसान बाजार में ले जाय उसको व्यापारी मनमाने ढंग पर न खरीद लें। इसके लिये आपको गल्ले का मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा कि इस रेट से ज्यादा नहीं और इस रेट से कम नहीं बिकेगा।

एक सदस्य—

ये क्या कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ये नये हैं। आप इन्हें बोलने दीजिये। जो इनके कहने का मतलब है वह तो समझ में आता ही है।

राजा अवधेश प्रताप—

श्रीमन्, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि व्यापारियों को गल्ला रखने का जो इसमें प्रोविजन है वह कम मात्रा का होना चाहिये। इतना अधिक गल्ला रखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। इस संबंध में मैं यह भी जरूर कहूंगा कि इस समय हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब कि सही माने में हमारी डैमोक्रेसी को भी कुछ-कुछ खतरा नजर आ रहा है। केवल यह कह कर कि खाद्यमंत्री का दोष है और इधर से छींटाकशी उधर की ओर और उधर से छींटाकशी इधर की ओर और एक दूसरे पर दोषारोपण यह समय उचित नहीं है। मेरे विचार में आप सब बैठ जायं और सलाह करें कि किस प्रकार इस क्राइसिस को मीट किया जाय और इस पर कैसे सहयोग करेंगे और कैसे ये लोग उस सहयोग को लेंगे तभी कुछ हल निकल सकता है। अगर इस पर काबू नहीं कर पाये तो यह स्थिति ज्यादा खराब हो जायगी। इस संबंध में मैं आपके समक्ष एक संस्कृत का श्लोक पढ़े देता हूं :

" असंभवं हेम मृगस्य जन्मः ।
तथापि रामो लुलभे मृगाय ।।
प्राय समापन्न विपत्ति काले ।
धियोपि पुन्शाम मलिना भवन्ति ।।"

इन चन्द शब्दों के साथ मैं विपक्ष के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि वे लोग सहयोग करेंगे और सरकार के लोग सहयोग लेने की कोशिश करें और हर वह काम करें जो किसानों के हित में हो। अगर दोषारोपण से अपनी राष्ट्रीयता को अपने संविधान को बचा लेते हैं, अपनी डेमोक्रेसी को बचा लेते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन इस समय दूसरा क्राइसिस आपके सामने आया जिसे हम और आप लोग सब मिल कर निभाने की कोशिश करें।

अन्त में मैं, श्रीमन्, आपको और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और उन्होंने मुझे शान्तिपूर्वक सुना।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, खाद्य नियंत्रण संबंधी जो आदेश जखीरेबाजी का नियंत्रण करने के लिये लगाया गया है उससे इस प्रदेश में एक बेचैनी फैल गयी है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि अभी हमारे माननीय मित्र राजा अवधेश प्रताप जी ने हमारे माननीय सदन के माननीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

सदस्यों को पढ़ कर कुछ उद्धरण सुनाया। यह सही है कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस प्रदेश की सरकार जखीरेबाजों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठायेगी। पर, मान्यवर, शिकायत तो यह है कि यह सरकार जखीरेबाजों और मुनाफाखोरों से मिली हुयी है। उनके खिलाफ कोई कदम उठाना नहीं चाहती है। यही कारण है कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के दबाव से सरकार ने अनइच्छा से एक आदेश जारी किया। उस आदेश में मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों को गल्ला रखने की पूरी छूट दी है। आपने देखा होगा कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों श्री गेंदा सिंह जी, जो हमारे नेता रहे हैं ये तीन-चार लोग सरकार के प्रशंसक हैं। एक तरफ सरकार ने १० क्विंटल का प्रतिबन्ध किसानों पर लगाया है और दूसरी तरफ जखीरेबाजों के लिये, जो लाखों मन का व्यापार साल भर में करते हैं, छूट दी है कि वे एक चौथाई गल्ला रख सकते हैं और उस पर कोई मूल्य नियंत्रण नहीं है। तो यह सरकार जखीरेबाजों को छूट देना चाहती है। मुझे तो हैरत होती है सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों की बातों को सुन कर जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग से आये हैं और कार्यकर्ता रहे हैं, किसान व मजदूर के वोट पर आये हैं लेकिन यहां किसान और मजदूर के हित के खिलाफ वकालत करते हैं। यह देख कर मेरा सर झुक जाता है। मैं सरकारी पक्ष के उन माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने सरकार को ललकारा है और किसानों के अहित पर जिनको तकलीफ हुई है। यह सरकार कितनी कम अक्ल है, खासतौर से खाद्य विभाग। यह विभाग ने क्या फरमान निकाले हैं? देहातों में ५ रुपये प्रति परिवार गल्ला मिला करेगा, यह पहला आदेश था जबकि ज्यादा गल्ले के संबंध में शिकायतें नहीं हुई थी। एक यूनिट के परिवार को भी और १० यूनिट्स के परिवार को भी प्रति सप्ताह ५ रुपये का गल्ला मिलेगा। भूमिहीन मजदूर जो है उसे भी ५ रुपये प्रति सप्ताह का गल्ला मिलेगा और जो १०० एकड़ से ले कर ५०० एकड़ का किसान है उसको भी ५ रुपये प्रति सप्ताह का गल्ला मिलेगा। इससे ज्यादा बेवकूफी की मिसाल और किस विभाग से मिल सकेगी? दूसरी मिसाल यह है कि एक यूनिट के परिवार को भी १० क्विंटल की छूट दी गयी है और ५०, ६० यूनिट के परिवार को भी १००, २०० एकड़ खेती करने वाले काश्तकार को भी १० क्विंटल की छूट दी गयी है। मेरा अनुरोध है खाद्य मंत्री जी से कि वे इस विभाग को छोड़ें अगर उनका कोई कंट्रोल इस विभाग के अधिकारियों पर नहीं है या अगर उनकी वजह से यह गड़बड़ी है तब भी उनको यह विभाग छोड़ देना चाहिये। इससे उनका और प्रदेश दोनों का हित होगा।

एक तार आया है मेरे पास सहारनपुर से और सरकार के पास भी भेजा गया है। अभी सहारनपुर से हमारे साथी ओम प्रकाश जी का एक टेलीग्राम स्टेट सेक्रेटरी के पास आया है कि वहां के जिलाधीश असहयोग कर रहे हैं और ट्रकों द्वारा माल बाहर भेजा जा रहा है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बलिया की हालत बहुत ही नाजुक है। आधे से ज्यादा हिस्सा उसका पानी में डूबा हुआ है और गल्ले की वहां बहुत कमी है। शुरू से ही वह डेफीसिट जिला रहा है। कल खाद्य समिति की बैठक थी उसमें ढाई हजार परिवार के ऊपर एक दुकान दी है और ६ किलो के बजाय अब केवल ४ किलो अनाज कर दिया है। कमिश्नर के नाम से आदेश गये हैं कि बस्ती की तरह से और भी जगह योजना चलाई जाय। क्या यह नालायकी सरकार की नहीं है जो चौथाई पेट ही खाना दे रही है? क्या इसीलिये आश्वासन हमें सरकार का मिला है कि किसी को भूखा नहीं मरने देंगे? इस स्कीम को वापस लीजिये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके जखीरेबाजों से तो ज्यादा वे लोग खतरनाक हैं जो आपकी पी० सी० सी० के या डी० सी० सी० के मेम्बर हैं और राशन की दुकान लिये हुये हैं। अभी आपके कमलापति जी तीन वोट से जीते हैं। हमारे जिले के एक पी० सी० सी० के मेम्बर ने उनको वोट दिया। उसके सस्ते गल्ले की दुकान का गल्ला पकड़ा गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। एक डी० सी० सी० का सेक्रेटरी है उसके पास भी गल्ला पकड़ा गया है। एक

राशन के दुकानदार को सरकार ने खाद्य समिति का सदस्य मनोनीत किया है। क्या इससे जखीरेबाजों पर रोक लगायेंगे ? आपकी पार्टी के लोग ही राशन की दुकान लिये हुये हैं। यदि आप इमानदारी से चाहते हैं कि अन्न का संकट दूर हो तो उनसे दुकानें छीन लीजिये।

*श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं किसी समाजवादी व्यवस्था में किसी भी तरह के होर्डिग को किसी भी क्षेत्र में पसन्द नहीं करता और उसका विरोधी हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर नियंत्रण होना चाहिये। अनियंत्रित नहीं रहना चाहिये। गवर्नमेंट का आर्डर जो ३ अगस्त का है यह बड़ा वेग है। मैं सेक्शन ३ के सब-सैक्शन (३) के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार, जो समाजवादी व्यवस्था में विश्वास करती है, ऐसी व्यवस्था न करे जिससे समाजवाद में लोगों की आस्था ही न रह जाय और जनतंत्र और प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की आस्था न रह जाय। आपने जो कानून बनाया है वह बहुत अच्छा होता लेकिन यह बड़ा अव्यावहारिक है। सरकार के पास कौन से आंकड़े हैं जिससे उसने अंदाजा लगाया कि किसी भी हिस्से में एक एकड़ के लिये २५ किलो बीज काफी है ? क्या सिद्धान्त है ? क्या वह सब जगह डिबलर भेज सकेगी ? मेरी समझ में नहीं आया कि आप वेग बात क्यों करते हैं। आप लिखिये कि जो रबी बोयेगा उसको २५ किलो देंगे। ऐसा कानून न बनाइये जो जनता के सामने जाने पर सही रूप में अव्यावहारिक हो और गलत पाया जाय। इसमें सारे प्रदेश को एक भाव तौला गया है। बुंदेलखंड एक ऐसा भाग है जहां एक मेन क्राप रबी की होती है। खरीफ में जो बोते हैं लोग वह केवल अपने जानवरों की चराई के लिये। वहां पर क्या होगा। अगर आप केवल २५ किलोग्राम प्रति एकड़ देंगे तो कैसे बीज पूरा पड़ेगा। कभी पूरा नहीं पड़ सकता। मैं भी जो इस आर्डर के अन्दर है उसे कह रहा हूं, बाद में जो तरमीम आप करेंगे उसे आप जानें। बुंदेलखंड में जो लोग सीड रखते हैं वह या तो खत्ती में रखते हैं वह बन्धी बनाकर रखते हैं। अगर वह बीज बीच में खोल दिया जाय तो उसमें हवा लग जायगी और फिर वह बोने लायक ही नहीं रह जायगा। इसलिये मेरा संशोधन है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको आप स्पेसीफाई कर दें। आप राजकीय आज्ञा द्वारा इसे क्लियर कर दें कि किसान ने जो बीज रखा है उसको डिक्लेयर कर दे और बोने के बाद जो बचेगा उसको वह आपके डिस्ट्रिक्ट आफिशियल्स को सूचित कर देगा। लेकिन अगर आज वह पूरा बीज दे देगा और बीच में उसने उसे खा लिया और उसके पास नहीं रहा तो आपको गारन्टी देनी पड़ेगी और प्रत्येक गांव में और प्रत्येक किसान को बोने के लिये पूरा अनाज देना पड़ेगा। आप पूरा गल्ला होते हुये भी लोगों को खाने के लिये व्यवस्था नहीं कर सके तो क्या गारन्टी है कि आप किसानों को बीज देने की क्या व्यवस्था कर पायेंगे। माफ करेंगे खाद्य मंत्री जी यह कहने के लिये कि आप नहीं कर पायेंगे और अगर आप नहीं कर पायेंगे तो अभी से इस प्रकार की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। और अगर किसान के लिये बीज का प्रबन्ध न हुआ पूरा तो करोड़ों लोग मर जायेंगे, न आप यहां बैठ सकेंगे और न वह यहां बैठ सकेंगे। इसलिये आप ऐसी व्यवस्था न करें जिससे अगली फसल में बीज न पहुंच पावे।

मुझे आश्चर्य होता है कि आपने १० क्विन्टल रखा है फी परिवार के लिये। आपने एक ऐसी अव्यावहारिक बात कर दी कि चाहे एक यूनिट का परिवार हो तो भी २७ मन और ५० यूनिट का परिवार हो तो भी २७ मन। आप यह पता लगाते हैं कि आपके प्रदेश में कितने लोग हैं और किस प्रकार से परिवार बंटे हुये हैं। आपने २-२ हजार रुपये के नौकर रख छोड़े हैं, आप एक-एक आदमी का हिसाब लगवा सकते थे। लेकिन आपने यह न करके सब परिवार के लिये २७ मन कर दिया। मैं कहता हूं कि मान लीजिये १ महीने में मक्का और २

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण मिश्र]

महीने में धान की फसल आ रही है और वह २७ मन से अधिक डिक्लेयर कर चुका है और खलिहान में उसके पास अनाज होगा तो वह कहां ले जायगा। घर ले जाय तो २७ मन से ज्यादा होगा, पकड़ लिया जायगा और खलिहान में रखेगा तो अनाज सड़ जाय या सूख जायगा। कहां ले जाय ? (लालबत्ती देख कर) मुझे २ मिनट और दीजियेगा।

श्री उपायध्क्ष—

आप २ मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री राजनारायण मिश्र—

तो मेरा सरकार से निवेदन है कि कहां ले जाय वह अपना अनाज। दूसरी आपने ज्वाइंट होल्डिग की रखी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिग पर आपके इस आदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा ? आपको समझना चाहिये था कि इससे कितना असंतोष लोगों में होगा और उससे आपको कोई फायदा मिलेगा ? मैं निवेदन करता हूं कि बीज के संबंध में आप यह व्यवस्था करें कि ४५ किलो प्रति एकड़ बीज के लिये रहेगा और उन एरियाज को स्पेसिफाई कर दें जहां सीड नहीं होता है, जहां पर एक मेन क्राप रबी होती है वहां पर उस बीज की व्यवस्था क्या होगी क्योंकि वहां बीज सूख जाता है तो ऐसे एरियाज को स्पेसिफाई कर देना चाहिये। २७ मन प्रति परिवार जो अनाज की बात रखी है उसमें यूनिट्स के हिसाब से करें, चाहे जितने भी गल्ले का इन्तजाम कर।

राजा अवधेशप्रताप—

किसान जिन बैलों से खेती करता है उनको दाना न दे, यह कहां तक उचित है ? माननीय मंत्री जी कार तो रखें लेकिन उसके लिये पेट्रोल का इन्तजाम न हो, तो क्या हालत होगी ? ऐसे ही किसान जब खेती करेगा तो बैल उसके पास होंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके जिले में पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है, आप जानते हैं कि, १,५०० रुपये की बैलों की एक जोड़ी आती है। इन बैलों को अगर आप दाना नहीं देंगे तो क्या उनसे काम आप ले पायेंगे ? इसलिये किसान के पास से गल्ला निकलवाते समय इस पहलू पर भी ध्यान आप दें। दूसरी बात, किसान के पास से बीज का जो गेहूं रखा है उसको आप ले लें और उसको बोने के समय अमेरिकन गेहूं दें तो क्या वह गेहूं जम पायेगा ? हमारे यहां अगर एक तरह की जमीन का गेहूं दूसरी जमीन में बो दिया जाता है तो नहीं जमता, एक गांव का गेहूं दूसरे गांव में नहीं जमता, तो फिर आप आस्ट्रेलिया का गेहूं हमारे गांव में दे दें तो वह कैसे जमेगा ? इस तरह तो खाद्य समस्या और भी भीषण हो जायगी और प्रदेश उसका मुकाबिला किस प्रकार कर पायेगा ?

(श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। आप अपनी लिस्ट देख लीजिये। जो माननीय सदस्य इस सदन में फूड डिबेट पर बोल चुके हैं उन्हीं को आज भी समय दिया जा रहा है। यह कार्यवाही कहां तक उचित है .....

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस की मर्यादा के विरुद्ध जो बात आप कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर तो आप समझ लीजिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन सदस्यों को उस डिबेट में समय नहीं मिला था क्या आपका यह फर्ज नहीं है कि उनको सुनें ? .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

सब पार्टियों को समय मिलेगा। आपको भी मिल जायगा।

श्री मैनेजरसिंह—

इसके बाद रावत जी को और उसके बाद श्याम लाल जी को आप समय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, आप डिक्टेट मत कीजिये।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्यान्न नियंत्रण, प्राप्ति तथा वितरण आदेश जो संशोधित रूप में ३ अगस्त, सन् ६४ को प्रसारित किया गया है उसके विपरीत कुछ शब्द कहने हैं। यह सरकार १७ साल से जिस बुद्धि से कार्य कर रही है, उसी का परिचय इस आदेश से भी मिलता है। सरकार द्वारा यह कहा जा रहा है कि काश्तकारों के पास, उत्पादकों के पास तो १० क्विंटल रखने का और २५ किलोग्राम प्रति एकड़ बीज के लिये छोड़ने का आदेश दिया गया है। परन्तु जैसे और आदेश एयर कंडीशंड रूम में बैठ कर उन अनभिज्ञ लोगों द्वारा प्रसारित होते हैं उसी प्रकार का यह भी एक आदेश है। माननीय मंत्री जी को इसका भी ज्ञान नहीं कि अक्सर एक दफा बोया जाता है और नहीं जमता तो फिर से बीज लगता है। उसका कोई प्राविजन नहीं किया गया। रह गयी बात १० क्विंटल की, तो उसका एक जनरल आर्डर निकाल दिया। यह पता नहीं कि मियां-बीबी दो के परिवार के लिये है या उसके लिये भी है जिसके यहां ३०-३२ व्यक्ति हैं। हर प्रकार के परिवार के लिए अलग-अलग नियम बनना चाहिये था। कितना एक परिवार के लिए साल भर में अन्न लगता है उसके हिसाब से प्राविजन करना चाहिये था, यह नहीं कि १० क्विंटल हर एक के लिए रख दिया कि १० क्विंटल अपने पास रख लो और बाकी सब दे दो, चाहे परिवार वाले भूखों ही मरें। उनके पास कहां से आयेगा ? अगर वे बाजार से गल्ला नहीं लेंगे तो उनका काम चलेगा नहीं। बाजार में मिलता नहीं है। जिन परिवार वालों का गल्ला आपने ले लिया है उन परिवार वालों को आवश्यकता होगी और उनको गल्ला बाजार से नहीं मिलेगा तो उनका क्या होगा। आप यह कह रहे हैं कि हम असहाय हैं और निःसहाय हैं। आप तो कगार पर खड़े हैं और गल्ला दे नहीं सकते। इस वजह से हर तरह से इस विषय को जांच करके ऐसा आदेश निकालना चाहिये कि इतने व्यक्ति वाले परिवार के लिये इतना और इतने परिवार वाले के लिये इतना। परिवार की आवश्यकता को देखकर निश्चित करना चाहिये। सरकार यह नहीं सोचती है कि उत्पादकों के यहां खेती होती है, तो जानवर भी उनके पास होते हैं, गाय भी होती है और भैंस भी होती है। उनको भी अन्न दिया जाता है। उसके बारे में सरकार ने हिसाब नहीं लगाया। उनको यदि गल्ला न दिया जाय तो वे जीवित नहीं रह सकते हैं ? उनके लिये कौन-सा हिसाब रखा कि जिनके यहां इतने बैल हैं तो वे इतना एक्स्ट्रा रख सकते हैं ? इसके साथ-साथ हमने यह भी बताया कि दो-दो बार बोना पड़ता है तो उसका क्या होगा। यह तो आपने उत्पादकों के लिये रियायत दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट]

व्यापारियों के लिये आपने यह किया कि वे साल भर में जितना व्यापार गल्ले का करते हैं उसका चौथाई वे अपने पास रख सकते हैं। अगर कोई व्यापारी १ लाख मन का व्यापार करता है तो वह २५ हजार मन गल्ला अपने पास रख सकता है और उत्पादक अपने पास १० क्विंटल ही रख सकता है। इस तरह की आपकी विचार धारा है कि आप हर तरह से व्यापारी को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सजा देने के लिये उनको छूते नहीं हैं। आज तक कोई केस होर्डर्स का सरकार ने नहीं पकड़ा। विरोधीपक्ष ने बार-बार सरकार से कहा कि होर्डर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाय लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उन जखीरेबाजों के खिलाफ कोई कदम न उठा कर उनको प्रोत्साहन देने की बात सोची गई है कि वह जितना साल भर में गल्ले का व्यापार करते हैं उसका चौथाई वह अपने पास रख सकते है। अब वे इससे ज्यादा भी अपने पास रख सकेंगे।

इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीज बोने के समय किसानों को बीज सप्लाई करते हैं। अगर उनसे भी गल्ला ले लिया जायगा तो जो लोग उनसे बीज के लिये गल्ला ले लिया करते है वे क्या करेंगे? यदि सरकार उनसे भी गल्ला ले लेगी तो वे छोटे-छोटे काश्तकार जो अपने पास गल्ला नहीं रख सकते हैं या बीज नहीं रख सकते हैं वे कहां जायेंगे? इससे आप उनको भी वंचित कर रहे हैं कि वे अपनी फसल न बो पायें। इसके लिये आपने क्या इन्तजाम किया? इस वजह से जो यहां से आदेश जारी हुआ है वह बिलकुल अव्यावहारिक है। इस विषय पर ध्यान दिया जाय और इसको संशोधित किया जाय। आपने ज्वाइन्ट खाते के लिये भी १० क्विंटल रखा है। अगर ५० हिस्सेदार हों और वे ५० अलग-अलग होकर रहें तो भी वे १० क्विंटल ही रखेंगे। आपको यह भी पता नहीं है कि होल्डिग उनके पास कितनी है। १०० और २०० तक हो सकती है लेकिन आपने ज्वाइन्ट का हिसाब रखकर कह दिया कि वे १० क्विंटल रख सकते हैं। इसके हर विषय पर जांच करके यह तय करना चाहिये। इसको वापस लिया जाय और नहीं तो इसको अमेंड किया जाय ताकि यह सही रूप में बन सके अन्यथा ८५ फीसदी काश्तकार, जो उत्पादन करने वाले हैं, वे इस से प्रभावित होंगे और जो उत्पादन हो रहा है उसमें क्षति आयेगी।

(श्री कृष्णसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह कहां तक जायज है कि आप एक ही सदस्य को एक ही विषय पर बार-बार मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष--

कृष्ण सिंह जो इस बार नहीं बोले हैं और मेरी व्यवस्था यह है कि जिसको मैं बुलाऊंगा वह बोलेंगे। आप बैठ जायं। डिस्टर्ब न करें।

श्री कृष्णसिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह खाद्य समस्या बड़ी गंभीर है और हमें इसको हल करना है। कीमतें बढ़ने के बहुत से कारण हैं, हमारी फिजिकल व मौनेटरी पालिसीज व प्लानिंग में जो बड़ा खर्च हो रहा है व डेफिसिट फाइनेंसिग के कारण इन्फ्लेशन हो गया है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। लांग टर्म रेमिडी के बारे में मैं कुछ निवेदन करना नहीं चाहता। हमें मजदूर समस्या को हल करने की जरूरत है और उसके लिये यह ऐंटी होर्डिग आर्डर जारी किया गया है जिस पर बहस हो रही है। मैं नेगी जी का ध्यान पहाड़ी तथा सीमांत जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये आपके पास ईमानदार मशीनरी है या नहीं। मैं जानता हूं कि जिस समय खांडसारी जब्त करने के लिये आप के यहां से आर्डर्स

हुए उस समय एक अफसर महोदय १५० बोरा खांडसारी सीज करने एक जगह गये, लेकिन सीज करने के बाद पेपर्स में केवल २० बोरो खांडसारी दिखलायी गयी। अगर ऐसी ही मशीनरी हमारी रही तो हम खाद्यान्न को बाहर नहीं ला सकेंगे। पहाड़ों में अधिक अन्न का उत्पादन नहीं होता। किसान अपने लिये ही बोता है, पैदा करता है और वह भी उसे पूरे साल के लिये पर्याप्त नहीं होता। कुछ बड़े किसान कुछ ज्यादा पैदा कर लेते हैं लेकिन वह उसे बीज के लिये रोकते हैं और उन से ही छोटे किसान बाज प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त बीज के लिये जो लिमिट आपने रखी है वह बहुत थोड़ी है। दूर के इलाकों में जहां ट्रान्सपोर्ट के कोई साधन नहीं हैं वहां इस आर्डर को लागू कर देने से लोगों को, खास कर किसानों को बड़ी परेशानी हो जायगी और आप कभी कोई मदद उनको समय से नहीं कर सकेंगे। अगर किसी किसान के पास ज्यादा बीज होगा उसे तो आप ले लेंगे लेकिन आप दूसरे छोटे किसानों को समय पर बीज पहुंचा नहीं पायेंगे। क्योंकि आपके बीज गोदाम बहुत दूर हैं इसलिये बीज न पहुंचने से समय पर वह फसल नहीं बो सकेंगे और हर फसल में नुकसान होगा।

एक और समस्या है सीमान्त जिलों में। पहले हमारे टिहरी गढ़वाल और उत्तर काशी में करप्शन नहीं था, लेकिन अब मर्जर के बाद जो अफसरान वहां गये उनसे भलाई के साथ लोगों ने बुराई भी सीखी और करप्शन बढ़ गया। वहां के लोगों ने पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट की और वह नाराज हो गये। यदि इस आर्डर को आप लागू करते हैं और उसके मातहत कहीं तलाशी होती है तो लोगों में तिलमिलाहट होगी और वह डिफेंस के लिए बहुत खतरा होगा। यदि किसी किसान के पास ज्यादा अन्न हो गया तो कहां बेंचेगा? सरकार किस रेट पर लेने के लिये तैयार है? जब आढ़ती जाता ही नहीं है उतनी दूर तो कहां उस अन्न को डालेंगे? अगर सरकार लेगी भी तो क्या उचित मूल्य देगी? अगर खरीदेगी भी तो ट्रांसपोर्ट चार्जेज बहुत ज्यादा हो जायेंगे और सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि खास कर पहाड़ी जिलों में उसको लागू न करें। यदि आप ऐसा न कर सकें तो कम से कम एक आदेश जिला मैजिस्ट्रेट को भेंजें, कि जो ऐंटी-होर्डिग के मुताल्लिक कार्यवाही हो वह बड़े सोच-विचार से करें क्योंकि जरा-सी भी गलती होने पर सीमान्त जिलों के कल्टीवेटर्स के बीच में जो शान्ति प्रिय हैं असन्तोष फैल गया तो देश को रक्षा के लिए वह ठीक नहीं है। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे टाइम दिया। यह अमूमन देखा जाता है कि शान्ति पसन्द हम रिपब्लिकन जब खड़े होते हैं तो आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते। फिर भी शुक्रिया! फ्रांस का एक बड़ा दार्शनिक हो चुका है बोदां। उसने बताया था अगर किसी किसान को १० बीघे खेती की जरूरत है, उससे वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है और वह १५ बीघा रखता है तो ५ बीघे की चोरी करता है। यह समाज का चोर है। इसी पर हमारा व्याख्यान ५-७ मिनट में होगा।

श्रीमन्, सरकार ने जो आदेश निकाला है कि एक परिवार २७ मन गल्ला रख सकेगा, इससे अधिक सरकार ले लेगी यह हमारे मतानुसार एकपक्षीय आदेश है। किसी हदतक मैं सरकार को नीति के साथ हूं, लेकिन उस आदेश का ज्यादा हिस्सा ऐसा है कि जो आलोचना से परे नहीं है। हमारे भारत के इतिहास में एक शासक हो चुका है मुहम्मद बिन तुगलक। उसे भारतीय इतिहास में पागल की संज्ञा दी जाती है। वह बिना समझे-बूझे जो चाहता था आदेश दे देता था और उसका उसे उलटा परिणाम भुगतना पड़ता था। हमारी सरकार भी उलट-पलट करके उसी तरह से तुगलकी आदेश दे देती है और बाद में समझती है कि गलती हो गयी। हम यह नहीं कहते कि खाद्य मंत्री ने जो आदेश दिया है उससे भलाई नहीं होगी, उससे फायदा नहीं हो पायेगा। पर जितना लाभ पूरे समाज को होना चाहिये, इस आदेश से नहीं हो पायेगा। उससे बहुत ज्यादा भ्रम होगा। श्रीमन्, जिस समय नो कांफीडेन्स मोशन यहां आया, उस समय बड़े-बड़े जमींदारों

[श्री श्यामलाल]

ने भी विवाद में भाग लिया, माननीय शारदा भक्त सिंह, नेता विरोधी दल भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जखीरेबाजों के यहां से गल्ले को निकालिये। आपने फिर से उसके लिये आदेश निकाल दिये। मैं कहता हूं कि इन लोगों के यहां गल्ला है उसको आप निकालिये, मैं आपके साथ हूं, मगर जिनके पास थोड़ी-सी जमीन है, जो भूखों मर रहा है, उसके ऊपर यह आदेश लागू मत कीजिये। जो आपके "आका" हैं, पूंजीपति हैं, जिनसे आप चुनाव के समय चुनाव फंड में लाखों रुपया लेते हैं, उनके गल्ले को आप क्यों नहीं निकलवाते? जो असली "होर्डर्स" हैं वे आज सरकार के असली दोस्त हैं और जो नकली हैं उन पर सरकार ऐसे आदेश निकाल कर उनको परेशान करती है। डी० आई० आर० आप लागू कीजिये। जिन पर आपने लागू किया है, सही भी है, मैं ताईद करता हूं। पर जिन बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर और लागू होनी चाहिये, उस पर हुकूमत नहीं लागू करती।

श्रीमन्, हमारे यहां कुछ जातियां ऐसी हैं जो भूमिहीन हैं, जो अत्यन्त गरीब हैं। उसी वर्ग से एक मैं भी आता हूं। बरई, अहीर, तेली, कहार, कुम्हार, धरिकार, इत्यादि---इनको हिन्दू समाज ने अतीत काल से बुद्धू बनाया और गुलाम बनाया है। धोबी, चमार, पासी, खटिक, कुर्मी, गड़ेरिया, काछी, लोध, लोनिया, बारी, माली, जातियां ऐसी हैं जो सभी भूमिहीन हैं और आज भी जबरदस्ती बड़े-बड़े जमींदार इनसे हलवाही का काम ले रहे हैं। उनको काम के एवज में वह चीज दी जाती रही है जिसे जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते। उत्तर प्रदेश में इन जातियों की संख्या लगभग ३/४ के है और यह मैजारिटी में आती है। इस खाद्य संकट के समय यही सब से ज्यादा प्रभावित हैं। माननीय खाद्य मंत्री जी को इनकी सहायता के लिये इस प्रकार का आदेश निकालना चाहिये कि इन लोगों को या तो फ्री अन्न मिलना चाहिये और यह सम्भव न हो तो जो बड़े-बड़े लैण्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीनें हैं, उनसे जमीन लेकर इन लोगों को मिलनी चाहिये। जब आप यह काम करेंगे, इस तरह के आदेश होंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, इस वर्तमान आदेश का हम स्वागत नहीं कर सकते।

श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर विरोधी पक्ष से जो तकरीरें हुई थीं और उसमें जो सोशलिज्म की भावनायें व्यक्त की थीं उससे ऐसा लगता था कि उनमें समाज को सम करने की भावना थी और अब कोई तकलीफ में नहीं रहने पायेगा महसूस हुआ था। परन्तु जब यह वार्ता शुरू हुई खाद्य समस्या के सम्बन्ध में कि कैसे गल्ला प्राप्त किया जाय और कैसे उसका वितरण किया जाय, तो उस बहस को सुनकर बड़ी निराशा हुई कि कैसे हैं हमारे समाजवादी भाई और ये गांधीवादी भाई जिन्होंने किसान को पनपाने का जिम्मा लिया है, स्वार्थ में पड़ कर इन्सान अपने कर्त्तव्यों से कितनी दूर हो जाता है, धर्म और समाज से कितना दूर हो जाता ह, इसकी जागृत मिसाल मुझे देखने को मिली। और संस्थायें तो भले ही सोशलिज्म के नाम पर कायम हुई हैं परन्तु जनसंघ तो खास तौर से धर्म को आगे रख कर काम करने वाला है। उनकी बात सुनने से तो ऐसा मालूम हुआ कि वे उस धर्म को चाहते हैं जिसमें राम का नाम मुंह से निकले लेकिन उस समय जबकि कुछ आदमी उसे कंधों पर लेकर जा रहे हों। मैं उनसे कहूंगा कि धर्म और सत्य की परिभाषा बदलिये और उसे सोमवती अमावस्या, गंगाघाट से बदल कर इंसान के हित में ले आइये। चार दिन तो बहस यह हुई कि गल्ले की बड़ी दिक्कत है और इंसान मरा जा रहा है और शुक्रवार को ऐसा देखने में आया कि रोना रोया जा रहा है कि हमारी भैंस क्या खायेगी, हमारे बैल क्या खायेंगे? यह बात सही है कि भैंस और बैल के भी खाने का प्रबन्ध होना चाहिये? परन्तु मैं उनसे पूछंगा कि इस समस्या की विषमता क्या उनसे छिपी है? यह तो इसी प्रकार हुआ कि—

एकन के सुत रात-दिन रोटी का रिरियायं,
एकन के सुत रात-दिन दूध-जलेबी खायं।

हम किसी की दूध-जलेबी नहीं छीनना चाहते है लेकिन दूसरों को भी खाने के लिये रोटी तो मिलनी ही चाहिये ।

यह भी उधर से कहा गया कि किसान तो सैकड़ों में केवल एक-दो ऐसा मिलेगा जिसके पास गल्ला होगा। तो फिर दो-एक के यहां से ही गल्ला निकालने में आपको तकलीफ क्यों होती है ? आप ९८ फीसदी को तकलीफ से रखने के लिये अपने स्वार्थ में ऐसा कह रहे हैं। कुछ लोगों में जैलसी हुई कि अगर हम भी इन बड़े लोगों के जानवर होते तो अच्छा दाना और गल्ला तो पाते। कल घाटमपुर में कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं में यह बात आई और उन्होंने कहा कि हम इसमें सहमत हैं और जो गल्ला है वह देंगे। मैं भी उन व्यक्तियों में से हूं जिन्होंने किसी दिन यह कहा था कि नेगी साहेब इस्तीफा दें। लेकिन अब मैं कहता हूं कि नेगी जी ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है। केवल २ प्रतिशत की भलाई के लिये इसे काला बिल कहा जाय, तो मैं नहीं समझ सकता कि कैसे काम चल सकता है। इस आर्डर पर कुछ लोगों ने कहा कि दरोगा जी लूट मचा देंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मूसानगर के दरोगा के यहां हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और कहते है कि सरकार, हमें गल्ला दीजिये। वह दरोगा २०, ३० बोरा अनाज गांव से लिवा कर सस्ते दाम पर बिकवाता है। जब हमारे विशुद्ध कांग्रेसी भाई और सोशलिस्ट भाई अपने कर्त्तव्य से विचलित होते हैं तो मुझे बड़ी निराशा होती है। 'इस काले बिल को वापिस लो' की आवाज से सरकार डरने वाली नहीं है।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद की अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री देखी जाय तो पिछले १७ वर्षों में केन्द्र और प्रान्तों में जितने भी खाद्य मंत्री हुए हैं वे सब के सब इसका हल तलाश करने में नाअहल साबित हुए, सिवाय इस प्रान्त के उस शेर के जिनका नाम रफी अहमद किदवाई साहब था। उनमें एक खास इनीशियेटिव की ताकत थी, उनके अन्दर आत्म-विश्वास था। वह अपने पैरों पर खड़ा होना जानते थे। परन्तु हमारे प्रान्त में जो आज हवा चल रही है, मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या नेगी जी अपने आपको स्वतंत्र पाते हैं, क्या हमारी मुख्य मंत्राणी जी अपने आपको काम करने में स्वतंत्र पाती हैं ? यदि कितनी भी नेकनीयती से ये कोई काम करना चाहती हों तो क्या वे कर सकती हैं ? मेरा अपना खयाल यह है और मैं समझता हूं कि सभी इससे सहमत होंगे--कि उनकी लगाम मोती महल से चलती है। मोती महल की लगाम बनियों से चलती है जहां से इलेक्शन के लिये पैसा चाहिये, मोती महल ट्रस्ट के लिये पैसा चाहिये, बैंकों में रुपया जमा करने के लिये चाहिये, रामरतन गुप्ता और बिड़ला को खुश रखना है। जिस हुकूमत का यह हाल हो भला वह कितने दिन चल पावेगी ? जिस वक्त खांडसारी का आदेश सरकार ने जारी किया, मैं जानता हूं कि नेगी साहेब ने उसे बिलकुल नेकनीयती से जारी किया, परन्तु उसी दिन से उनके ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अकेले उन्हीं का ऐक्शन था या सारे मंत्रि-मंडल का। अगर सरकार ने ज्वाइंटली ऐक्शन लिया तो सारी सरकार इस्तीफा क्यों नहीं देती है ? यह सारा पोलिटिकल बंगलिंग है जो आज हमारे प्रान्त में चल रहा है। खांडसारी का आदेश जारी होने के कुछ दिन ही बाद भूतपूर्व मुख्य मंत्री हमारे गुप्त, नेगी साहेब के खिलाफ बहुत नाराज हुए। नेगी जी मानें या न मानें, वह बिलकुल आपे से बाहर हो गये, और कहने लगे कि तुमने किससे पूछ कर यह काम लिया। अगर इसी तरह से सरकार की लगाम दूसरों के हाथ में रहेगी तो कैसे काम हो सकता है ? अनाज के लिये हमने तो मांग आर्डिनेंस की की थी। हम कब कहते हैं कि आप अनाज न लाइये, लोगों को भूखा मरने दीजिये ? हम चाहते हैं कि आप जहां जहां भी अनाज जमा है उसे बाहर निकलवायें और उसके लिये सख्त से सख्त कदम उठावें, लेकिन आपने एक लंगडा आदेश जारी कर दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं आपने आर्डिनेन्स जारी किया ? पूर्वी जिलों की बात तो मैं नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

जानता लेकिन पश्चिमी जिलों की हालत में जानता हूं कि एक-एक गांव के अन्दर कम से कम १०-१० और २०-२० हजार मन अनाज एक एक आदमी के पास है और वह खत्तियों में पड़ा हुआ है ।

अगर आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ के जिले को ही ले लें तो ये ही जिले सारे प्रान्त को खिला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के द्वारा आप अपने कानून को लागू करना चाहते हैं ,जिन कलेक्टरों की मार्फत या जिन एस० एम० आई० व रीजनल फूड कंट्रोलर व फूड कंट्रोलर की मार्फत आप इस आदेश को लागू करना चाहते हैं उनमें भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ा हुआ है कि वे लाखों रुपये खा गये। मैं चैलेंज करता हूं कि यहां फूड सेक्रेटरी से लेकर यानी ऊपर से नीचे तक जितने भी इससे सम्बन्धित लोग हैं वे लाखों रुपये रिश्वत में खा गये। आज भी माननीय मन्त्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई कीमत मुकर्रर नहीं की है सहारनपुर के कलेक्टर ने। बाद में फिर कहा कि ७० पैसे किलो का भाव है। अगर ४० किलो का ही माना जाय तो इस तरह से २८ रु० मन हो गया। जो आफिसर सारे दिन शराबखोरी और ऐय्याशी में अपना समय बिताते हों, जो सारे दिन लड़कियों के पीछे भागते फिरते हों, वे कहीं आप के आदेश का पालन कर सकते हैं और करा सकते हैं? उनको तो इसका पता ही नहीं है कि लोग अन्न के बिना भूखों मर रहे हैं। मैं कल की ही बात बतलाता हूं कि सहारनपुर में कुछ ट्रक्स पकड़े गये, मैं कल सहारनपुर में ही था, तो कलेक्टर ने ३०-३१ रुपये मन के भाव पर गेहूं के बेचने का आदेश दे दिया। इसका कारण यह है कि उन लोगों की कलेक्टर के साथ दोस्ती है, रिश्तेदारी है, जिसके सामने वे सरकारी आदेश की कोई परवाह भी नहीं करते। गरीब भले ही भूखों मरें लेकिन उन को तो अपनी रंगरेलियां मनाने से मतलब है। मैंने जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बाबत मुख्य मन्त्री जी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि दास साहब से मिल लें, कौल साहब से मिल लें। मैंने मिल कर सारी बातें बतलायीं लेकिन कौन सुनता है। जहां पर इतना भ्रष्टाचार है वहां पर आप लाख आदेश जारी करें लेकिन उस का नतीजा कुछ होने वाला नहीं है। आप का कौन कलेक्टर या एस० पी० ऐसा है जो पोज नहीं करता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूं और विदेशी शराब, स्काच, आदि ऊंची किस्म की पीता हूं। इसको दिखलाने के लिये वे हजारों शराब की खाली बोतलें रखते हैं और इस को वे पोज करते हैं कि वे बहुत पुरानी शराब पीते हैं। उनके सामने गरीबों की भलाई का कोई सवाल नहीं रहता है। मैं तो नेगी जी से कहता हूं कि अगर इज्जत के साथ आप कैबिनेट में रह सकते हों तो रहें वरना बेहतर यह है कि आप त्याग-पत्र दे कर उस कुर्सी को छोड़ दें, भले ही वह गेंदा सिंह जी के पास चली जाय या किसी के पास जाय। जहां इस तरह से मैनोवरिंग होती हो, जहां आप का कोई इनिशिएटिव न हो, जहां अपने बल बूते पर आप कुछ भी न कर सकते हों, तो भले ही मंत्रि-मंडल त्याग-पत्र दे या न दे लेकिन आप अपना त्याग-पत्र अवश्य दे दें। इस बात का खयाल छोड़ दें कि माननीय हुकुम सिंह जिस तरह से पहले कहे थे उसी तरह से फिर कहें कि मैं ८ वीं मर्तबा मंत्रिपद की शपथ ले रहा हूं क्योंकि वे तो गंगा कहने पर गंगा और यमुना कहने पर यमुना कहने को ही आवश्यक कार्य समझते हैं। जी हुजूरी में भी उनका विश्वास है। ऐसे लोगों से भला प्रान्त का भला हो सकता है, हर्गिज नहीं हो सकता। इस लंगड़े आदेश के बजाय आप को चाहिये था कि आर्डिनेंस जारी करते, जरूरत होने पर लोगों को गिरफ्तार करते, होर्डिग को निकलवाते। आप मेरे साथ चलें तो मैं दिखला सकता हूं कि गांवों में भी अनाज बहुत पड़े हुये हैं। गरीब के पास तो अनाज होता नहीं, इसलिये उसके ऊपर तो इसके लागू होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जिसके पास है उनके ऊपर यह कानून जोर शोर के साथ लागू होना चाहिये। मैं जानता हूं कि बाजार में परसों १०-२० सिपाही लेकर डी० एस० पी० पहुंच गये और गल्ला पकड़ कर उन्होंने २८ रुपया और ३० रुपया मन गल्ला बिकवाया। क्या उन लोगों में ऐसी हिम्मत है? मेरे साथ आप चलिये मैं एक एक गोदाम से एक एक लाख बोरी पकड़वाने के लिये तैयार हूं।

लेकिन मेरी सुनेगा कौन ? इस वक्त तो जिनकी गुटबंदी है, जिनके वे रिश्तेदार हैं, उनकी बात मानी जायगी । मेरे साथ कौन जायगा ?

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री राममूर्ति का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मुझे भी टाइम मिलना चाहिये। मुझे सख्त अफसोस है कि बावजूद बार-बार खड़े होने के.....

श्री उपाध्यक्ष--

गवर्नमेन्ट पक्ष भी तो आना चाहिये। आप बैठ जाइये। जिसको मैं उचित समझता हूं उसको ही समय देता हूं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं आम तौर पर इस आदरणीय सदन का समय नहीं लिया करता। लेकिन....

श्री चन्द्रसिंह रावत--

अगर आप में जरा भी ईमानदारी है तो बिलकुल समय आप को नहीं लेना चाहिये।

श्री राममूर्ति--

अपोजीशन के माननीय सदस्य कहें तो दूसरी बात है लेकिन अगर हमारे साथी ही ऐसी बात कहते हैं तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कन्ट्रोल आर्डर गवर्नमेंट की तरफ से निकाला गया है, उसके बारे में अभी बहुत-सी बातें कही गयीं। थोड़े दिन पहले ही ४–५ दिन अविश्वास के प्रस्ताव पर जो बहस हुई उसमें ज्यादातर खाद्यान्न के ऊपर ही कहा गया और माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्रों में जो दिक्कत का अहसास किया, उसके बारे में जिक्र किया। इस बात पर बराबर जोर दिया गया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसके जरिये से लोगों को गल्ला मिल सके। आमतौर से इस बात को भी कहा गया कि जखीरेबाजों के पास गल्ला है। ट्रेडर्स ने गल्ले को दबा लिया। यह भी कहा कि ट्रेडर्स ने नया टेक्निक निकाला है कि अपने गोदामों में गल्ला रखने के बजाय बड़े काश्तकारों के यहां, जिनके यहां बहुत-सा गल्ला पैदा होता है, उस गल्ले को रुकवा देते हैं। इसके कारण बाजार में गल्ला नहीं आ पाता। यह बात किसी हद तक ठीक भी हो सकती है क्योंकि कोई ऐसा सर्वे तो कराया नहीं गया जब प्रोड्यूसर के घर में घुस कर पता लगाया गया हो कि उस के यहां गल्ला है या नहीं। (श्री मायर के कुछ कहने पर) जब मायर जी बोलते हैं तो हम लोग चुपचाप सुनते हैं। हमारे उपर तो कुछ जिम्मेदारी है, यह तो है नहीं कि भाषण किया और चले गये। सरकार तो विचारों के आदान प्रदान में विश्वास करती है क्योंकि उससे कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे इस प्रदेश की जनता का फायदा हो सकता है। तो मैं यह कह रहा था कि...

श्री चन्द्रसिंह रावत--

वह सब्जेक्ट पर बोलें, यह लेक्चरबाजी क्यों करा रहे हैं ? सदन के अन्दर फजूल की बातें करने के लिये क्यों इन्हें खड़ा किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप चुप बैठें, उन को बोलने दें।

श्री राममूर्ति--

अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर निकली थी आप लोगों ने देखी होगी। उसमें यह था कि एक मसखरा था, वह हर वक्त कुछ न कुछ कहा करता था लेकिन जब भी उससे कहा जाता

[श्री राममूर्ति]

था कि तुम क्यों बोल रहे हो तो वह फौरन चुप हो कर कह देता था कि मैं चुप हो गया, और फिर बोलना शुरू कर देता था, वही हाल हमारे दोस्त की है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत—

क्या यह सब्जेक्ट पर बोल रहे हैं ? हम इसको नहीं सुन सकते ।

श्री राममूर्ति—

यह सदन एक आदमी का ही नहीं है जिस को उपाध्यक्ष जी ने बोलने का अवसर दिया है उसका हक है वह बोलेगा, कोई नहीं सुनना चाहे तो न सुने ।

मैं यह कह रहा था कि जब इस तरह की बातें इस सदन में हुईं तो खामख्वाह सरकार के सामने यह सवाल आया कि इतनी बड़ी तादाद में एक बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक नई टेक्नीक के मातहत प्रोड्यूसर के पास ट्रेडर्स ने गल्ला रोक रखा है और उस को निकालना चाहिये । इस पर सरकार विवश हुई और उसने इस पर अच्छी तरह से सोचा, उतावलेपन में नहीं बल्कि आपस में सलाह की और इसके अलावा जो जानकार सम्बन्धित अफसरान थे उन से भी सलाह करने की कोशिश की गई और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई ऐसा कंट्रोल आर्डर निकाला जाय जिससे बाजार में गल्ला आ जाये । इस कंट्रोल आर्डर में कोई ऐसा आर्डर नहीं दिया गया है कि देहातों का सब गल्ला शहरों में आ जाय । हम चाहते हैं कि जो गल्ला छिपा है वह बाजार में आये ।

(इस समय २ बज कर ४८ मिनट पर, अधिष्ठाता श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुये ।)

श्री मायर ने कहा कि उन के यहां एक आदमी पर १ लाख बोरा गल्ला निकल सकता है । ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी मायर जी को मदद दें और ऐसे लोग जिनके पास १ लाख बोरे गल्ला है उनसे वह निकलवाया जाय । अव्वल तो यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि कायदा यह है कि जितने गल्ले के व्यापारी हैं वे हर १५ दिन में अपने पास के खाद्यान्न का स्टेटमेंट गवर्नमेन्ट के अफसरों को देते हैं । इसके अलावा गल्ले के भाव पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह बाजार भाव पर बिका करता है । आप ने अखबार में देखा होगा कि दिल्ली में पिछले दिनों चेकिंग हुई और वहां गल्ला स्टाक्स में निकला । लोगों ने समझा कि गल्ला पकड़ा गया है लेकिन वह पकड़ा नहीं गया था बल्कि केवल चेक किया गया था । उस के बाद दिल्ली की अथारिटीज ने देखा कि जितना भी गल्ला आया वह रजिस्टर में दर्ज था और खुले बाजार में बिकने वाला है । इसलिये उसमें कोई रुकावट नहीं की और वह होनी भी नहीं चाहिये । या तो सरकार टोटल कंट्रोल करे और उसके माने हो जायंगे कि सरकार सारे लोगों के खाने की जिम्मेदारी ले और अगर टोटल राशनिंग नहीं है और महज यह है कि जो राशन या गल्ला केन्द्रीय सरकार से आता है उस को एक स्कीम के मातहत देहाती और शहरी आबादी को बांट दें, वह बेचने से नहीं रुक सकता, उस को तो हमें बेचने देना ही होगा । आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो राशन की दूकानों का यह गल्ला नहीं खाते, जिन्हें भगवान ने पैसा दिया है वह जो भाव भी बिके खुले बाजार से लेते हैं । साथ ही अगर सरकार सारा गल्ला बाजार में आना बन्द कर दे तो बहुत मुश्किल हो जायगी । इस समय जो भी माल आता है वह बिकता है । कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन हम चाहते यह हैं कि जो माल जखीरेबाज के पास जमा है वह बाहर आये और खुले बाजार में बिके । मैं ३८ या ४० रुपए के भाव की बात नहीं करता और न इस कंट्रोल आर्डर में भाव का जिक्र है । अधिष्ठाता जी, इस कंट्रोल आर्डर के अन्दर ४ बातें हैं । पहली बात यह है कि एक कंज्यूमर ४ क्विंटल गल्ला एक वक्त में अपने पास रख सकता है और थोड़े दिन बाद अगर साढ़े ३ क्विंटल रह जाता है तो वह फिर आधा क्विंटल खरीद कर उस को ४ क्विंटल कर सकता है । इसलिए उपभोक्ता के लिये कोई शिकायत का मौका नहीं है । दूसरा प्रश्न यह है कि जो खेतिहर लोग हैं उनके लिये २५ किलो फ़ी एकड़

बोने के लिये अपने पास गल्ला रखने की अनुमति है। यह मात्रा उतनी जमीन के लि नहीं है जिसमें रबी बोयी जायगी। अगर किसी के पास ५० एकड़ जमीन है तो उसके लिये २५ किलो के हिसाब से ५० एकड़ पर २५ किलो फी एकड़ रहेगा। इसका हिसाब इस तरह है। प्रदेश के अन्दर करीब साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन पर खेती होती है और उसमें ढाई करोड़ एकड़ पर रबी बोयी जाती है। २५ किलो फी एकड़ के हिसाब से पूरे ४ १/२ करोड़ का बीज रखा जा सकता है जिसमें २ १/२ करोड़ के लिये एक मन बीज का औसत आ जा गा। इतना ही बीज सब जगह लगता है। तो रबी ोने के लिये किसी काश्तकार पर गल्ला ह तो वह रख सकता है और टोटल एवरेज पर २५ किलो फी एकड़ के हिसाब से रख सकता है, कोई रुकावट नहीं है। और इतना ही नहीं बहुत से लोगों ने कहा कि वह रबी के मौके पर गल्ले को बीज में बांट दिया करता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनकी नजर में ऐसे लोग ह जो उनसे गल्ला लेते हैं तो इस आर्डर को कायम रखने के लिये ऐसा काम आज भी किया जा सकता ह और आदमियों को दे सकते हैं। हमारे प्रदेश में करीब ८५ फीसदी काश्तकार ऐसे हैं जिनक पास ६ एकड़ से कम जमीन है। सब तो बोयी नहीं जा सकती, कुछ न कुछ तो रोटेशन के लिये रोक ली जाती है। तो ६ में से ४ एकड़ आप लें तो ३०,३२ मन पैदा हुआ। ४ मन बोने के लिये रखा गया। २७ मन एक वक्त रखने का हुक्म दे दिया गया। तो माने यह हुये कि ८५ फ़ीसदी काश्तकारों को इस आर्डर से कोई परेशानी नहीं। थोड़ा-सा परसेंटेज किसानों का ऐसा है जो गल्ला रखता है। उसमें भी हम नहीं चाहते कि शहरों के अन्दर ला कर उसको बेचें। बल्कि अपने ही क्षेत्र में जिनके पास गल्ला नहीं है, जिनके लिये बार बार कहा जाता है कि भुखमरी है, उनकी पूर्ति के लिये अपने इलाके में गल्ला बेच दें। मुझे उनसे हमदर्दी है जो किसानों की बात करते हैं, मैं खुद भी काश्तकार हूं। लेकिन इतना जरूर एहसास होना चाहिये कि आखिर यह एक संकट का समय है, डेढ़ दो महीने की बात है। मैं माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी के यहां गया और शहर से ५, ६ मील में ३ ब्लाकों को देखा, वहां फर्स्ट क्लास मक्का खड़ी हुई है और इस साल वहां ६ हजार टन खाद उठा है। तो जब यह पैदावार आयेगी हालत इतनी जटिल नहीं रहेगी। अतः आने वाले दिनों में बड़ी उम्मीद है। नाउम्मीद नहीं है जैसे ऊदल जी हमेशा कहते हैं। हमको उम्मीद का वातावरण बनाना चाहिये,। मुझे उम्मीद है महीने, डेढ़ महीने में मोटा अनाज, जैसे कोदों, सावां, मक्का आदि बाजार में आयेगा तो आज जो परेशानी है यह कम होगी। तो साल भर की परेशानी का आप क्यों हिसाब लगाते हैं। अतः हमें लोगों में इत्मीनान पैदा करना चाहिये और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठानी चाहिये। यह आर्डर हर मम्य के लिये नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो सरकार उस को बदलेगी। काम तो शुरू होन दीजिय और अगर काम ठीक न हुआ तो उन तकलीफों को देख सकते हैं और हम आप मिल कर बदल सकते हैं। लेकिन काम शुरू नहीं हुआ, अगर पहले ही से स्केयर फैलाया तो गल्ला सस्ता होने के बजाय महंगा होगा। अगर लोगों को इत्मीनान हो जाय कि बाजार में गल्ला आ रहा है तो हिम्मत बंधती है और मुश्किल भी दूर हो सकती है और लोग मजबूर हो कर गल्ले की कीमत नीचे गिरायेंगे क्योंकि दुकानदार जानता है कि निर्धारित समय में अगर गल्ला न बेचा तो जो दाम आज मिल रहे हैं वह भी नहीं मिलेंगे। इसलिये यह कहना कि किसी तरह की इस आर्डर में खराबी है और लोगों को तकलीफ़ होगी यह मेरी समझ में नहीं आता। अतः मैं अपील करता हूं कि अब बहुत ठंडे दिल से यह सोचें कि यह परेशानी हम सब की है और हिम्मत से इसका मुकाबला करना है और जो स्टैप लिया गया है उस को मानना चाहिये।

*श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस डिबेट को दो दिन से बड़े ग़ौर से सुना और विशेष कर माननीय राममूर्ति जी की बातें सुनी। पहले भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट भाई कहा करते थे कि

---

*वक्त ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुन्नूसिंह]

यह सरकार बनियों की है तो मैं सोचता था कि क्या यह वाकई सही है। किन्तु इस आदेश के देखने के बाद मेरा भ्रम दूर हो गया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह इलाका जहां सिर्फ धान या गेहूं पैदा होता है, जहाँ कैश क्राप भी नहीं होती, जहां कि यह कानून लागू था कि उधर से इधर कोई गल्ला नहीं आ सकता, क्या वहां धान की रोपाई की मजदूरी २५ किलो में पूरी हो जायगी? यदि सिर्फ़ मजदूरी की बात होती तो मैं सोचता आखिर कुछ पड़ा रह जायगा, उसमें दूसरी फ़सल बो दी जायगी। लेकिन वह एरिया जहां वाटर लागिंग होती है, नवम्बर-दिसम्बर तक पानी रहता है, जहाँ जड़हन के अलावा कोई फ़सल है नहीं, यदि वहां बैठाया न जाय तो काश्तकार की क्या हालत होगी। खाद्य मंत्री, और विशेषकर राममूर्ति जी ने कहा कि २५ किलो पूरे एरिया के लिये। मेरे पास १० एकड़ का जड़हन का प्लाट है, सिर्फ़ बैठवाने की मजदूरी ६० किलो से ले कर १ क्विंटल पर एकड़ आती है। कोई विशेषज्ञ इसको काट दे तो मैं चैलेंज करता हूं। १० एकड़ का प्लाट है, ५० किलो मेरे पास केवल बीज रहेगा तो १० किलो कहां से पूरा करेंगे बैठानी देने के लिये? १५ अक्तूबर से आप के सीड स्टोर्स खुलते हैं और वह भी किसी भी बीज की मात्रा पूरी नहीं दे सकते। पिछले मास प्रस्ताव रखा था कि बहराइच में बीज की दिक्कत है तो सरकार ने रुपया दिया, बीज नहीं दिया, रुपये से अन्न नहीं मिलेगा। २५ अक्तूबर को जब आप के सीड स्टोर खुलेंगे तब बीज आप के पास होगा। १५ सितम्बर को छिट्टा बोना है तो कौन-सा वह किसान होगा जो बोयेगा। कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहां सिर्फ कानून बन जायेंगे, इसको लागू नहीं भी किया जायगा। कानून के मामले में यह सरकार हमेशा मजाक बनाती है। जब पुलिस का थानेदार या उस का दलाल खेतिहर के पास जायेगा और उससे कहेगा कि तुम्हारे पास गल्ला है तो उस समय क्या वह १०० रुपये देने पर मजबूर नहीं होगा? और वह दलाल उस समय ही रुपया नहीं ले लेगा? यदि वह सख्ती करता है और यह दलाल कहता है हमारे पंजे में नहीं आता है तो किसी भी अधिकारी जैसे मार्केटिंग इन्स्पेक्टर वगैरह रबी का अनाज सावन और भादों में ही खुलवा देंगे तो इसका नतीजा क्या होगा?

(लाल बत्ती होने पर)

क्या श्रीमन्, मेरा समय केवल २–३ मिनट का ही है?

श्री अधिष्ठाता––

आप का समय ५ मिनट का है, अभी २–३ मिनट बाकी हैं। आप बोल लीजिए। इस प्रकार आप का समय ५–६ मिनट हो जायगा।

श्री मुन्नूसिंह––

एक बात श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यापारियों को जो अपने टर्न ओवर के १/४ स्टाक रखने की इजाजत दी गयी है क्या यह मुनासिब है? यहां पर बैंकों को नेशनलाइज करने के नारे लगाये गये हैं। क्या इसीलिए वे नेशनलाइज किए जायं कि वे इन व्यापारियों को मनी एडवान्स करें? स्टेट बैंक जो आलरेडी नेशनलाइज कर दिया गया है वह भी ८० प्रतिशत एडवान्स करता है। रिजर्व बैंक को यह राइट है कि वह बैंकों को आदेश दे सके कि इस प्रकार वे एडवान्स न करें। अगर व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा पैसे की सुविधा मिलेगी तो काश्तकारों के लिए आप बचवा नहीं सकते हैं। यहां यह भी कहा गया कि व्यापारी गांवों में रुकवा लेते हैं, तो अगर ऐसा है तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि बड़े किसान भी छोटे किसानों के पास गल्ले को रुकवा सकते हैं।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कहती है कि मिक्सड क्रापिंग करो। मिक्सड क्रापिंग के लिए आप का फिज्योलोजी डिपार्टमेंट और आप के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बार-बार बुलेटिन छपवाते हैं। मिक्सड क्रापिंग में ४० सेर या ४० किलो प्रति एकड़ गेहूं

३० किलो प्रति एकड़ मटर और २० किलो चना, क्या यह सब २५ किलोग्राम से पूरा हो सकता है ? यहां पर बार-बार मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि खाने की कोई कमी नहीं होने देंगे। हमारे यहां भी जब भी अकाल की स्थिति आयी है तो बहराइच में लोग नेपाल के बोर्डर में जाते थे, वे किसी के कोई मकरूज भी नहीं होते, और वहां से १० रुपये की मक्का ले आते। उसमें से वे ५ रुपये की मक्का को दस रुपये में बेच देते और ५ रुपये बचा लेते थे। इधर का चावल उधर चला जाता है और वहां का चावल इधर नहीं आ सकता। अगर छूट होती तो बजाय उधर जाने के इधर आता। इस तरह वह नेपाल चला गया जहां चावल का बाजार ६५ रुपये मन था, तिब्बत बोर्डर पर सप्लाई करने के लिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय खाद्य मंत्री...

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मैं आप से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। ६ रोज से आपने माननीय सदस्यों को दो दफा बोलने का मौका दिया जब कि मुझे एक मर्तबा टाइम नहीं दिया। अगर ऐसा है तो यह सरकार पहाड़ों को छोड़ दे। हम पहाड़ वाले इतने कमजोर नहीं हैं कि हम अपना इन्तजाम खुद न कर सकें। आप घोर अन्याय करते हैं अगर समय हमको नहीं देते हैं। आप कितने दिन इस कुर्सी पर रहेंगे ? इस बात का खयाल रखें कि यह कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अगर मुल्क को समय नहीं देते तो मुल्क की बातों को समझने के लिये मुल्क के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता--

चन्द्रसिंह जी, आप बैठिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

आपने उस दिन कहा था कि टाइम मिलेगा और आप को टाइम देना चाहिये। लोगों को सुना न जाय, क्या यह अन्याय नहीं है ? क्या यह फ्रीडम आफ स्पीच का गला घोंटना नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने खाद्य मंत्री को बुला लिया, वह बोलेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

वह एक ही बात बार-बार कहते हैं। अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं; मुल्क का समय नाजायज तरीके से इस्तेमाल होता है। अपनी कोशिश के साथ, सच्चाई के साथ आप सोचिये कि कहां तक आप न्याय कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप सदन में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। आप बैठ जाइये।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत इच्छुक नहीं था इस पर कुछ कहने को। लेकिन साढ़े ३ बजे यह खत्म हो जायगा इसलिये माननीय सदस्यों ने यहां पर जो शंकायें व्यक्त की हैं उन पर कुछ न कुछ स्पष्टीकरण देना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

सब से पहली बात यह है कि सदस्यगण को यह भ्रम है कि यह कानून पहली बार निकला है। अब भी एक कानून है जिनके अन्तर्गत होर्डर्स से गल्ला निकाला जा सकता है और

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

उसके मातहत जिलाधीश रिक्वीजीशन कर सकते हैं ३ महीने की पोस्ट हार्वेस्ट प्राइस को मद्दे नजर रखते हुए। रायबरेली में इसका प्रयोग हुआ भी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य अगर सुनते नहीं हैं, शोर करते हैं तो उससे बड़ा अनर्थ होता है। बात यहां स्पष्ट हो नहीं पाती तो सरकारी अधिकारी उसके अनुसार चल नहीं पाते और इस तरह से भ्रम रहता है। अगर आप जनता का हित चाहते हैं तो शान्ति से सुन लीजिये और पसन्द न हो तो न मानिये। अगर नहीं किया है जिलाधीश ने तो गलती की है। उनके अधिकार में था। लेकिन आप स्वयं कहते हैं और मायर साहब भी कह रहे थे कि अगर किसी आर्डर को वह लोग ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो सरकार को भी प्रतिबन्ध इस बात का लगाना पड़ता है कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे जनता को परेशानी हो। यह आदेश था लेकिन जब सदन में बात हुई तो मैंने स्पष्ट कहा था कि आप लोगों के कहने से हम आदेश लागू करेंगे। इससे आप लोगों ने समझा कि मैं आक्षेप कर रहा हूं जब मैंने कहा कि विरोधी दल के नेतागण कहें तो जरूर करूंगा। लेकिन मैंने आक्षेप नहीं किया बल्कि मैंने कहा कि पहला आर्डर जो मैंने बताया था वह बनियों के खिलाफ था और प्रोड्यूसर्स और कन्ज्यूमर्स के खिलाफ नहीं था। लेकिन सदन की राय हम जानना चाहते थे इसीलिये रुके रहे।

अब श्रीमन्, प्रश्न उठता है कि कैसे मालूम हुआ कि प्रोड्यूसर्स के यहां है? इसके दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट एवीडेंस और दूसरा सरकम्स्टांशियल एवीडेंस। डायरेक्ट एवीडेंस यह है जैसे हमारे मित्र माननीय राममूर्ति जी हैं, यह बहुत बड़े काश्तकार हैं उनको सब कुछ मालूम है और दूसरा तरीका सरकम्स्टेंशियल एवीडेंस का है। आप कहते हैं वह तो सब जानते हैं और सब ने सवाल उठाया और सब ने यह कहा कि ४ लाख टन की कमी हुई है। लेकिन यह कमी फरवरी और मार्च में आनी चाहिये थी। लेकिन अभी से कमी क्यों आई? इसके माने यह हैं कि कमी है। कुछ प्रदेशों में ऐसा है कि जो १२ क्विंटल से ज्यादा व्यापारी रखता है तो उसको हिसाब देना पड़ता है। हमारे यहां भी यह आर्डर है कि अगर कोई दस क्विंटल से ज्यादा रखता है तो वह अपना रिटर्न देगा और १५ वें दिन वह हिसाब देता है। यह हो सकता है कि हिसाब में कुछ गलती हो। लेकिन जो आंकड़े मिले उनको मैंने डबल किया और देखा कि हमारे यहां आया होर्डिंग है या नहीं? तो मालूम हुआ कि नहीं है और मैंने इस बात को सब पार्टियों की कांफ्रेंस में बतला भी दिया था, मैं कह रहा हूं कि आखिर कहां है? बनियों ने कहीं न कहीं उनका रुपया एडवांस देकर मार रखा है। अगर शहर में होगा तो जरूर मिल जायगा। उनका यह कहना कि हमारी ट्रेडर्स के साथ मुहब्बत है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रेडर्स का ही मैं मारा हुआ हूं क्योंकि जखीरे वालों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके आप लोगों के दिलों में मेरे विरुद्ध जहर भर दिया है। यहां के लोकल अखबारों ने छापा है कि ब्रेनलैस, हैडलेस और हार्टलस हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि यहां के लोकल अखबारों ने ही यह छापा है। मैंने समझा कि विरोधी दल के लोग केवल उसे कैपिटल लेटर्स में छपवाना चाहते हैं। वैसे मैं न तो हार्टलेस हूं और न हेडलेस। हमारा इरादा कोई किसी तरह से प्रोड्यूसर्स को तंग करने का नहीं है। श्रीपाल सिंह कह रहे थे कि धान आयेगा तो क्या होगा लेकिन बात तो यह है कि यह आर्डिनेंस केवल शार्ट टर्न के लिये है, उसका यह मतलब नहीं है कि अगली फसल पर उसका असर पड़े और उसका असर होगा भी नहीं।

दूसरी बात है कि हम कतई नहीं चाहते कि हमारी अगली फसल मारी जाय और हम बीज न दें। हमारा इरादा कभी यह नहीं हो सकता। हमने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि पंजाब से ३ लाख मन के करीब बीज के लिये दीजिये। आपने यह बात हमारे नोट में पढ़ी होगी। हम तो खुद बीज के लिये परेशान है। उसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि २५ किलो करके बीज को रोका जा रहा है। हो सकता है किसी विशेष इलाके में कोई आदमी कुछ न बोता हो और उसमें ड्रिविलिंग का सवाल नहीं है, वहां मुमकिन है कि कमी पड़े। वह बात सोची जा सकती है। हम उसके लिये रिजिड नहीं है। उसके लिये हमारा दिल खुला हुआ है।

जहां हमें मालूम पड़ेगा कि जनता के विरुद्ध यह आर्डिनेंस जाता है उसी वक्त हम ऐक्शन ले सकते हैं और हमें अमेंड करने में देर नहीं लग सकती है परन्तु हम यह जरूर चाहते हैं कि हम आपका माल लूटना चाहते नहीं हैं, हम उसे खरीद भी नहीं रहे हैं, आपस में गांवों में ही बांट लीजिये, कोई पूछ रहा था कि किस कीमत पर खरीदोगे परन्तु यह बात नहीं है। मैं पूछता हूं कि आपके पास अगर नहीं है तो भय किस बात का है। अपने पड़ोसी के यहां रख दीजिये वह भूखे रहेंगे तो खा लेंगे। मैं तो श्याम लाल जी की बात को सुनकर परेशान हो गया। भाई भानु प्रताप सिंह जी अपने मजदूरों को, अपने साथियों को देंगे तो इस आर्डिनेंस से उन पर क्या असर होगा।

फिर इसके अलावा आज हालत अच्छी हो जाय, प्राइसेज गिर जायं, एराइवल्स ज्यादा होने लगेंगे तो हमें आर्डर को विद्ड्रा करने में ५ मिनट भी नहीं लगेंगे। हम यह भी कहते हैं कि जिसके पास है ही नहीं वह डरता क्यों है? उससे मालूम होता है कि कुछ पल्ले है जिसके निकलने का डर है। हमारे कम्युनिस्ट भाई स्टेट ट्रेडिंग वगैरह की बातें कहा करते हैं। ठीक हममें आप में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन अफसोस तो तब होता है जब वह जाकर गलत बातें करने लगते हैं। मैं कहता हूं कि सही रास्ते पर आ जाओ। और चाहे जो कुछ हो हमारे साथ चलो।

२७ मन एक परिवार की बात को लेकर श्याम लाल जी कह रहे थे कि हजारों लाखों लोग भूखे मर रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि आप क्यों ज्यादा खा रहे हैं। बैल और भैंस को खिलाने की बात कहते हैं आप कम खाइये, अपने हिस्से में से बैल और भैंस को भी खिलाइये। हमने तो १६ औंस का हिसाब लगाकर रखा है।

श्री श्यामलाल--

आप तो टैम्पोरेरी मेजर्स की बात कह रहे हैं, मैंने तो परमानेन्ट सलूशन के लिये कहा था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कितना औंस एक आदमी खाता है, इसका हिसाब लगायें तो २७ मन ज्यादा नहीं है और यह तो हमने लगाया है १६ औंस के हिसाब से ६,७,८ महीने का। और यहां लगा रहे हैं २७ मन का एक दो महीने के लिए जब तक कि आपत्ति काल है। अगली फसल पर इसका कोई असर नहीं है। बुन्देलखंड में वह कहते हैं कि कोठिला में या कहीं वह बीज रखते हैं और साइंटिफिक बात है कि अगर वह खोल दिया तो घुन लग जायगा। मैं समझ गया। लेकिन कोठिला या कोठिना तो एक छोटी चीज होती है और उसमें बीज रखा जा सकता है। लेकिन खत्तियों में कोई बीज रखे यह नामुमकिन बात है। तो उसको रिकैपिटुलेट कर लीजिये कि ट्रेडर के पास हमारा कितना स्टाक है। आज ट्रेडर भी इससे नाराज है। वह यह कह रहा था कि १,००० रुपया सिक्योरिटी मनी जो हम लेते हैं, उसको घटा दें और सबने घटा दिया है लेकिन हमने नहीं घटाया। अगर वह कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनकी १,००० रुपये की सिक्योरिटी जब्त और लाइसेंस जब्त। हर १५ रोज पर हम उनसे रिटर्न लेते हैं। तो वह शहरों में इसलिये नहीं रखते हैं कि रिटर्न देना पड़ेगा, डी० आई० आर० में पकड़े जायेंगे। कोई और रास्ता कर रखा है। उस रास्ते को हम ढूंढ रहे हैं और मैं यह आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि किसी निम्न कोटि के काश्तकार के साथ जिसके पास कि है नहीं, किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी और मैं समझता हूं कि १५ दिन के बाद बड़े काश्तकार भी अगर अपने घर से निकालकर बांट दें, जैसे बीज कहते हैं कि सवाये पर देते हैं तो वह आज ही दे दें (व्यवधान) घुन जायगा, तो उसका इंतजाम वह कर लेंगे और अगर नहीं तो लिखकर दे दें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि फलां-फलां काश्तकार को हमने दे रखा है और उसको हमें इतना-इतना बीज देना है, यह डी० एम० को लिखकर दे दें तो वह बात सोची जा सकती है। मगर यह बात है कि उस बहाने पर अगर कोई उसको न निकालना चाहे तो यह ठीक नहीं है। मैं किसी की नीयत पर हमला नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि बहुत से महानुभाव हैं जो देते होंगे, भानुप्रतापसिंह देते होंगे, शारदा भक्त सिंह देते होंगे और सोशलिस्ट तो हैं ही, कम्यूनिस्टों का ऐसा सिद्धांत तो है, चाहे वक्त पर भले ही वह उधर चले जाते हों। (व्यवधान) राजस्व मंत्री भी सही हैं और हम भी सही हैं।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

टाइम लिमिट की बात जहां तक है, कोई भी कानून बनता है उसमें लिमिट करके रख दीजिये, तो उसका असर कम पड़ जाता है। इसलिए काम्प्रीहेंसिव रखा है लेकिन प्रयोग उसका सही तरीके पर होगा। उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से चेष्टा कर रहे हैं। यह बात जरूर है। सारी दुनिया की बुद्धि हमारे ही दिमाग में है ऐसा हम नहीं समझते, सारी अक्ल का ठेका हमने नहीं ले रखा है। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाई जब कभी बोलते हैं तो सारी अक्ल का ठेका लेकर बोलते हैं और हमको कंडेम ही कंडेम करते रहते हैं। खैर, इससे आपके दिल को सन्तोष मिलता है और प्रदेश को अन्न मिलता है तो हमें बड़ी खुशी है। हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी मुख्य मंत्री ने स्वयं हमारे बीच में सलाह की और उसको प्रोब करने के लिए एक कमेटी बना दी है। हम उसको देख रहे हैं। वैसे मैथेमेटिकली हम इंकरेक्ट नहीं हैं लाजिकली इन्करेक्ट नहीं है। मैथमेटिकली भी यह बात सही है। सब तरह से सही बातों पर यह आधारित है। अलबत्ता यह बात जरूर है कि जहां पर कोई ऐसा इलाका है कि रबी में कोई चीज बोते नहीं हैं वहां पर सोचने की बात है। पहाड़ों पर तो नंगा क्या नहायेगा और क्या निचोड़ेगा। पहाड़ों पर अगर ५ हजार मन गल्ला या ५ सौ मन गल्ला है वह तो १५ दिन के बाद या एक महीने के बाद खत्म हो जाता है और फिर गल्ला बाहर से मंगा कर खाना पड़ता है। वहां पर तो पहले यह था कि जिससे दुश्मनी निकालनी होती थी तो उसके नाम जमीन कर देते थे ताकि उससे सरकारी लगान वसूल होता रहे और पैदा कुछ उसमें होता नहीं। इस वजह से उसको नुकसान पहुंचाने की गरज से उसको जमीन देते थे। अब तो स्टेट के तौर पर होने लगा है क्योंकि अब जमीन की कीमत बढ़ गई है। ज्यादा अब भी पैदावार नहीं होती जितना बीज डालते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता।

मैं माननीय सदस्यों को इत्मिनान और सन्तोष दिलाना चाहता हूं कि बीज के विषय में हम लिबरल होना चाहते हैं क्योंकि इस पर हमारी भविष्य की फसल निर्भर करती है। जहां तक खाने की बात है यह एक महीने का कष्ट है। रबी की फसल में चना बोया जायगा, मटर बोई जायगी, जौ बोया जायगा। मटर तो उस डैफिनिशन में नहीं आती है और भी कुछ चीजें हैं जिन पर यह लागू नहीं होगा।

श्री मुन्नूसिंह—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो धान की मजदूरी लगती है, उसका क्या रेट है और सरकार के आंकड़े में उसका क्या प्राविजन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मजदूरी अगर एक दो महीने की उसमें से खर्च कर लेते हैं तो क्या होगा।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि बीज को बांट देने के सम्बन्ध में जो डी० एम० को सूचना देने की बात कही तो यह बड़ा गम्भीर विषय है। जिसको हम समझते हैं। हम बीज को बांटना चाहते हैं जिस पर गांव वाले निर्भर करते हैं। एक समस्या तमाम काश्तकारों के सामने खड़ी है। तो क्या हम लोग यह समझें कि आप इस तरह की आज्ञा प्रसारित करना चाहते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखकर दे दें कि इतना बीज हम काश्तकारों को बांट देंगे और उसका वह सारा हिसाब ले लें तो क्या उतना बीज वह गांव वालों को बांट दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कल हमारी एक कमेटी बैठ रही है। उसमें यह सारी बातें उपस्थित होंगी। गवर्नमेन्ट का ऐसा इरादा नहीं है कि वह इस प्रकार का कोई कदम उठावे जिससे आगे की फसल ही पैदा न हो।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

अगर किसी के पास ५० एकड़ जमीन है और वह १० एकड़ में गेहूं बोता है और २ एकड़ में चना, तो वह १२ माना जायगा अथवा ५० ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वह टोटल होल्डिंग मानी जायगी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर चर्चा

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर, जो कि सदन की मेज पर २७ सितम्बर, १९६३ को रखा गया है, ध्यान देता है ।

इस प्रतिवेदन को यदि सदस्यों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि कुछ मामलों को छोड़ कर बाकी सभी में सरकार ने आयोग के सुझावों को मान लिया है । जिन मामलों में सरकार ने आयोग से असहमति प्रकट की है वे छोटे-मोटे ५ या ६ मामले हैं और उन के लिये सरकार ने मेमोरेंडम दे दिया है कि किन परिस्थितियों में सरकार ने उनके सुझाव को नहीं माना । प्रतिवेदन के पृष्ठ ५ और ६ पर जो मुख्य बातें सरकार ने नहीं मानी हैं दी हुई हैं । पैरा ५ में कुछ स्थान सिविल जुडिशियल सर्विस में खाली थी । कुल २४ स्थान थे जिसमें १२ हरिजनों के लिये रिजर्व थे । उसमें १९ अभ्यर्थी बुलाये गये थे जिनमें ४ को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया । उनमें तीन आये और तीन में आयोग ने २ की नियुक्ति के लिये सिफारिश की । सरकार ने सोचा कि यूं ही अनुसूचित जाति के लोग अनुपात में कम हैं और तीसरे अभ्यर्थी के केवल १.३ मार्क कम थे इसलिये सरकार ने उसको भी ट्रायल बेसिस पर नियुक्त कर लिया ।

दूसरे केस में जहां सरकार ने अपनी असहमति आयोग से प्रकट की है वह पेज १६, १७ परपैरा ८ में है । उसमें एक मिस्टर 'क' अमरीका चले गये थे और उनको उस ट्रेनिंग से २५ मई, १९५७ को लौटना था । वह पासपोर्ट आदि की दिक्कत के कारण नहीं आ सके और उनकी अवधि १० नवम्बर, १९५७ तक बढ़ानी पड़ी । तो मिस्टर 'ख' जो उनके स्थान पर नियुक्त थे उनकी आयु ५५ वर्ष की २५ मई, १९५७ को पूरी होती थी, लेकिन सरकार ने उनको उस अवधि तक उस स्थान पर रिइम्पलाय कर दिया जब तक कि मिस्टर 'क' अमरीका से लौट कर न आ जायं । इसी बीच में सरकार ने यह निर्णय किया कि रिटायरमेंट की अवधि ५५ साल की उम्र से बढ़ा कर ५८ कर दी जाय । तो इस प्रकार मिस्टर 'ख' का कार्यकाल उनकी ५८ वर्ष की आयु तक हो गया और जब मिस्टर 'क' अमरीका से लौट कर आये तो चूंकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर के आये थे इसलिये निश्चय किया गया कि उनको किसी हायर पोस्ट पर रखा जाय इसलिये उस स्थान के खाली रहने की संभावना थी, इसलिये मिस्टर 'ख' को उसी स्थान पर चलने दिया गया जब तक कि उनका कोई सक्सेसर न आ जाय अथवा वह रिटायर न हो जायं । सरकार ने इस मामले में भी आयोग से असहमति प्रकट की है ।

तीसरा केस है १९, २० पेज पर, पैरा ५ में जिसमें सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी की नियुक्ति की बात थी और आयोग ने एक नाम अस्थायी रूप से सिफारिश किया था । और उसके आर्मी के हेडक्वार्टर्स से जब कंफरमेशन की बात आयी तो पूछा गया कि किसी उपयुक्त व्यक्ति का नाम दें तो जनरल आफिसर कमांडिंग और आर्मी हेडक्वार्टर से जिस आदमी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने अस्थायी नियुक्ति के लिए संस्तुति की थी उसी को उन्होंने लिखा कि यही एक योग्य व्यक्ति है, बल्कि योग्यतम तक कहा है, उसको आप कन्फर्म करें । तो सरकार ने उसको कन्फर्म कर दिया ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

चौथे, पेज २१ पर पैरा २ में है जिसमें दो जेलरों के कार्यों से जो सरकार को कुछ हानियां हुई थीं तो सिक्योरिटी डिपाजिट जो उनका था उससे वसूल करने का निर्देश कर दिया गया था। उस पर आयोग ने असहमति प्रकट की और फिर सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया था उसको आयोग ने बाद में यथावत् स्वीकार कर लिया।

पांचवां मामला एक पशु चिकित्सक का था, उनको डायरेक्टर एनीमल हस्बेंडरी ने सस्पेंड कर दिया था। उनको जब हटा दिया तो पब्लिक सर्विस कमीशन की राय ली गयी। उन्होंने राय दी कि इनको फिर से नियुक्त कर दिया जाय, लेकिन चूंकि उनके विरुद्ध जरा गम्भीर आरोप था सरकार ने पुनर्नियुक्ति तो की लेकिन उनको कुछ दंड देना भी उचित समझा और आयोग से असहमति प्रकट की। पृष्ठ २८-२९ में पैरा ४ पर है जिसमें एक ड्राफ्ट्समैन.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। पांडेय जी ने जो बहस शुरू की है वह इस पुस्तिका में जो टिप्पणी है उसी को पढ़ रहे हैं या भाष्य कर रहे हैं। वह तो माननीय सदस्य पढ़ लिये हैं। असल बात तो यह है कि कौन-कौन-सी परिस्थितियां पैदा हुईं जिसमें कि लोक सेवा आयोग के प्राविधान के विरुद्ध शासन को जाना पड़ा और क्या वह नियमों के अनुकूल कार्य था, यह बतायें। तो इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था के नाम पर माननीय काशीनाथ जी मुझे ध्यान से नहीं सुन रहे थे, मैं वही बता रहा था, दूसरी बात नहीं कही। तो पैरा ५ में एक ड्राफ्ट्समैन का मामला है जिनके स्थान पर एक प्राविधिक नियुक्ति की गयी। लोक सेवा आयोग को लिखा गया कि किसी योग्य आदमी को भेज दें, लेकिन आयोग से कोई आदमी नहीं मिला। इस बीच में ४-५ साल तक जो प्राविधिक नियुक्त हुए थे वह अलग-अलग वर्षों में नियुक्त किये जाते रहे। जब मार्च, १९५९ से फरवरी, १९६० तक के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति का समय बढ़ाया गया तो इस बीच में एक आदमी को आयोग ने रिकमेंड किया कि चाहे पहले वालों की नियुक्ति समाप्त न हो लेकिन इनको नियुक्त कर दिया जाय। लेकिन तब तक उनको बढ़ोतरी का आदेश जारी किया जा चुका था, इसलिए वह कार्य काल समाप्त होने पर उनको नियुक्त कर दिया गया। उसके अतिरिक्त आयोग ने कुछ और मामलों का भी उल्लेख किया है। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें चरित्रावलियां नहीं आयीं तो लिख दिया कि उस वर्ष कंसीडर नहीं कर सके लेकिन आप देखेंगे कि सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है उसमें सरकार की काफी तारीफ की गयी है, आयोग को संतोष है कि केवल थोड़े से मामलों को छोड़कर जिनका वर्णन इस प्रतिवेदन में किया गया है शासन तथा अन्य नियुक्त प्राधिकारियो ने भारतीय संविधान एवं लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियमों के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन किया और आयोग द्वारा परामर्शों को भी यथाविधि मान लिया। आयोग मुख्य मंत्री के विशेष रूप से कृतज्ञ है कि जो मामले उनके समक्ष रखे गये, उन पर उन्होंने शीघ्र समुचित कार्यवाही की।

तो श्रीमन्, जहां इतनी नियुक्तियां होती हों, वहां जनहित की दृष्टि से अगर ३/४ बातों में सरकार ने आयोग की सिफारिश को नहीं माना है तो उसका स्पष्टीकरण किया। अब जो और बातें सदन में प्रकाश में आयेंगी, उनका मैं बाद को उत्तर दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र––

अधिष्ठाता महोदय, सरकार की ओर से अभी जो बहस माननीय बंशीधर पांडेय जी ने की उसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। कोई भी व्यक्ति अगर इसे शुरू से आखिर तक पढ़े तो उसे यह कहीं पता नहीं चलेगा कि किन विशेष परिस्थितियों में उसको यह काम करना पड़ा। इस रिपोर्ट को पढ़ने से यह साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश शासन लोक सेवा आयोग पर हावी हो गया है श्रीमन्, संविधान की धारा ३२३ (२) का मैं हवाला देना चाहता हूं।

323. (2) "It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor shall, on receipt of such report, cause a copy ther of together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State."

राज्यपाल माननीय मुख्य मंत्री से जवाब तलब करेगा और राज्यपाल की तरफ से एक वक्तव्य इस आदरणीय सदन के सदस्यों को बंटेगा। लेकिन आज तक यह हुआ नहीं है। संविधान की धारा ३२३ (२) का अब तक श्रीमन्, उल्लंघन हुआ है। यह राज्यपाल का कर्त्तव्य है कि वह कारणों से इस सदन को अवगत करायें। संविधान के आर्टिकल ३२० की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा है––

320. (3) "The Union Public Service Commission or the State Public Service, as the case may be, shall be consulted—

(*a*) on all matters relating to methods of recruitment to civil services and for civil posts ;

(*b*) on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions and transfers from one service to another and on the suitability of candidates for such appoint ments, promotions or transfers ;

(*c*) on all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India or the Government of a State in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters ;

(*d*) on any claim by or in respect of person who is serving or has served under the Government of India or the Government of a State or under the Crown in India or under the Govenment of an Indian State....."

तो इस तरह से आप देखें कि किसी भी तरह का एप्वाइंटमेंट हो, चाहे अनुशासन की कार्यवाही हो, चाहे निकालने की बात हो, हर काम में कमीशन की राय लेना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस रिपोर्ट को पढ़ें तो शुरू से यह दिखाई पड़ता है कि कितनी ही तरह की ऐसी नियुक्तियां हैं जो बिना कमीशन को सूचित किये, सरकार ने उनको रख लिया है। १-२ माह नहीं, बल्कि बरसों ७-८ वर्ष तक वह काम करते रहे और कोई सूचना पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं दी गई। किसी तरह से उसको पता चल गया और उसने सरकार को इसके लिये बरा-बार सूचित किया लेकिन सरकार की तरफ से उनके बारे में कमीशन को कोई बात नहीं लिखी गयी।

शासन की टिप्पणी में जो शुरू में एक बात लिखी गयी है, मैं उसको मानने के लिये तैयार हूं जिसमें अनुसूचित जातियों के लोगों को २ के बजाय ३ की संख्या में रख लिया गया है। लेकिन वह उनका कोई अवश्य ही खास आदमी होगा जिसको वे वहां प्रोवाइड करना चाहते थे।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

पक्षपात के बहाने से भी सही लेकिन सरकार से कोई अच्छा काम हो जाता है तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं लेकिन यह कोई सिद्धान्तवश उन्होंने कार्य नहीं किया है। सिद्धान्तवश यह सरकार पिछड़ी हुई और अछूत जातियों को प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनमें अछत और पिछड़ी हुई जाति के लोग १८ प्रतिशत भी नहीं हैं। इस सम्बन्ध में उनका कोई खास आदमी जरूर होगा जिसको वे रखना चाहते थे। एक समाजवाद में विश्वास रखने वाला होने के कारण मैं भी यह चाहता हूं कि अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के मामले में योग्यता के मापदंड के लिये कुछ न कुछ कमी जरूर की जाय, लेकिन हर जगह यह बात दिखाई नहीं देती है।"

दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे ओहदे हैं जिनमें सरकार ने लिखा है कि कमीशन इन-इन ओहदों का चुनाव करे। कमीशन ने चुना, अभ्यर्थियों को सूचना भी भेजी गयी लेकिन फिर सरकार ने उसके बारे में कह दिया कि वह दूसरी तरह से भरे जायेंगे। एक है प्रधानाचार्य, कृषि महाविद्यालय, कानपुर के सहयोगी का पद। इसमें शासन ने नयी भर्ती के बजाय पदोन्नति के द्वारा उसको भरने का निश्चय किया। इसी प्रकार श्रम विभाग उत्तर प्रदेश में भवन निरीक्षक के पद के लिये हुआ। श्रमायुक्त ने आयोग को सूचित किया कि कुछ मिथ्या भ्रम हो जाने के कारण पदों को विज्ञापित करने के लिये अधिग्रहण भेज दिया गया था। अतः उनके अनुरोध पर चुनाव रद्द कर दिया गया। इन पांच पदों के पदाधिकारियों को आयोग ने पहले ही स्थायी होने की संभावना वाले अस्थाई पदों के लिये चुन लिया था। अतः उनके पुष्टिकरण पर विचार करना था और उन पदों को सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरना था। इसी प्रकार सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय आगरा के निदान शास्त्र विभाग में कैंसर अनुसंधान यूनिट में अनुसंधान कार्यकर्त्ता (श्री बंशीधर पांडेय के कुछ कहने पर) रिपोर्ट पढ़ कर मैं आपकी कमियों को बता रहा हूं। एक ओर तो सरकार कमीशन पर इतना रुपया व्यय कर रही है लेकिन दूसरी तरफ सरकार कुछ ओहदों के चुनाव के लिये कमीशन को लिखती है, उनका चुनाव होता है, अभ्यर्थियों को उसकी सूचना दी जाती है और शासन बाद में कह देता है कि उन पदों की अब उसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब उनको पदोन्नति के द्वारा ही भरा जायगा। यह बाद में सरकार को पता चलता है कि उसके यहां ऐसे लोग हैं जिनको उन पदों पर रखा जा सकता है। इस तरह का उसका व्यवहार है। पब्लिक सर्विस कमीशन उसके हाथ में कठपुतली बना हुआ है। इतना ही नहीं, श्रीमन्, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ ९ के ६ठें पैरा की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही आरम्भ हुई।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

"गत वर्षीय प्रतिवेदन के छठवें अध्याय के ८वें पैरा में यह लिखा गया था कि आयोग ने एक अभ्यर्थी के विषय में, जिसको उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी चिकित्सा महाविद्यालय, कानपुर में आनाटमी के प्राध्यापक के पद के लिये पहले संस्तुति किया था, बाद में यह पता लगने पर कि एक अन्य राज्य में की गयी सेवा के कारण उसकी चरित्रावली में प्रतिकूल प्रविष्टि हुई थी, अपनी संस्तुतियों को वापस मंगा लिया था।" और यह कहा था कि इस पोस्ट को विज्ञापित किया जाय, लेकिन जब उस व्यक्ति की सिफारिश सरकार के पास पहुंची तो सरकार ने कहा कि नहीं, उसी आदमी को चलते रहना चाहिये। लेकिन कमीशन के इस प्रतिवेदन में साफ लिखा हुआ है कि "शासन के अनुरोध पर दिसम्बर, १९५८ में पद का विज्ञापन फिर निकाला गया और ५ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे, किन्तु बाद में सरकार का विचार बदल गया और उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि उसी अभ्यर्थी को पद पर बना रहने दिया जाय, पर आयोग सहमत

नहीं हुआ। उस अभ्यर्थी की नियुक्ति के प्रश्न पर उसके पक्ष या विपक्ष में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। अतः पद के लिये नया चुनाव करने का काम इस वर्ष का रहा।"

यह साफ कमीशन की रिपोर्ट है लेकिन अभी तक वह मामला घपले में है।

अब मैं पांडेय जी का ध्यान इस रिपोर्ट के पृष्ठ १२ के पैरा १३ की ओर खींचना चाहता हूं।

"१३-गतवर्षीय प्रतिवेदन के छठवें अध्याय के १२वें पैरा में यह उल्लेख किया गया था कि आयोग ने उन सिद्धान्तों का अनुमोदन नहीं किया था, जिनके आधार पर स्थानीय स्वशासन अभियंत्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता ने असैनिक (सिविल) ओवरसियर तथा विद्युत् एवं यांत्रिक ओवरसियरों की समेकित-ज्येष्ठता-सूची को तैयार किया था, यह कि मुख्य अभियन्ता ने उपर्युक्त दो प्रकार के ओवरसियरों के संवर्गों के निश्चय के लिये शासन से अनुरोध किया था और यह कि उनका उक्त निदेश उस वर्ष की समाप्ति तक शासन के विचाराधीन रहा। यह स्थिति प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक बनी रही, क्योंकि शासन ने अन्तिम आज्ञा नहीं दी।"

तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट आती रही, शासन द्वारा अपने आदमियों को उसके ओहदे पर बनाये रखने की नीति चलती रही, और आयोग के नियमों व संस्तुति के विरुद्ध शासन द्वारा सारे काम होते रहे।

पदोन्नति के मामले में भी सरकार द्वारा इसी तरह के काम किये गये हैं।

"पदोन्नति का एक मामला जो पहले पहल आयोग को १९५३ में निर्देशित किया गया था प्रतिवेदनाधीन वर्ष की समाप्ति तक भी अन्तिम रूप से निबटाया न जा सका। इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश पशुपालन निदेशक ने अधीनस्थ पशु चिकित्सा सेवा के सेक्शन 'ए' में पशु-चिकित्सा निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये चुनाव करने के हेतु ३ से ५ जून, १९५२ तथा १० जुलाई, १९५२ को हुई चुनाव समिति की बैठक की कार्यवाही को एक प्रतिलिपि आयोग के पास भेजा और पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर परामर्श देने का अनुरोध किया। आयोग ने मामले पर विचार किया और कहा कि पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों की मुख्य तथा पूरक सूचियां उस समय प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार नहीं तैयार की गई थीं। अतः अगस्त, १९५३ में उन्होंने निदेशक से उक्त दोनों सूचियों को पुनरीक्षित कराने के लिये कहा। इस चुनाव से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की चरित्रावलियां आयोग के पास किस्तों में भेजी गई थीं, किन्तु बाद में अक्तूबर, १९५३ में निदेशक ने उन में से कुछ की चरित्रावलियों को वापस मंगवा लिया था।"

यह पैरा करेक्टर रोल्स के बारे में है। उसमें है कि यह करेक्टर रोल बड़े अफसरों के और सिविल सर्वेन्ट्स के नियमित रूप से कमीशन के पास जाने चाहिये। ऐसी हिदायतें भी कमीशन ने भेजी लेकिन सरकार ने कोई ध्यान उन पर नहीं दिया और सरकार की ओर से जो करेक्टर रोल गये उनमें भी ऐसा मालूम हुआ कि सरकार के किसी खास आदमी का करेक्टर रोल गड़बड़ था, वह चले भी गये, उसमें तब्दीली करना चाहते थे, उसमें फिर कुछ किया गया वरना फिर मंगाने की क्या जरूरत थी। इस तरह से वापस मंगाकर रोल्स में तरह-तरह के चेंज करने की बात उचित नहीं है।

पशुपालन विभाग जिसके बारे में अभी संस्तुति माननीय बंशीधर जी ने सुनाई है..

श्री अधिष्ठाता--

आपके १५ मिनट हो गये ...

श्री काशीनाथ मिश्र--

अभी समय दीजिये यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जनतंत्र में इसकी अहमियत जुडीशियरी से कम नहीं है और यह आयोग बहुत ही इंपार्टेंट चीज है, जनतंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिये आयोग की प्रतिष्ठा रखना बहुत जरूरी है। लेकिन यह सरकार जो शासनारूढ़ है वह इस आयोग को चपरासी और अपने नौकर की तरह से ट्रीट करती है। वहां पर जो लोग विराजमान हैं वह मजबूत लोग होने चाहिये और उनको सरकार के अनियमित कामों का खुल कर विरोध करना चाहिये।

यह एक विज्ञप्ति है जो माननीय मुख्य मंत्री के नाम से छपी है। बड़ा दुख है कि जो मुख्य मंत्राणी जो यहां की अभिनेत्री हैं और माननीय बंशीधर जी जिनके नेतृत्व में यहां बैठते हैं उनके नाम को यह विज्ञप्ति भारतीय संविधान के बिलकुल प्रतिकूल है। इसमें लिखा है पृ० २८-२९ पर अध्याय १८ के रा ४ में कि "मामले की वस्तुस्थिति यह है कि श्री 'क' को १ मार्च, १९५४ को ५५ वर्ष की आयु हो जाने पर सेवानिवृत होना था। इस दिनांक से पूर्व उक्त पद को जिस पर श्री 'क' कार्य कर रहे थे, आयोग ने मानचित्रकार अध्यापक के पद नाम से तीन बार विज्ञापित किया, किन्तु वह किसी अभ्यर्थी को सिफारिश नहीं कर सके। उनसे श्री 'क' की सेवा निवृति के दिनांक के पूर्व फिर से इस पद को विज्ञापित करने के लिये अनुरोध किया गया और उन्होंने एक अभ्यर्थी की सिफारिश की। किन्तु इस अभ्यर्थी को अध्यापन का कोई अनुभव नहीं था।"

अब यह कि केन्डीडेट को अनुभव था या नहीं इसको देखने के लिये मुख्य मंत्री या शासन कम्पीटेंट नहीं है, वह कुछ नहीं कह सकते, इसका अधिकार भारतीय संविधान की धारा ३२० के अनुसार आयोग को ही है जो कि मैंने पढ़ कर सुनायी। योग्यता और नियुक्ति आदि के विषय में कमीशन को ही निर्णय करना होगा लेकिन जानबूझ कर कमीशन को दबाने के लिये इस तरह की विज्ञप्तियां निकाली जाती हैं। यह नियम विरुद्ध है।

कहा गया कि आयोग के लोग संतुष्ट हैं। ऐसा क्यों कहा गया वह भी मैं बताना चाहता हूं। समय कम है लेकिन मैं स्पष्ट गड़बड़ घुटाले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पृष्ठ २५ पर "सितम्बर, ५९ में आयोग से इस प्रस्ताव पर परामर्श देने का अनुरोध किया गया कि श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष के पद उनके विचार क्षेत्र से निकाल लिये जायं। आयोग ने प्रस्ताव पर विचार किया, पर उस से सहमत न हो सके। परन्तु शासन ने इन पदों को आयोग के विचार क्षेत्र से निकाल देने का निश्चय कर लिया। श्रीमन्, कितना बड़ा अन्याय शासन द्वारा यह किया जा रहा है। आयोग के लोग इतने कमजोर हैं कि वे इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। लेकिन अगर शासन का यह प्रस्ताव पब्लिक सर्विस कमीशन मान लेता है तो स्पष्ट है कि आयोग शासन का गुलाम है। सरकार ने सिफारिश की है कि जो श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल्स हैं और लेबर कोर्टस् उनके पदाधिकारियों को चुनने का अधिकार सरकार को दे दिया जाय। यह संस्थाएं जुडिशियरी की अंग हैं जहां पर पूंजीपतियों और मजदूरों के मामले जाते हैं। यदि यह अधिकार सरकार को मिल जाता है तो क्या जनतंत्र चल सकता है और क्या नि-पक्ष न्याय हो सकता है? जनतंत्र पर कुठाराघात करने का प्रयास माननीय गुप्ता और श्रीमती सुचेता कृपालानी ने (उस समय जब माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री थे) आयोग से इस तरह का राय मांगी थी। आयोग ने राय नहीं दी। आयोग बराबर इस को डिसएप्रूव करता रहा क्योंकि सारी दुनिया में, जिन लोगों को डेमोक्रेसी में अकीदा है, वे इस रिपोर्ट को देखेंगे। इसलिये वे इस तरह की राय देने में असमर्थ हैं।

एक दूसरा बड़ा मामला जो राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय, लखनऊ का है, पृष्ठ २८ पर दिया हुआ है। इसमें नियुक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि श्री "ग" की नियुक्ति के समय वे ५५ वर्ष के हो गये लेकिन सरकार के बड़े ओहदेदार और लम्बरदार चाहते थे कि उनकी नियुक्ति कर ली जाय। उनकी नियुक्ति का विरोध हुआ है और पब्लिक सर्विस कमीशन वाले वहां से टर्मिनेशन की राय भेजते रहे लेकिन यह कहा गया कि उनको अनुभव है इसलिए उनको रखा जाय। खैर

रखने में कोई ऐतराज नहीं है। राज्य आपका है लेकिन कैसे गंदे ढंग से कमीशन को धोखा देकर काम करते हैं। सरकार की नौकरियों में नियुक्ति कितने पक्षपात और कितने गंदे तरीके से होती है अगर कोई देखना चाहे तो इसे उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ ले। इस तरह से उनकी नियुक्ति हो गई और नियुक्ति के ठीक तीन वर्ष बाद फिर आयोग को लिखा गया कि अब उनकी उम्र तो खत्म हो गयी है, तब पब्लिक सर्विस कमीशन को मालूम हुआ क्योंकि उनके पास सब की जन्म कुंडली आदि रहती हैं, जैसे डेट आफ बर्थ, डेट आफ एप्वाइंटमेंट आदि। इनके तीन वर्ष तो पहले ही खत्म हो गये हैं और सरकार चाहती है कि इनको एक वर्ष और दे दिया जाय। तो इस प्रकार के सारे कार्यकलाप इस प्रतिवेदन को देखने से स्पष्ट हो जायेंगे। इस समय आयोग के सदर श्री राधाकृष्ण अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी को प्रसन्न रखना है उनको जिनकी दया से वे लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं। लोक सेवा आयोग में इस समय सेक्रेटरी श्री पांडेय हैं। उनकी देख-रेख में ही यह किताब लिखी गयी है लेकिन साथ-साथ आप यह देखेंगे कि राधाकृष्ण अग्रवाल चेयरमैन हैं कमीशन के। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ करप्शन का अड्डा है। राधाकृष्ण अग्रवाल के भांजे जयकृष्ण अग्रवाल को गलत तरीके से रखने के लिये और तरक्की देने के लिये एक नया डिपार्टमेंट इस कालेज में, ग्राफिक आर्ट डिपार्टमेंट खोला गया।

श्री अधिष्ठाता—

व्यक्तिगत आक्षेप न हो तो अच्छा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

लोक-सेवा-आयोग की रपट पर बहस हो रही है जिसके अध्यक्ष हैं श्री राधाकृष्ण अग्रवाल। योग्य और बड़े उम्मीदवारों की भर्ती नहीं होती। उनके भांजे से ज्यादा योग्य पांच उम्मीदवार वहां थे और वे नहीं लिये गये। इनका टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट ३, ४ महीने का था। ग्राफिक आर्ट के लिये पोस्ट एडवर्टाइज कराई गई और ३ महीने के लिये जयकृष्ण अग्रवाल को दिल्ली की पोलिटेक्निक स्कूल में पूरी पे पर भेज दिया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस रूल के मुताबिक ३,४ महीने के अस्थायी नौकर को फुल पे पर छुट्टी दी जा सकती है दिल्ली की पोलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में भर्ती होने के लिये। वहां से वह फर्जी डिप्लोमा ले कर आते हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने ऐपियर होते हैं। जिस समय जयकृष्ण अग्रवाल इस स्कूल में पढ़ते थे बहुत से लोग अनएप्रूव्ड थे। उनके ग्राफिक डिपार्टमेंट में लिये जाने पर सब एप्रूव्ड हो भी गये। इस तरह की धांधली इस शासन के द्वारा हो रही है। ५८ से लेकर ६० तक की रपट छप गयी है। ६०-६१ की रपट सदन में पेश नहीं हुई है। अगर ३४ साल की रपट आप पढ़ें तो एक बात जरूर देखेंगे, एक बात हमेशा उस रपट में होती है कि जो नियम हैं वे अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। जब से भारतीय संविधान ५० में लागू हुआ है उसके बाद सर्विस रूल्स की मान्यतायें बदल गयीं हैं और संविधान की धाराओं के मुताबिक पिछले सन् ३५ के सर्विस रूल्स संगत नहीं हैं। शासन को जागरूक किया गया, लिखा गया कि नये सर्विस रूल्स बनाये लेकिन आज तक वे नहीं बदले गये। जो सत्तारूढ़ दल है वह हिम्मत नहीं करता। रात दिन जो शासन का काम है उसे भी वह नहीं कर पाता है। आज शासन के तीन काम हैं–किस का ट्रांसफर कहां पर हो अथवा किसको तरक्की दी जाय सब नियमों को तोड़कर। दूसरा काम है अपने सम्बधियों को ठेके तथा परमिट देने का और तीसरा काम है कौन मुख्य मंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हो। श्रीमन्, प्रतिवेदन के परिशिष्टों को देखने से ज्ञात होगा कि कई मामलों में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा चुनाव करने के लिये निर्देश बहुत विलम्ब से भेजे गये हैं। जो सेवा नियम भारतीय संविधान के बनने से पहले बने थे, वे अब अनुपयुक्त हो गये हैं। ऐसे सेवा नियमों का पुनरीक्षण और अधिक शीघ्रता से करने की आवश्यकता है। श्रीमन्, कांग्रेसी नेता को कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। अगर उसकी ही चलती तो वह आपकी हां में हां मिलाता क्योंकि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूं कि जो व्यक्ति किसी तरह से अपने भतीजे

[श्री काशीनाथ मिश्र]

को दाखिल करा सकता है वह किस अधमता को प्राप्त हो सकता है और बड़े-बड़े पाप कर्म कर सकता है ।

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) ।

श्रीमन्, जनरल रिमार्क में पढ़ रहा हूं । आयोग की यह शिकायत बहुत पुरानी है कि जो चरित्रावलियां उसके पास भेजी जाती हैं उनमें से बहुतों में अद्यावधिक प्रविष्टियां नहीं रहती हैं । आयोग के अनुरोध पर शासन ने बार-बार अनुदेश जारी किये, पर कोई प्रसंशनीय परिणाम नहीं निकला । नियमतिकरण, पदोन्नति तथा पुष्टीकरण के कई मामले केवल इसलिये रुके पड़ हैं कि चरित्रावलियां नहीं भेजी गई थीं तो उनमें पूरी और अद्यावधिक प्रविष्टियां नहीं थीं । इस तरह से आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा और पांडेय जी संतोष प्रकट कर रहे हैं । मैं आपके द्वारा कहूंगा कि सरकार इस तरह की लीपापोती छोड़े और अगर वह चाहती है कि सही तरीके से जनतंत्र चले तो जितनी नियुक्तियां हों चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी हों, चपरासी से लेकर बड़े-बड़े अधिकारियों तक, सब आयोग के मातहत की जायं और जो भी आयोग की संस्तुति हो वह मानी जाय । इसके साथ-साथ जो सर्विस रूल्स बने हुए हैं वे रद्द कर दिये जायं और सरकार संविधान की धाराओं के अनुकूल नये सेवा नियम बनाये, तभी सही तरीके से नौकरी के मामले में जनतंत्र चल सकता है ।

*श्री कृष्णानद राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मिश्र जी का भाषण सुन रहा था तो मुझे आशा हो रही थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पढ़न के बाद वह कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गवर्नमेंट उपेक्षा कर रही है । इस रिपोर्ट को यदि डिटेल्ड रूप से देखा जाय तो वे देखेंगे कि गवनमेंट में और आयोग में कोई बड़ा मतभेद नहीं है । जितने मामले दिये हैं यदि उनमें जरा भी जुडीशस माइंड लगाया जाय तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि गवर्नमेंट ठीक स्थान पर है और आयोग गलत स्थान पर है । जब वे रिपोर्ट पढ़ना आरम्भ किये तो उन्हें याद आ गया कि वह इस रिपोर्ट के विचारशील प्रगति के खिलाफ थे, इसलिये चेयरमैन के खिलाफ उन्होंने उल्टी सीधी बातें कह डालीं । जिसकी प्रशंसा करने के लिये वह गवर्नमेंट का विरोध करने के लिये खड़े हुए अपना केस कमजोर पाकर, चेयरमैन के खिलाफ ही कुछ बातें कह डालीं । यह इस बात को साबित करता है कि वह मजबूती से अपना तर्क नहीं दे सके । मैं चाहूंगा कि माननीय मिश्रा जी मेरे साथ एक एक लाइन पढ़ते चलें तो साफ हो जायगा । पृष्ठ ५ पर लिखा है---"Candidates recommended by the Commission were duly appointed in all cases except those mentioned below." तो आप देखें २,४७१ केसेज में से केवल ३ केसेज में पब्लिक सर्विस कमीशन का रेकमेंडेशन नहीं माना है । मैं पूछना हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन को इतना सेन्टीमेन्टल होने की क्या आवश्यकता है कि २,४७१ में तीन केसेज में उनकी रेकमेंडेशन नहीं मानी गई तो आब्जेक्शन रेज कर दिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, बीसों केसेज तो मैंने इसी में से पढ़ कर सुनाये जिनमें कि कमीशन की रेकमेंडेशन को गवर्नमेंट ने नहीं माना है । बीसों केसेज मैंने बताये । ये पता नहीं कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय मिश्रा जी जनरल रूप से बहस करना चाहते हों तब तो ठीक है कि कुछ सरकार का भ्रष्टाचार है, कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का भ्रष्टाचार है, इस प्रकार की बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर वह कहना चाहते हैं तब तो ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर डिटेल्स में चलकर देखें तो २,४७१ केसेज में केवल तीन केसेज में गवर्नमेंट ने उनकी रेकमेंडेशन को नहीं मानी है और उस पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने एतराज किया है, तो यही कहा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही सेन्टीमेंटल है ।

मिश्रा जी कह रहे थे कि शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति गवर्नमेंट को प्रेम नहीं है और शिड्यूल्ड कास्ट का रेप्रेजेन्टेशन गवर्नमेंट नहीं देती है । इस बात को लेकर वह पब्लिक सर्विस कमीशन को सपोर्ट कर रहे थे। मिश्रा जी देखें पृष्ठ ५ पर लिखा है कमीशन की रिपोर्ट में कि "The requisite number of scheduled case candidates were not available." वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के कैन्डीडेट्स अवेलेबिल नहीं हैं। तो चाहिये तो यह था, उनके दिल में उनके प्रति प्रेम होता तो कमीशन के इस दृष्टिकोण को जो कि एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण है, जिसमें वह यह समझते हैं कि शिड्यूल कास्ट के कैन्डीडेट्स पूर्ण रूप से उनको नहीं मिलते, उस पर उनको आक्षेप करना चाहिये था और गवर्नमेंट की प्रशंसा करनी चाहिये थी कि गवर्नमेंट उनको लेना चाहती है, लेकिन कमीशन शिड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन की लिस्ट को पूरा नहीं करता और कहता है कि कैन्डीकेडेट्स नहीं मिलते । पृष्ठ ६ पर आप देखें कि एक कैन्डीडेट शिड्यूल कास्ट का गवर्नमेंट ने एप्वाइंट कर दिया पब्लिक सर्विस कमीशन की रेकमेंडेशन के खिलाफ । जूडिशल पोस्ट के चुनाव में वह आ नहीं पाया था । गवर्नमेंट ने ट्रायल बेसिस पर उसको मुंसिफ एप्वाइंट कर दिया। उस पर पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा एतराज है कि गवर्नमेंट सर्विसेज की एफिशियेंसी को गिरा रही है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया और विरोधी दल के लोगों को शिडयूल्ड कास्ट से जरा भी प्रेम है तो उनको कमीशन के इस आबजेक्शन पर आक्षेप करना चाहिये .....

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह जो माननीय कृष्णानन्द जी कह रहे हैं हमने तो समर्थन कर दिया लेकिन गवर्नमेंट ने यह क्यों किया, इसलिये कि वह एक कांग्रेसी एम० एल० ए० के भाई थे, इसलिये उनको एप्वाइंट कर दिया, रायबरेली के रामप्रसाद कांग्रेसी, एम० एल० ए० अछूत के भाई थे, जिनको सरकार ने रखा । जनरल और सब के साथ गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप समय दें और मिश्रा जी चाहें तो मैं एक-एक केस को डील करके बता सकता हूं कि जब कभी भी पब्लिक सर्विस मीशन की रेकमेंडेशन के खिलाफ सरकार गयी है तो पब्लिक इन्टरेस्ट में गई है ।

एक चीज और आप देखें। कुछ आफिसर्स मर गये। उनके बारे में सरकार ने कमीशन को रेफर किया यह बताने के लिये कि इनका रिस्क आफ आफिस है या नहीं। उन्होंने कह दिया कि रिस्क आफ आफिस नहीं है। गवर्नमेंट ने उनकी इस राय को नहीं माना और उनकी विधवाओं और बच्चों को ग्रेच्युइटी दी। २७ पृष्ठ पर इसके बारे में रिपोर्ट है, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को बड़ा एतराज है इस पर। मैं कहता हूं कि सरकार ने बहुत ठीक किया। कभी ऐसी रेकमेंडेशन पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिये। ऐसे पब्लिक सर्विस की वर्किंग को लेकर गवर्नमेंट के ऐक्शन्स पर एतराज किया जाता है। श्रीमन्, एक उदाहरण और देना चाहता हूं क्योंकि इसमें जेनरल डिस्कशन की गुंजायश है। इसमें पृष्ठ १३ पर लिखा हुआ है :--"There was no case of disagreement between the Commission and the appointing authorities concerned." यह स्थिति तो ऐप्वाइंटमेंट्स के बारे में है।

एक दिलचस्प इंस्टांस और इसमें मिलता है। सेक्रेटरी सोलजर्स बोर्ड के ऐप्वाइंटमेंट का केस था। गवर्नमेंट ने कमीशन से एक सूटेबिल कैंडीडेट की मांग की। उन्होंने एक

[श्री कृष्णानन्द राय]

कैंडीडेट को रिकमेंड किया। वह पोस्ट टेम्पोरोरी थी। वह आदमी साल भर तक सेक्रेटरी सोल्जर्स बोर्ड के पद पर काम करता रहा। गवर्नमेंट ने जब पोस्ट को परमानेन्ट डिक्लेयर किया तब पब्लिक सरविस कमीशन कहता है कि वह तो हमने टेम्परेरी बेसिस के लिये रिकमेंड किया था परमानेन्ट बेसिस पर फिर से कमीशन को रिकमेंड करने के लिये कहना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने साल भर की उसकी वर्किंग के बाद कौन-सी डिफीकल्टी पाई जो फिर उस रिकमेन्डेशन को विदड्रा कर लिया। इसी प्रकार से ७२ आदमियों के केसेज हैं जिन्हें जब परमानेन्ट बेसिस पर करना हुआ तो कमीशन ने एतराज किया। तो चाहे ऐप्वाइंटमेंट हो, चाहे प्रोमोशन का मसला हो, चाहे डिसिप्लिनरी ऐक्शन का और चाहे अपील का हर मसले को गवर्नमेंट ने कमीशन को रिफर किया और ८० से ९० प्रतिशत केसेज में पब्लिक सरविस कमीशन के गवर्नमेंट से ऐग्री किया है सिवाय उन दो-चार-दस केसज के जो आफिर्सस के हैं या टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस के हैं। उनमें भी गवर्नमेंट करेक्ट है और पब्लिक सरविस कमीशन की गलती है। कमीशन को चाहिये कि समय को देखते हुये अपने दिमाग को वह ज्यादा प्रोग्रेसिव बनावे।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। मैं सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स के विषय में कहना चाहता हूं। सन् १९३७ में जब यह गवर्नमेंट आयी उस वक्त सबसे पहला काम उसने मिल्कीराम हरिजन को डिप्टी कलेक्टर बनाया और एक बी० ए० फेल को डिप्टी कलेक्टर बनाया। सारे उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई इस बात की लेकिन धीरे-धीरे इस सरकार ने कमीशन को अपने आधिपत्य में करना शुरू किया और जितनी नियुक्तियां अब होती हैं उनमें ज्यादातर मिनिस्टरों के और सरकारी पक्ष के सदस्यों के रिश्तेदार रखे जाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में कितना असंतोष बढ़ रहा है इससे पता लगता है कि पिछले चुनाव में ८० एम० एल० एज० में से ४० हरिजन आपके विरोधी दलों के चले गये और इससे अगले चुनाव में आपको मालूम हो जायगा कि शिड्यूल्ड कास्ट किस तरह जा रहा है। उनकी बहुत दिनों से एक मांग चली आ रही है कि कमीशन में उनका एक सदस्य होना चाहिये ताकि उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। यह सरकार मुसलिम और हरिजन वोट्स से ही बनी है लेकिन यहां रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हो चुका है जिन्होंने आपके साथ चुनाव लड़ा है और उनका काफी प्रतिनिधित्व आ गया है। आज हरिजन नवजवानों में बहुत असंतोष है इसलिये कि कमीशन में उनका प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा गया। इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं आप पब्लिक सर्विस कमीशन की बातें मानते कब हैं? मैं अभी एक घटना बतलाना चाहता हूं। आपने उत्तर प्रदेश में कुछ नायब तहसीलदारों को जिनकी ७ वर्ष की सर्विस हो गई थी, तहसीलदार बनाया है। इन ७ वर्ष के बाद कुछ को नायब तहसीलदार बनाया गया। जब जमींदारी खत्म हुई थी तो उसके बाद कलेक्शन नायब तहसीलदार रखे गयेथे। वे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आये तो जिनकी पोजीशन ऊंची थी। वह नायब तहसीलदार रहे और जिनकी पोजीशन पब्लिक सर्विस कमीशन में नीची थी, वह तहसीलदार बनाये गये। आज आपकी सरकार के खिलाफ उन तहसीलदार ने एक रिट दायर की है। उसमें पता चल जायगा कि आपकी सरकार आज पब्लिक सर्विस कमीशन के नियमों को मानती है या नहीं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हरिजनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और आज सरकार की निगाह में हरिजन नाकिस हैं और इस वजह से उनका प्रतिनिधित्व सही नहीं होता। आपके अन्दर जो ४० कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं उनके अन्दर ज्वाला भभक रही है। वह इस वजह से कि आपके यहां सरकारी विभागों में उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं होता। आज यह बात कही जाती है कि हरिजनों में योग्य व्यक्ति नहीं हैं जो सर्विस में आयें। यह मालूम होना चाहिये कि हरिजनों में डा० अम्बेदकर भी पैदा हुये थे जिन्होंने हिन्दुस्तान का संविधान बनाया और उनमें हजारों की संख्या में ऊंचे पढ़े-लिखे लोग

मौजूद हैं लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उनको नीचे नम्बर दिये जाते हैं, जान बूझकर दिये जाते हैं और उनको नौकरी नहीं मिलती है, बहाना यह लिया जाता है कि योग्य व्यक्ति हरिजनों में नहीं मिलते हैं। मैं इतना ही कहकर यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों का एक प्रतिनिधि हो।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है इसलिये मैं बहुत थोड़े में कहूंगा। पहले तो मुझे यह कहना है कि यह रिपोर्ट १९५९-६० की आज सन् १९६४ में पेश हुई है। मैं अपनी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुछ जल्दी होनी चाहिये और जब ४-५ वर्ष की रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है और उसमें ४-४, ५-५ वर्ष पहले मामले आते हैं तो उसमें कुछ मामलों पर बहस करना निरर्थक हो जाता है।

जहां तक इस रिपोर्ट का संबंध है माननीय बंशीधर जी ने जैसा बतलाया कि इस प्रतिवेदन के आखीर में यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग और सरकार में सहयोग बढ़ा है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसके शुरू के एक वाक्य को पढ़ देना चाहता हूं : "निम्नलिखित मामलों को छोड़ कर जिनके विषय में शासन को आज्ञायें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं शेष सब मामलों में आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थी यथाविधि नियुक्त किये गये हैं, और वे मामले केवल दो हैं।" आयोग ने यह भी लिखा है कि वे दो मामले इसलिये रहे कि जिनकी संस्तुति आयोग ने की थी उनमें से तमाम को समय के अन्दर नियुक्ति मिल गई केवल दो मामलों को छोड़कर। अन्त में उन्होंने यह कहा कि सरकार के, शासन के सहयोग से हमको संतोष है। इस प्रकार हम आगे बढ़े हैं।

मैं इस संबंध में दो, तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इसमें यह देखा कि जिन मामलों में विरोध है और जिनका जिक्र माननीय काशीनाथ जी ने किया, उनमें एक ही प्रकार की कार्यवाही सरकार के द्वारा हुई है। यह सेलेक्शन इस तरह से अच्छा नहीं है। वह कार्यवाही इस प्रकार से हुई कि किसी व्यक्ति विशेष को रखना था। हमने उसको टैम्पोरेरी सर्विस में रख लिया और फिर उसकी मियाद एक साल के लिये बढ़ा दी। उसके बाद फिर एक साल की बढ़ा दी। यदि इस प्रकार से मियाद बढ़ाते हैं तो यह तरीका हानिकर होगा। उन मामलों में एक तो पशुपालन विभाग का है जिनका जिक्र किया गया। एक अफसर अमेरिका ट्रेनिंग लेने के लिये गये। उनकी जगह पर अस्थायीरूप से नियुक्ति की गई। उसकी स्वीकृति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये की गई। जब वह अमेरिका से आये तो उनको पदोन्नति करके दूसरा स्थान दिया गया। परन्तु अस्थायी नियुक्ति का समय आगे के लिये और बढ़ाया गया। इसकी आयोग ने मुखालफत की कि यह ठीक नहीं है। वह नहीं मानी गई। यदि वह योग्य थे, उनकी तारीफ थी, उनका काम सन्तोषजनक था तो उनको स्थायी करने के लिये नोटिफिकेशन करते, विज्ञप्ति करते तो प्रार्थना-पत्र आते, वह भी प्रार्थना-पत्र देते। उनकी वह एक एडीशनल क्वालिफिकेशन होती। यह एक अतिरिक्त योग्यता होती। उनकी योग्यता और बढ़ जाती है कि उनका काम संतोषजनक रहा है, दूसरे सैनिक नाविक विभाग चालक परिषद्, सोल्जर्स बोर्ड के सेक्रेटरी का मामला है। उसमें भी कुछ इसी प्रकार हुआ। तीसरा मामला राजकीय कला एवं शिक्षण विद्यालय के एक अध्यापक का है। इसमें श्रीमन्, एक चित्रकार जो १९५४ में रिटायर होने को थे उनको बिना आयोग से पूछे हुए एक साल का एक्सटेंशन दे दिया गया और चार साल तक बिना आयोग को खबर किये हुए हर साल एक्सटेंशन दिया जाता रहा। १९५४ से १९५९ तक यह कार्यवाही चलती रही और १९५९ में संस्तुति मांगने पर आयोग ने अपनी संस्तुति नहीं दी। उसके बाद आयोग को एक लेक्चरार की पोस्ट के लिये लिखा गया। उसने उसके लिये भी अपनी संस्तुति दी। यह महाशय कांटीन्यू करते रहे। लेकिन तब आयोग को शुबहा हुआ औरउसने पूछा कि यह दोनों सर्विस एक ही तो नहीं हैं। उनकी नियुक्ति पहले वहां की गयी थी और आयोग को बतलाया गया कि

[श्री जगदीशप्रसाद]

दोनों जगहें एक ही हैं। यह आयोग के नियमों और सहमति के बिलकुल विपरीत था और इस स्थिति में उनको चार, पांच साल तक कायम रखा गया। आयोग को वास्तविक परिस्थिति से अवगत नहीं कराया गया। श्रीमन्, सरकार और आयोग का सहयोग लेटर ऐंड स्प्रिट दोनों में होना चाहिये अन्यथा सहयोग ठीक नहीं हो पायेगा। आप शब्दों में कानूनी तौर से तो उनकी बात मानें और उद्देश्य कुछ और रहे तो यह वास्तविक सहयोग न होगा।

एक बात और जिसकी ओर आयोग ने ध्यान दिलाया है वह बिक्री-कर विभाग के बारे में है। यह पेज १६, १७ पर है। इसमें है कि आयोग को किसी प्राइवेट सोर्स से सरकार द्वारा नहीं सूचना मिली कि सहायक बिक्री-कर अधिकारी के पदों पर अस्थायी नियुक्तियां करने में बड़ी अनियमितता की जा रही है। आयोग ने बिक्री-कर आयुक्त से इस विषय में पूछा। उन्होंने कुछ बातों के विषय में सूचना दी पर कई महत्व के प्रश्नों के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया। किन्तु जो सूचना उन्होंने दी थी उससे पता चला कि कई वर्षों में समय-समय पर लिपिकवर्गीय कर्मचारी के पदों पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिये ७० लोग नियुक्त किये गये हैं और उनका अस्थायी समय जब समाप्त हो गया या होता था तो उनको नोटिस दे दिया जाता था और फिर एक वर्ष के लिये उनको रख लिया जाता था। यह पद्धति रुकनी चाहिये अन्यथा यह आयोग का सहयोग नहीं रहेगा।

चूंकि समय कम है इसलिये एक दो बातों की ओर और ध्यान दिलाऊंगा। इसमें लिखा है कि हमारे यहां आशुलिपिकों की कमी है। हमको इससे सबक लेना चाहिये और सरकार को इनके लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये। इसमें यह भी लिखा है कि विशेषतः अनुसूचित और हरिजन जाति के अभ्यर्थी आशुलिपिक और लेखा परीक्षा सेवाओं में नहीं आये। यदि हम इसका विशेष प्रबंध न करेंगे तो उनको अपने बराबर नहीं ला सकेंगे।

एक बात और अर्ज कर दूं। आयोग ने एक बात और लिखी है। उससे १९५५ में एक संस्तुति करायी गयी और उस पर १९६० में नियुक्ति की गयी। सन् ५७ में कुछ संस्तुतियां की गयीं और उनको ६० में लिया गया। तो इस प्रकार से व्यर्थ समय नष्ट होता है। अगर सन् ६० में आवश्यकता है तो सन् ५८ में पत्र भेज दीजिये। यह नहीं कि १९५५ में संस्तुति करायें और संस्तुति पड़ी रहे और वह बार-बार याद दिलाते रहें। कम से कम हर वर्ष प्रतिवेदन में हो छापते हैं कि यह नियुक्तियां नहीं हुईं तो इसमें व्यय व शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। तो इस ओर हमें अवश्य ध्यान देना चाहिये और साधारण रूप से सरकार और आयोग में सहयोग रहा है।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज-कल जैसा देखा जाता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एप्वाइन्टमेंट्स होते हैं, उनमें पोलिटिकल बायस होता है, यह प्रथा बहुत गलत है। अंग्रेजी की कहावत है कि आदमी ईमानदार हो नहीं होना चाहिये बल्कि उसको शोहरत भी ईमानदारी की होनी चाहिये। जब ऐसे पोलिटिकल एप्वाइंटमेंट्स किये जाते हैं तो वे आपकी घोर इनर-पार्टी-बन्दी में हिस्सा लेते हैं और जितनी उसकी गंदगियां होती हैं उनमें बहुत रुचि के साथ सहयोग प्रदान करते हैं तो लामुहाला ऐसे आदमी को जब नियुक्ति होती है तो वह ईमानदार नहीं हो सकता और अगर हो भी जाय तो उसकी शोहरत ईमानदारी की कभी नहीं हो सकती। इसलिये पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एप्वाइन्टमेंट्स हों वह ऐसे हों जिन पर जनता का विश्वास हो, जिनमें जनता की आस्था हो और उस कैंडिडेट को भी जो सेलेक्ट न हुआ हो, यह अहसास रहे कि मैं जो सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसमें मेरी ही कमजोरी थी। बदकिस्मती की बात है कि आज ऐसी आस्था पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं है। उधर के बैठने वालों को भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुभव होगा कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने लोग जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सिफारिश हो जाय और अगर उनसे कहिये कि वहां नहीं होती है तो वह इसको मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि रिजल्ट्स उन बातों को अक्सर बताया करते हैं। तो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के एप्वाइन्टमेंट्स पब्लिक लाइफ में से हों, पोलिटिकल लाइफ में से हों, सर्विसेज में से हों, वही हों जिनको रेपुटेशन हमेशा ईमानदारी की रही हो। यह नहीं कि किसी अफसर से आप नाराज हैं तो आपने उनको हटाने के लिये एक अच्छा तरीका सोच रखा है। इसी कुर्सी पर एक साहब बैठे हुए थे जिसपर आप बैठे हैं। उनको वहां पर रखना मंजूर नहीं था, इसलिये उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में भेज दिया। ऐसे एप्वाइटमेंट्स बहुत से होते हैं।

फिर गवर्नमेंट का और पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या रिश्ता है, इस पर भी सोचना है। हम लोग ऐसा समझते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक खुदमुख्तार संस्था है और गवर्नमेंट की नौकरियों के लिये जो भी चुनाव किये जाते हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से किये जाते हैं। तो यही आवश्यक नहीं है कि ईमानदारी से लोग लिये जांय, बल्कि जरूरी है कि चुनने का तरीका भी बदलना चाहिये। अंग्रेजी कौन अच्छी बोल लेता है सारा एम्फैसिस इसी पर नहीं होना चाहिये। आज दुर्भाग्य की बात है कि अच्छे और काबिल कैंडीडेट्स जो अंग्रेजी बोलने में भलीभांति निपुण नहीं हैं वह नहीं चुन पाते। ज्यादातर चुनाव उन्हीं के होते हैं जो कि पब्लिक स्कूल्स से आते हैं। देहात के पढ़े-लिखे लोग बहुत कम जा पाते हैं, यद्यपि उनमें योग्यता कम नहीं होती। कुछ और बातों की ओर कांग्रेस बेन्चेज से इशारा किया गया, माननीय जगदीश प्रसाद जी ने भी बहुत सी बातें कही हैं, उनसे इस सरकार की नीति की निन्दा ही होती है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ ऐसी नियुक्तियां की गयी हैं, जिनको जायज नहीं कहा जा सकता। यहां म्युजियम में कुछ ऐसे लोगों के एप्वाइन्टमेंट्स हुए हैं जिनको पहले ३–३ बार रिजैक्ट किया गया और फिर उन्हीं को रखा गया। नान-टैक्नीकल लोगों को टैक्नीकल जगह पर रखा गया है। इससे सारी बेईमानी सरकार की जाहिर होती है। पहले टेम्पोरेरी रखा जाता है, फिर एक्सटेन्शन दिया जाता है, फिर जो क्वालिफिकेशन उस कैन्डीडेट की होती है जिसको कि सरकार रखना चाहती है, वही एडवर्टाइज कर दी जाती है और उसी केन्डीडेट की नियुक्ति हो जाती है। यह तरीका जायज नहीं है और इसके लिये सरकार की निन्दा की जानी चाहिये। मैं तो कहता हूं कि इन चीजों को लेकर हाउस में बगावत क्यों नहीं होती? म्युजियम के अन्दर एक भी नियुक्ति ऐसी नहीं हुई है जो जायज हो। उनके बारे में पहले भी मैं इसी सदन में कह चुका हूं। मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वे सदन में जवाब नहीं दे सकते, लेकिन मुख्य मंत्री की ओर से उसका जवाब आना चाहिये। हर नियुक्ति के पीछे आपको यही कहानी मिलेगी।

हरिजन और बैकवर्ड क्लास के जो एप्वाइन्टमेंट होते हैं उसके बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार का जो उनका कोटा है अगर उससे ज्यादा भी लेना पड़े तो लेना चाहिये और उनकी नियुक्तियों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। उन लोगों के लिये कोई स्तर नियत किया जाना चाहिये। उनके लिये कोई योग्यता निर्धारित होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मेरी बातों का जवाब माननीय मुख्य मंत्री अवश्य देने की कृपा करें।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)––

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजनों के प्रतिनिधित्व के बारे में सन् १९५७ में विधायकों ने यह कहा था और डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने डाक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई थी जिससे यह सिफारिश की थी कि कमीशन में परिगणित जाति का एक सदस्य रखा जाय। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कोई परिगणित जाति का सदस्य कमीशन में नहीं रखा गया। सन् ५९–६० में उस समय के मुख्य मंत्री, माननीय

[श्री माताप्रसाद]

चन्द्रभानु गुप्त ने भी घोषणा की थी कि हम योग्य हरिजन तलाश कर रहे हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य बनाया जा सके। आज तक सरकार इस वायदे को पूरा नहीं कर पाई है।

इस रिपोर्ट के पृष्ठ ५ और ६ पर वर्णन है कि एक हरिजन को मुंसिफी के लिये कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार न फिर मामला कमीशन को भेजा कि हरिजन कम हैं इसलिये इस पर फिर विचार किया जाय। कमीशन नहीं माना और गवर्नमेंट ने उसे मौका दिया। हमें खुशी है कि वह व्यक्ति बहुत ही सफलतापूर्वक अपना कार्य कर रहा है। मैं सरकार के ऐसे कदम का स्वागत करता हूं और कमीशन की हरिजन-विरोधी नीति की घोर भर्त्सना करता हूं। हमारे यहां कहावत है कि "अपनी अपनी सब कहें, हमरी कहे न कोई, हमरी तो वहू कहै जो हमरे घर का होई।" जब तक हमारा कोई मेम्बर कमीशन में नहीं होगा तब तक हमारी आवाज नहीं सुनी जा सकती है। क्या सारे यू० पी० में कोई भी ऐसा अनुसूचित जाति का आदमी नहीं है जिस आप कमीशन का सदस्य बना सकें?

पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नौकरियां निकलती हैं उनमें अनुसूचित जातियों के लोगों को किराया नहीं मिलता है। न उन्हें फीस में छूट है। उनके पास किराये के लिये पैसा नहीं होता है, कर्जा लेकर जाते हैं। सेंटर में रेलवे कमीशन में यह है कि परिगणित जाति के उम्मीदवारों को या तो किराया देते हैं या पास देते हैं और दूसरे लोगों की अपेक्षा उनसे फीस भी चौथाई ली जाती है। ऐसा ही यहां भी होना चाहिये।

मान्यवर, जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने भी जाते हैं उन्हें कभी कभी यह सरकारी अधिकारी अयोग्य कर देते हैं। वे उनकी रिपोर्ट खराब कर देते हैं। जैसे आज सुबह ही एक प्रश्न उठा था कि २० जो बी० डी० ओ० कमीशन से आये थे, जिनमें १२ हरिजन थे, वे अपने ऊपर के अधिकारियों को किसी प्रकार खुश नहीं कर सके, और उन्होंने उनकी रिपोर्ट खराब कर दी जिस पर उनको नोटिस दे दी गई और अब वह ओवर एज हो गये हैं, अब उसको सर्विस से निकालने की बात की जा रही है। मान्यवर, इसी तरह से मेडीकल कालेज, कानपुर और लखनऊ में ५ सीटें हरिजनों के लिये सुरक्षित हैं लेकिन इस साल एक भी शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी नहीं लिया गया। ३ लड़के आये भी थे। दोनों जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स और बैकवर्ड क्लास की सीटें मिलाकर ११ कर दी गयीं लेकिन सभी बैकवर्ड क्लास में से ले लिये गये, शिड्यूल्ड कास्ट में से एक भी नहीं लिया गया। आज चाहे वह पी० एस० सी० हो या और कोई चुनाव करने वाली संस्था हो, उन सब में एक-एक प्रतिनिधि हरिजनों का अवश्य होना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय काशीनाथ जी का बड़ा आभारी हूं। मालूम पड़ता है कि चूंकि उन्होंने विरोध करने के लिये अपना नाम लिखा दिया था इसलिये ही उन्होंने रिपोर्ट को तोड़-मरोड़ कर अपने दल की भाषा में उसको कह डाला। श्रीमन्, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि माननीय काशीनाथ जी ने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि कमीशन के चेयरमैन, सदस्य और उसका संगठन का स्तर वही है जो कि न्यायधीशों और न्यायालयों का है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कह दिया चेयरमैन इस प्रकार के हैं। उनको कम से कम एक बात तो देखनी ही चाहिये कि वह कौन-सा तरीका हो सकता है जब कि कमीशन के चेयरमैन के संबंध में ऐसी बातें न कही जा सकती हों। माननीय काशीनाथ जी भी अगर चेयरमैन हो जांय तो यह न कहा जाय कि किसी भाई भतीजे को उन्होंने चुन लिया है। हम सब इसी देश के रहने वाले हैं और कोई न कोई पास का नहीं तो दूर का रिश्तेदार तो हमारा हो ही सकता है। मैं समझता हूं कि कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करते समय इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिये।

माननीय भगवान सहाय जी ने कहा कि सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति ऐसी होनी चाहिये कि उनके ऊपर जनता का विश्वास हो। अब उस जनता के विश्वास का बैरोमीटर क्या होगा? जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं ४३०, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार यहां बैठी हुई है लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है, भाई-भतीजावाद हो रहा है। अगर जनवाद को चलाना है तो इस प्रकार की मनोवृत्ति को हमें समाप्त कर देना होगा क्योंकि ये चीजें उन लोगों के मनोबल को गिराती हैं जो कमीशन में, अथवा हाईकोर्ट, में अथवा यहां बैठे हुए हैं। संविधान की धाराओं को पढ़ कर कहा गया कि गवर्नर को लेजिस्लेचर के सामने पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिये था। उन धाराओं के अन्तर्गत आप देखेंगे कि जहां वह बात कही गयी है, जहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन या दूसरे मेंम्बरों की नियुक्ति की बात है, उसके नियम बने हुए हैं उनकी नियुक्ति उन्हीं के अनुसार होती है। उसी रीति से सरकार कार्यक्रम निर्धारित करती है। उन्होंने कहा कि इसके नियम अंग्रेजों के समय के हैं। माननीय काशीनाथ जी ने मालूम होता है इसको पढ़ा नहीं है। उनको मालूम होना चाहिये कि करीब-करीब कितने नियम हमारे सामने प्रस्तुत किये जा चुके जिन पर कमीशन ने विचार किया और हमने उनको अन्तिम स्वीकृति दी। कुछ के लिये हमें उन्होंने परामर्श दिया कि इसको न लाया जाय और कुछ संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसमें यह तमाम बातें लिखी हुई हैं। यह मैं बतला दूं कि इस प्रकार के रूल जो सरकार बनाती है तो ऐसे उच्च पदों के लिये सरकार तभी फाइनल करती है जब पब्लिक सर्विस कमीशन की कांकरेंस प्रायः उस पर हो जाती है। यदि माननीय सदस्य को जानकारी न हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको पढ़ लें। ऐसे उच्च पदों के लिये रूल तब तक नहीं बनते जब तक कि पब्लिक सर्विस कमीशन की कांकरेंस न ले ली जाय।

माननीय भगवान सहाय जी ने कहा कि इसमें पोलिटिकल एप्वायंटमेंट होते हैं। आखिर पोलिटिकल एप्वायंटमेंट का माने क्या होता है? जब हम किसी आदमी को किसी उच्च पद पर नियुक्त करते हैं तो उसके लिये तोड़-मरोड़ कर अपनी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कि हम जिसको अपनी पार्टी में नहीं चाहते उसको इस तरह के पदों पर नियुक्त कर देते हैं। जैसे श्री अशोक मेहता जब आपकी पार्टी पी० एस० पी० के मेम्बर थे और उनको योजना कमीशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया तो यही कहा जाने लगा कि वे तो कांग्रेस में जाना ही चाहते थे इसलिये आपने उनको उस पद पर बैठा दिया। अगर हम विरोधी पक्ष के किसी आदमी को भी कमीशन के किसी उच्च पद पर नियुक्ति कर दें तो उसके लिये भी आप कुछ न कुछ कहने का बहाना निकाल ही लेंगे। आप अपने दिल से इस बात को स्पष्ट स्वीकार नहीं करते और सारी बातों को तोड़-मरोड़ कर जबाब देने के लिये कह देते है। इस तथ्य से कैसे इन्कार किया जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की हर बात को मानने के लिये यह सरकार बाध्य नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन अन्ततोगत्वा एक सलाहकारिणी संस्था है लेकिन एक कंवेंशन चला आ रहा है कि सरकार पब्लिक सर्विस कमीशन की सारी बातों को मान ले, लेकिन आखिरकार वह एक सलाहकार समिति है। सरकार अन्तिम रूप से अपनी स्वीकृति देती है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधियों से ही यह सरकार बनी है। अगर आपको अपने दिल पर भरोसा न हो, अपने प्रतिनिधित्व पर भरोसा न हो लेकिन जहां तक इस सरकार का प्रश्न है यह तो उत्तर प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिये हमको और आपको चाहिये कि हम उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास प्राप्त करें तभी हम नियमों के साथ और कानून के साथ चल सकते हैं।

एक बात माननीय काशीनाथ जी ने और कही कि सरकार हरिजनों की बात कहती है लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में इस रिपोर्ट से ही पढ़ देना चाहता हूं जिससे मालूम हो जायगा कि जहां-जहां भी आवश्यक समझा है वहां-वहां हरिजन विद्यार्थियों को ही तरजीह देने के लिये कहा है। इस रिपोर्ट के पेज ६ पर माननीय काशीनाथ जी पढ़ लें जहां

श्री बंशीधर पांडेय]

लिखा हुआ है---"शासन ने यह प्रस्ताव किया कि उस अभ्यर्थी की परीक्षार्थी उपयुक्त(फिट फार ट्रायल) के आधार पर दो वर्ष के लिये इस स्पष्ट शर्त के साथ नियुक्त किया जाय कि यदि वह देखा जायगा कि एक यथोचित स्तर तक उठना उसके लिये सम्भव नहीं है तो उसकी सेवायें बिनापूर्व सूचना दिये समाप्त कर दी जायेंगी.....

श्री उपाध्यक्ष---

पांडेय जी, आप कितना समय और लेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय---

५-७ मिनट का समय और मुझे दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं सदन का समय १५ मिनट के लिये और बढ़ाता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आयोग ने शासन के प्रस्ताव पर भली भांति विचार किया और उन्होंने पूर्व परीक्षा १९५६ में बैठने वाले अनुसूचित जातियों के दो अभ्यर्थियों के समान प्रकरण के सम्बन्ध में पहले ही बतलाये गये कारणों से अर्थात् यह कि एक निश्चित स्तर, जो ऐसे अभ्यर्थियों के लिये पहले ही से कम है, के नीचे जाने से सेवा की कार्यक्षमता पर निश्चय ही बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा, और यह कि न्याय प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिये जो न्यूनतम स्तर से नीचे के हों, खेद प्रकट किया और सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति से सहमत होने में असमर्थता प्रकट की, किन्तु शासन ने आयोग के परामर्श के विरुद्ध निश्चय किया कि उसको एक अति विशेष प्रकरण मान कर "परीक्षार्थ उपयुक्त के आधार पर एक अस्थायी मुन्सिफ के पद पर नियुक्त किया जाय।" इसलिए सरकार ने देखा और हरिजन का खयाल करके मान लिया और उसकी नियुक्ति कर दी, उनकी संख्या भी कम थी। १२ थे उसमें से ४ लिये फिर ३ रहे फिर २ रह गये और उचित समझ कर शासन ने नियुक्ति कर दी ।

अमरीका में जाने की बात कही गई, ५५ साल की उम्र समाप्त हो गयी और ५८ तक चलते रहे। अमरीका में जो सज्जन गये उनके स्थान पर जिसकी नियुक्ति की गई जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि २५ मई, सन ५७ तक अमरीका जो गये थे उनके लौटने की एक तारीख थी लेकिन किन्हीं कारणों से यात्रा की सुविधा में कुछ बाधा हुई और वह १०-११-५७ तक नहीं आ सके। इस बीच में २५-५-५७ को उनकी ५५ वर्ष उम्र पूरी हो गई। इसलिये १०-११-५७ तक उनकी पुनर्नियुक्ति की। इसी बीच में मंत्रिमंडल ने रिटायरिंग एज ५५ से ५८ कर दी थी। और वह जो पदारूढ़ थे उनका हक हो गया कि वह भी ५८ तक काम करें। अब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करके वह जो अमरीका से लौटने वाले सज्जन थे उनको और दूसरे ऊंचे पद पर नियुक्त करने का विचार किया गया। जब पद भी रिक्त था और ५८ तक काम करने की बात थी तो सरकार ने देखा कि क्यों न उनका जो कायम मुकाम थे उनकी नियुक्ति कर दी जाय। उन्होंने ५८ तक काम किया.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह अमरीका पढ़ने गये और जब पढ़ कर आये तभी पता चला कि वह योग्यता लेकर आये हैं, अगर पहले से ही पता था कि वह अमरीका से योग्यता हासिल करके आ रहे हैं तो उनको दूसरा पद दिया जा सकता था, वह लौट कर आये उनको पद नहीं दिया गया और शासन जिसको चाहता था उसको दिया ।

श्री बंशीधर पांडेय--

बहुत से ऐसे अफसर होते हैं जो फारेन में योग्यता प्राप्त करने जाते हैं लेकिन वह वहां जाकर क्या करके आते है बगैर इसको देखे कैसे कोई पहले से उन की नियुक्ति कर सकता है। उनके लौटने पर न जाने क्या स्थिति होगी? पहले से ही पोस्टडेटेड नियुक्ति कैसे की जा सकती है?

कहा गया कि डायरेक्टर एनीमल हस्बेंडरी ने एक सहायक उपनिदेशक को या सहायक पशु चिकित्सक को निकाल दिया। कमीशन ने कहा कि यह डायरेक्टर का काम अनियमित था। हमने कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया लेकिन शासन ने वह कारण पर्याप्त नहीं समझा कि उसको माफ कर दिया जाय इसलिये शासन ने उसको दंड दिया, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि सरकार अपने यहां ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही सख्त नहीं करती। इस तरह से कहीं पर भी कमीशन को ऐसा नहीं मिलेगा कि शासन ने उनके साथ असहमति प्रकट की हो।

काशीनाथ जी ने कैरेक्टर रोल्स को वापस मांगने की बात कही। कमीशन ने स्वयं कहा था कि वह अप टु डेट भेजे जायं और चूंकि वह जिलों में जाते हैं और फिर आते हैं और देर लगती है। हमें स्वयं खेद था कि देरी जरूर हुई। लेकिन अब सब मामले कमीशन और शासन के द्वारा फाइनल हो चुके हैं। श्रीमन्, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर श्री काशीनाथ जी ने चर्चा की है। पब्लिक सर्विस कमीशन जिस दिन अपनी रिपोर्ट देता है चाहे वह ३० दिसम्बर हो या ३१ मार्च हो, या उस दिन भी मांग लेता है कि तुमने क्वालिफिकेशन का सर्टीफिकेट नहीं भेजा। श्रीमन्, ऐसा होता है कि बहुत से सर्टीफिकेट मैडीकल टैस्ट हो जाने के बाद आते हैं। सरकार ने कमीशन से केवल ५-६ स्थानों पर अपनी असहमति प्रकट की है और वह भी जनहित में की है। एक अधिकारी के सम्बन्ध में सरकार ने आयोग को लिखा कि जिस व्यक्ति को आपने भेजा वह योग्य नहीं है। यह बात ठीक है कि नियुक्तियां आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही होती हैं लेकिन सरकार नियुक्ति करने का अंतिम अधिकार रखती है। अतः पब्लिक सर्विस कमीशन को बताया गया कि जिस आदमी को आपने इस पद के लिए रिकमेंड किया वह इस पद के योग्य नहीं है और यही एक कारण नहीं था बल्कि उस गजटेड पोस्ट को ऊंचा भी कर दिया था। तो उसको उस पर फिट नहीं किया जा सकता था। इसलिए पब्लिक सर्विस कमीशन को बताया गया कि जो पोस्ट को ऊंचा करके अपने अभ्यर्थी को मांगा और जिस अभ्यर्थी को आपने भेजा और वह भी चूंकि उनके आदेश हमें जब मिले जब कि मिस्टर एक्स की पुनर्नियुक्ति की सूचना दे चुकी थी तो इसलिए सरकार ने यह सोचा कि जब उनकी तिथि समाप्त हो जायगी तो पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भेजे गये व्यक्ति को उसी दिन से नियुक्त कर दिया जायगा। इस प्रकार नियुक्ति कर दी जा चुकी है।

अन्त में आप सारी रिपोर्ट को देखेंगे कि लोक सेवा आयोग जो कि एक सलाहकार संस्था के रूप में काम करती है, उसका हम बहुत आदर करते हैं पर ये (विरोधी पक्ष के मा० सदस्य) तो उनके सारे कन्डक्ट को क्रिटीसाइज करते हैं। तो हम लोगों के लिए तो उनके सारे आदेश माथे पर होते हैं। जिन को हमने स्वीकार नहीं किया है वे केवल ३-४ हैं और उनको भी केवल जनहित के कारण नहीं किया है और यह सरकार को अधिकार है कि वे उसकी सिफारिश को मानें या न मानें।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश लोक-सेवा-आयोग के १९५९-६० के प्रतिवेदन पर, जो सदन की मेज पर २७ सितम्बर, १९६३ को रखा गया, ध्यान देता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह वोट पर तो नहीं रखा जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने देख लिया है कि वोट पर रखा जाता है। लोक सभा में भी रखा जाता है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते है और कल ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१० अगस्त, १९६४।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३ पर)

निश्चलित (फ्रीज) की गई खांडसारी का विवरण

(मेट्रिक टनों में)

जिला	मात्रा	जिला	मात्रा
१—बिजनौर ..	४०४१.६०	२९—हरदोई ..	७७.२०
२—मुरादाबाद ..	७२८५.४९	३०—उन्नाव ..	२२.९४
३—बदायूं ..	१६१६.३०	३१—लखनऊ ..	१२५.३०
४—रामपुर ..	४१४.००	३२—रायबरेली ..	२८.२०
५—बरेली ..	११५०९.७९	३३—बहराइच ..	२.३९
६—पीलीभीत ..	३७४८.१०	३४—गोंडा ..	१३.९०
७—शाहजहांपुर ..	४७४७.९०	३५—बाराबंकी ..	३.८१
८—देहरादून ..	१८५.४६	३६—फैजाबाद ..	१२.३३
९—सहारनपुर ..	७६१.५०	३७—सुल्तानपुर ..	५०.३९
१०—मुजफ्फरनगर ..	१३६५८.६०	३८—प्रतापगढ़ ..	४५.८०
११—मेरठ ..	७२०६.१६	३९—बस्ती ..	४६.०२
१२—बुलन्दशहर ..	२१११.४०	४०—गोरखपुर ..	१५१.१५
१३—अलीगढ़ ..	२५७२.५०	४१—देवरिया ..	१३२.७०
१४—मथुरा ..	१२३३.३१	४२—आजमगढ़ ..	८२.०५
१५—आगरा ..	३३८५.१५	४३—जौनपुर ..	९१.६०
१६—एटा ..	२५२६.००	४४—बलिया ..	१५९.८०
१७—मैनपुरी ..	१५७.४०	४५—गाजीपुर ..	३३२.७०
१८—फर्रुखाबाद ..	७८२.१०	४६—बाराणसी ..	१८१.४०
१९—इटावा ..	२०३.२४	४८—मिर्जापुर ..	१७.२०
२०—कानपुर ..	१५५७.४०	४८—नैनीताल ..	४०४.६०
२१—फतेहपुर ..	८९.१५	४९—अलमोड़ा ..	२७.९०
२२—इलाहाबाद ..	७७२.८०	५०—पियौरागढ़ ..	६.१०
२३—झांसी ..	९३.२०	५१—गढ़वाल ..	७०.४०
२४—जालौन ..	१८२.२६	५२—चमोली ..	१२.९७
२५—हमीरपुर ..	२६.२२	५३—टेहरी-गढ़वाल	००.६०
२६—बांदा ..	५९.६३	५४—उत्तरकाशी ..	१.८०
२७—खेरी ..	२०७.०९		
२८—सीतापुर ..	१०३.७०		
		कुल ..	७३३३८.७०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९ पर)

तालिका

DUTIES OF STATISTICIANS AND STATISTICAL OFFICERS

Broadly, the duties of Statisticians and Statistical Officers are given below:

I. Duties of Statisticians —

(i) To assist and advise the Departmental Research Officers concerned in the design and analysis of their field experiments and give advice in regard to all statistical matters ;

(ii) To undertake research in the methodology of statistics as applied to agricultural research, particularly in the theory of design of experiments and sampling ;

(iii) To assist the Joint Director of Agriculture (Statistics), U. P., in operating crop-estimation survey and assessment surveys by the method of random sampling through the staff of Revenue, Agriculture and Development Departments ;

(iv) To process and analyse the data for these surveys ;

(v) To assist the Joint Director of Agriculture (Statistics), U. P., in all technical correspondence and preparation of various publications, technical papers, articles, report etc. ;

(vi) To deliver lectures on topics in agricultural statistics to students and trainees as and when required ; and

(vii) To carry out any other statistical work of the Department that may be entrusted to them.

II. Duties of Statistical Officers—

(i) To assist the Joint Director of Agriculture (Statistics) in the organization and condut of *ad hoc* sample surveys and investigations in agriclutrual statistics ;

(ii) To impart training to the field staff in the conduct of survey and exercise supervision over the field work ;

(iii) To assist the Joint Director of Agricultre (Statistics), U. P., in the processing and analysis of data for these surveys and investigations and in the preparation of technical reports thereon ; and

(iv) To carry out any other statistical work of the Department that may be entrusted to them.

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३ पर)

भागने वाले कैदी का विवरण

भागने वाले कैदी का नाम पौहारी, पुत्र राम विशन है। यह गांव धुनियां, पट्टी थान धनही, जिला चम्पारन (बिहार) का रहने वाला है। इस कैदी को दफा ३७९ आई० पी० सी० के अन्तर्गत ९ मास की सजा २८-३-६४ को जुडिशियल आफिसर हाटा, जिला देवरिया के यहां से हुई थी और वह २९-३-६४ को जेल में आया था।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर)

LIST OF MEDICINES PURCHSED FOR THE CHIEF WILD LIFE WARDEN, UTTAR PRADESH FROM ISt JAN. TO 30TH JUNE, 1964

Serial number	Name of Medicines	Quantity
1	Thermometers	.. 8
2	Codopyrine	.. 26 Tablets
3	Elkosin	.. 36 ,,
4	Entroquinol	.. 12 ,,
5	Anacine	.. 36 ,,
6	Pentid	.. 48 ,,
7	Peps	.. 7 Phial
8	Luminal	.. 1
9	Antiphogistin	.. 1 Oz.
10	Chlorostrep Suspansion ..	.. 1 Bottle
11	Eskazine	.. 1 Tin (100 tablets)
12	Vox	.. 37 Tablets.
13	Efcorlin nasal Drops	.. 1
14	Sulphadiazine	.. 24 Tablets and 12 Packets powder.
15	Trox	.. 1 Box and 66 tablets.
16	Streptomycin	.. 1 Phial.
17	Isonex	.. 15 Tablets.
18	Entrozyne	.. 80 Tablets.
19	Bandage	.. 6-2''
20	Tincture Iodine/Benz. ..	.. 1 1/2 oz.
21	Lint	.. 1/4 Yard.
22	Cotton Wool	.. 22 oz. and 100 gram Surgical.
23	Aspro	.. 12 Tablets.
24	Saridon	.. 30 ,,
25	Benzois	.. 1/2 oz.
26	Endrine	.. 1 Bottle.
27	Aludrox	.. 1 Box and 20 Tablets
28	Throat paint	.. 1 Oz.
29	Bellargal	.. 1 Bottle and 25 Tab.
30	Yeast	.. 25 Tablets.
31	Eno Fruit Salt	.. 8 Bottles.
32	Spirit	.. 1Bottle.
33	Iron Glycerine pant	.. 3 oz.
34	Orisul	.. 56 Tablets.
35	Dequadine	.. 7 Tubes.
36	Librium—'10'	.. 150 Tablets.
37	Locula Eye Drops	.. 1 Phial.
38	Liquid—Adexolin	.. 1 Bottle.
39	Sucrets	.. 2 ,,

Serial number	Name of Medicines	Quantity
40	Milk fo Magenesia	5 B ottle
41	Listerine	2 ”
42	Herbolax Mild	30 Tablets.
43	Lederkyn	5 ”
44	Pentid Sulpha	5 ”
45	Triple Sulfa Cream	2 Tubes.
46	Savlon Liquid	1 Bottle.
47	Neofebrin	5 Tablets.
48	Cremaffin	1 Phial.
49	Efrorilum	1 Tube.
50	Mag Mag	1 Bottle.
51	Ostrocalcium Syrup	1 ”
52	Livergen	2 ”
53	Ferilex	1/20 ”
54	Syamgum	3 Cop.
55	Combizyme	12 Tablets.
56	Strepsil	2Tins.
57	Gertactin	6 Tablets.
58	Achromycin Capsule	1/4 Cop.

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

अल्प-आय-वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत शिक्षा संस्थाओं को १९५५-५६ से १९६३-६४ तक दिए गये ऋणों का विवरण

जिला	शिक्षा संस्था का नाम	धनराशि
१—कानपुर ..	अकबरपुर हायर सेकेंडरी स्कूल, अकबरपुर ..	१५,१२०
२—लखनऊ ..	कान्यकुब्ज कालेज	६५,५२०
३— ,, ..	कान्यकुब्ज वोकेशनल डिग्री कालेज ..	८४,७२०
४—हमीरपुर ..	बी० एम० एच० एस० रहमानिया इन्टर कालेज, मौदहा	२०,१६०
५— ,, ..	नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा ..	९,५२०
६—बांदा ..	हिन्दू इन्टर कालेज, अतर्रा	५८,०००
७—मिर्जापुर ..	श्री शिवाजी नेशनल इन्टर कालेज, हांसीपुर	२२,८००
८—खेरी ..	पब्लिक इन्टर कालेज, गोलागोकरणनाथ ..	५६,०००
९—गोरखपुर ..	मुरारी इन्टर कालेज, सहजनवां ..	४२,०००
१०— ,, ..	जी० एस० वी० एस० इन्टर कालेज, महराजगंज	५,६००
११— ,, ..	एस० एस० हायर सेकेंडरी स्कूल, घुगली ..	२,८००
१२—गोंडा ..	श्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, नवाबगंज	१५,३२०
१३—इटावा ..	श्री जनता इन्टर कालेज, अजीतमल ..	४५,९२०
१४—एटा ..	श्री हरनारायण इन्टर कालेज, गंजदुन्दवारा	११,८००
१५— ,, ..	भगवत राष्ट्रीय विद्यालय, पटियाली ..	९,५२०
१६—प्रतापगढ़ ..	बी० डी० हायर सेकेंडरी स्कूल, पहाड़पुर	१७,६४०
१७—इलाहाबाद ..	लाला राम लाल अग्रवाल इन्टर कालेज, सरसा	२४,६४०
१८—बुलन्दशहर ..	अमर सिंह जाट हायर सेकेंडरी स्कूल, लखावटी	३,९२०
१९— ,, ..	डी० आर० हायर सेकेंडरी स्कूल, गोठानी ..	२,८००
२०— ,, ..	नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कालौन-दरोर	४,४८०
२१— ,, ..	सी० वी० इन्टर कालेज	६,१६०
२२— ,, ..	जे० ए० एस० इन्टर कालेज, खुरजा ..	८,४००
२३—जौनपुर ..	श्री गणेश राय इन्टर कालेज, दोभी ..	२,८००
२४—सुलतानपुर ..	सी० एल० हायर सेकेंडरी स्कूल, छिटोपट्टी	३,९२०
२५— ,, ..	बी० एस० हायर सेकेंडरी स्कूल, भारखरे	१,६८०
२६—बस्ती ..	गौतम हायर सेकेंडरी स्कूल, पिपरा ..	१,१२०
२७—वाराणसी ..	बाल्मीकि हायर सेकेंडरी स्कूल, बलुआ ..	५,८००
२८—अलीगढ़ ..	टीकाराम गर्ल्स कालेज, अलीगढ़ ..	४२,०००
२९—मुजफ्फरनगर ..	वैश्य डिग्री कालेज, शामली	२५,०००

नत्थी 'च'

विवरण पत्र--(१)

(देखिये* पीछे पृष्ठ ३५ पर)

सन् १९६४ के मानसून का उत्तर प्रदेश के जिलों मे वर्षा का विवरण

क्रम-संख्या	जिले का नाम	वास्तविक औसत वर्षा		१ जून से ३१ जुलाई तक की सामान्य वर्षा	१ जून से ३१ जुलाई की वास्तविक औसत वर्षा का योग
		जून, १९६४	जुलाई, १९६४		
१	२	३	४	५	६
१	देहरादून	६.५७	२९.०७	३७.६२	३५.६४
२	सहारनपुर	४.३६	२४.८६	१४.७४	२९.२२
३	मुजफ्फरनगर	०.२५	११.७७	११.६१	११.९९
४	बुलन्दशरह	०.२२	७.३७	१०.३०	७.५९
५	मेरठ	०.०४	२०.१७	१०.६३	२०.२१
६	अलीगढ़	३.१४	१५.९६	१०.७४	१९.१०
७	मथुरा	०.५३	१२.९७	९.४१	१३.५०
८	आगरा	०.०४	१२.३०	१०.३७	१२.३४
९	मैनपुरी	०.३०	१३.५३	११.०२	१३.८३
१०	एटा	१.०३	२३.९५	११.१३	२४.९८
११	बरेली	..	१५.४२	१९.२७	१५.४२
१२	बिजनौर	३.९४	२३.४३	१७.४७	२६.९२
१३	बदायूं	०.१९	१८.०६	१३.६६	१८.२५
१४	मुरादाबाद	०.४१	१७.२८	१६.१३	१७.६९
१५	शाहजहांपुर	३.१६	११.५८	१६.८९	१४.७४
१६	पीलीभीत	२.२७	१८.४१	२२.१७	२०.६८
१७	रामपुर	०.४०	१६.८९	..	१७.२९
१८	फर्रुखाबाद	०.७३	११.९८	१२.७२	१२.७१
१९	इटावा	०.५७	१७.२६	१२.१२	१७.८४
२०	कानपुर	१.०६	१०.८९	१३.१४	११.९५
२१	फतेहपुर	१.२९	१४.०८	१५.०४	१५.३७
२२	इलाहाबाद	१.९८	१२.३४	१५.८५	१४.३२
२३	बांदा	२.७४	१०.१०	१६.२५	१२.८४
२४	हमीरपुर	०.९३	८.५०	१५.०३	९.४३
२५	झांसी	५.५८	९.८४	१४.१४	१५.४२
२६	जालौन	१.३५	१०.४९	१३.४७	११.८४
२७	वाराणसी	४.४३	१०.९५	१६.३०	१५.३८
२८	मिर्जापुर	५.९६	१०.२९	१७.६१	१६.२५
२९	जौनपुर	४.९३	११.६९	१६.२२	१६.६२
३०	गाजीपुर	५.३९	१२.७५	१६.१७	१८.१४

क्रम-संख्या	जिले का नाम	वास्तविक औसत वर्षा		१ जून से ३१ जुलाई तक की सामान्य वर्षा	१ जून से ३१ जुलाई की वास्तविक औसत वर्षा का योग
		जून, १९६४	जुलाई, १९६४		
१	२	३	४	५	६
३१	बलिया	३.४३	२१.७८	१७.१७	२५.२१
३२	गोरखपुर	३.३७	२९.५५	२१.४९	३२.९२
३३	बस्ती	३.१५	२८.७९	२१.०२	३१.९४
३४	आजमगढ़	३.१२	१७.२०	१६.६३	२०.३२
३५	देवरिया	१.४१	२८.१८	१९.८९	२९.५९
३६	नैनीताल	४.२५	२५.५२	२८.९८	२९.७७
३७	अलमोड़ा	२.८१	१८.६६	२५.१४	२१.४७
३८	गढ़वाल	६.५२	२५.१६	२१.७७	३१.६८
३९	टिहरी-गढ़वाल	५.२२	*	..	५.२२
४०	लखनऊ	५.७२	१५.८२	१५.३८	२१.५४
४१	उन्नाव	१.३८	१५.७०	१४.०१	१७.०८
४२	रायबरेली	१.५४	१३.२९	१५.०६	१४.८३
४३	सीतापुर	४.३६	१६.०७	१५.९१	२०.४३
४४	हरदोई	१.३३	१४.४२	१४.८७	१५.७५
४५	खीरी	४.२०	११.८९	१३.३५	१६.०९
४६	फैजाबाद	५.१४	१४.४३	१६.८३	१९.५७
४७	गोंडा	१.३३	१९.१७	१९.४७	२०.५०
४८	बहराइच	५.८६	१२.२८	१८.६१	१८.१४
४९	सुल्तानपुर	१.९९	१६.८१	१६.५८	१८.८०
५०	प्रतापगढ़	२.८१	१२.२१	१५.२४	१५.०२
५१	बाराबंकी	०.७६	१४.२३	१५.९४	१४.९९
५२	उत्तरकाशी	१.७१	१.७३	..	३.४४
५३	पिथौरागढ़	५.३५	*	..	५.३५
५४	चमोली	६.१२	१२.६७	..	१८.७९

†सूचना अपेक्षित है ।

नत्थी 'छ'

(देखिये** पीछे पृष्ठ ३५ पर)

विवरण-पत्र (२)

१—मथुरा

वर्षा तथा बुआई की अवस्था सामान्य है किन्तु सादाबाद, छाता, माट तथा मथुरा तहसीलों के ८५०० एकड़ में दुबारा बुआई करनी पड़ी। मक्का की फसल तथा जल-प्लावन (water logging) से प्रभावित ग्रामों के निचले भागों की फसलों को छोड़कर खरीफ की फसलों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं मालूम पड़ता। आवागमन के साधनों में न कोई रुकावट हुई और न कोई टूट-फूट।

२—जौनपुर

खरीफ की फसल समय पर बोई गई और उसका अंकुरण संतोषजनक रहा। लगातार वर्षा के कारण मक्का तथा सांवा की फसलों को कुछ हनि पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। कुंवारी धान, गन्ना तथा खरीफ की अन्य फसलों की अवस्था संतोषजनक है। तहसील जौनपुर, मंडियाहूं तथा मछली शहर के कुछ भागों में अगहनी धान की बेड़ लगाने का काम जारी है। जिले की किसी भी नदी में बाढ़ नहीं आई।

३—गाजीपुर

लगातार वर्षा से सावां तथा ज्वार को कुछ हानि पहुंची है। खरीफ की अन्य फसलों की दशा संतोषजनक है। जिले में बाढ़ की स्थिति नहीं है।

४—बलिया

जुलाई में लगातार वर्षा के कारण कुछ भागों में बुआई देर से शुरू हुई। मक्का, कोदों तथा सांवां की फसलों को वर्षा से कुछ हानि पहुंची। जलप्लावन (water logging) से कुंवारी धान को भी कुछ भागों में हानि पहुंचने की सूचना मिली है। वर्षा से २,००० घरों को क्षति पहुंची। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य-पदार्थ नमक, मिट्टी का तेल तथा दियासलाई बांटी जा रही है। जिलाधीश के पास तकावी बांटने के लिये १,४३,००० रु० उपलब्ध है।

५—आजमगढ़

जून के महीने में, लालगंज तहसील को छोड़कर किसी अन्य तहसील में ठीक से वर्षा नहीं हुई। फलस्वरूप खरीफ की बुआई कुछ देर से शुरू हुई। जुलाई में जोर की वर्षा के कारण फसलों में विशेषकर सांवा, कोदों तथा मक्का के अंकुरण तथा बढ़ने पर कुछ बुरा प्रभाव पड़ा।

अनुमानतः ९,१३० रु० के मूल्य के ११८ मकान क्षतिग्रस्त हो गये। तहसील सगड़ी के ग्राम गंगपुर के पास की भूमि घाघरा से कट गई। किसी सड़क, पुल अथवा पुलिया को क्षति पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। १४-७-६४ को वर्षा के कारण ग्राम गोपालपुर-निशी रामपुर में एक मकान का भाग गिर जाने से एक हरिजन महिला और उसका ३ वर्षीय बच्चा दब कर मर गये। संतप्त परिवार को आवश्यक सहायता और मकान बनवाने की मदद की जा रही है।

प्रभावित व्यक्तियों को १०० मन गल्ला, १८ टिन मिट्टी का तेल, ६ बोरी नमक, १० दर्जन दियासलाई और १,१०० रु० नकद बांटा गया। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिये ३६ नावों का प्रबंध किया गया। १३७ व्यक्ति व ९३ पशुओं को घाघरा में बाढ़ आने के कारण सुरक्षित स्थानों को पहुंचाया गया।

६—बस्ती

जलप्लावन (Water-logging) के कारण ९१४ गांवों में ६१,००० एकड़ भूमि प्रभावित हुई। फसल को मामूली क्षति हुई है। जलप्लावित क्षेत्र में अगहनी धान के रोपण में विलम्ब हुआ।

हरैया तहसील के कुछ भागों में घाघरा नदी का कटाव हो रहा है। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। पीड़ित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने की कार्यवाही की जा चुकी है। २०,००० रु० की अहेतुक सहायता और ८२,००० रु० की तकावी बांटी जा चुकी है।

७—गोरखपुर

वर्षा देर से और लगातार होने के कारण फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। जिले की लगभग सभी नदियों में बाढ़ आई। कुआनों नदी को छोड़कर शेष सभी नदियां खतरे के बिन्दु को पार कर गईं। ५-८-६४ को राप्ती को छोड़कर सभी नदियां घट रही थीं। ५१ घर या तो बरबाद हो गये हैं या आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त हुये हैं। उनका मूल्य लगभग २४,००० रु० का आंका जाता है। किसी पशु व जन की हानि नहीं हुई।

मनीराम के समीप, गोरखपुर-फरेंदा सड़क पर काठ के पुल के ऊपर पानी आ जाने के कारण यातायात विच्छिन्न हो गया पर नावों की सहायता से यातायात को चालू रखा गया। तहसील बांसगांव में स्थित कोल्हा राबत बंध जिसे आमतौर पर भैंसहा बंध कहते हैं, और असवापुर बंध कई वर्ष पहले बाढ़ से टूट गये थे। इन्हें श्रमदान और टेस्ट वर्क से बनवाया गया था। अभियंताओं (Engineers) के मत से यह बांध तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं थे। यह बात तहसील फरेंदा के नगवां बांध के बारे में भी लागू होती है।

वन भूमि में पशुओं के चरने के लिये इजाजत दे दी गई है। पशुओं की किसी बीमारी के फैलने की रिपोर्ट नहीं मिली।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में २२६ नावों का उपयोग किया जा रहा है।

८—देवरिया

वर्षा में देरी होने के कारण, खरीफ की फसलों की बुआई में कुछ विलम्ब हो गया। जुलाई में भारी वर्षा हुई जिसके कारण मक्का, ज्वार, अरहर व सावां की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा। घाघरा, राप्ती, बड़ी गंडक व छोटी गंडक में बाढ़ आई। बड़ी गंडक ३१-७-६४ को और राप्ती ३-८-६४ को खतरे के बिन्दु को पार कर गई। ३५६ मकान जिनकी कीमत ४०,००० रु० आंकी जाती है, क्षतिग्रस्त हुये। लार-सलेमपुर रोड ४ जगह से टूट गई और उसकी मरम्मत की जा रही है। भागलपुर-सलेमपुर सड़क एक जगह टूट गई और उसकी मरम्मत की जा चुकी है।

छितौनी बांध भी २ जगह टूट गया। जिनमें से एक जगह मरम्मत की जा चुकी है और दूसरी जगह की जा रही है। टिगरा-खेरवा बांध भी एक जगह से टूट गया। तहसील सलेमपुर में क्षतिपुर बांध रेगुलेटर को जनता ने ही क्षतिग्रस्त कर दिया जिससे वह बह गया। लोगों को सहायता और यातायात के कार्य में २०७ नावों का उपयोग किया जा रहा है। २०० व्यक्तियों और ४० पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। २०० बोरे आटा व ३ बोरा चना पीड़ितों को बांटा जा चुका है। चारे की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

९—बहराइच

जुलाई में लगातार वर्षा के कारण मक्का, अरहर, कुवांरी धान को कैसरगंज व बहराइच तहसीलों में मामूली क्षति पहुंची। अन्य फसलों की दशा संतोषजनक है। घाघरा, राप्ती

व भाकला नदियों में मामूली (medium) बाढ़ आई । ३६ घर क्षतिग्रस्त हुए। नाला पार करता हुआ एक व्यक्ति डूब गया । तहसील कैसरगंज में पुरवा घोघी के पास मगहरा तवक्कली ग्राम में एक नाव डूब गई जिससे २ महिलायें व एक लड़की मर गईं। तराई नालों पर जमीन के कटाव को रोकने के लिये २ बंधी (Embankment) बनाई गई थी जो बह गई । लोगों की सहायता व बचाव के लिये आवश्यक प्रबंध किया जा रहा है । लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का भी प्रबन्ध किया गया है ।

१०—बाराबंकी

जून में वर्षा कम हुई । जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगातार पानी गिरा, जिसके कारण मक्का, ज्वार, अरहर, कोदों और सांवा समय से नहीं बोया जा सका । कुछ स्थानों पर बुआई दुबारा करनी पड़ी । अन्य फसलें संतोषप्रद हैं ।

घाघरा नदी में २४-७-६४ से बाढ़ प्रारम्भ हुई । ३-८-६४ को चौका घाट में एलगिन ब्रिज पर नदी का जल-स्तर ३४४.१६ फिट था । ३५४ घर जिनका अनुमानित मूल्य १६,५५० रु० है या तो बह गये या क्षतिग्रस्त हुये । ४०० एकड़ भूमि कट गई । ५ पशु नष्ट हो गये । यातायात के साधनों को कोई क्षति नहीं हुई । आवश्यक सहायता-कार्य किये जा रहे हैं। २,८११ व्यक्ति और ३,१७६ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ६०० रु० का चना, मिट्टी का तेल व नमक बांटा जा चुका है । बीमारी की रोक-थाम का भी प्रबन्ध किया गया है ।

जिलाधिकारियों को ४०,००० रु० तकावी ५,००० रु० अहेतुक सहायता और ६,००० रु० प्रकीर्ण कार्य के लिये दे दिया गया है । एक सरकारी मोटर-बोट व ६६ नावों का उपयोग सहायता कार्य में किया जा रहा है ।

११—पौड़ी-गढ़वाल

खरीफ की फसलों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा ।

भारी वर्षा के कारण पनियाली सौत में बाढ़ आने की सूचना मिली है । कुछ स्थानों पर जमीन के कटने व पहाड़ गिरने से भी क्षति हुई है । १० एकड़ जमीन, ६ बैल, १ गाय, व ५ बकरियां बह गईं । १ व्यक्ति डूब गया । आवश्यक सहायता दी जा रही है ।

१२—टेहरी गढ़वाल

देवप्रयाग में ३ जुलाई, ६४ को भारी वर्षा के कारण १,००० नाली जमीन और ३,५६६ व्यक्ति प्रभावित हुए । फसलों को भी मामूली क्षति पहुंची । १ मकान व २ पनचक्कियां बह गईं । आवश्यक सहायता पहुंचाई जा रही है ।

१३—उत्तरकाशी
१४—चमोली
१५—अल्मोड़ा .. स्थिति सामान्य है ।
१६—नैनीताल

१७—पिथौरागढ़

खरीफ की फसलों की दशा संतोषप्रद है । वर्षा के कारण कुछ सड़कें लगभग १० दिनों तक बन्द रहीं ।